प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

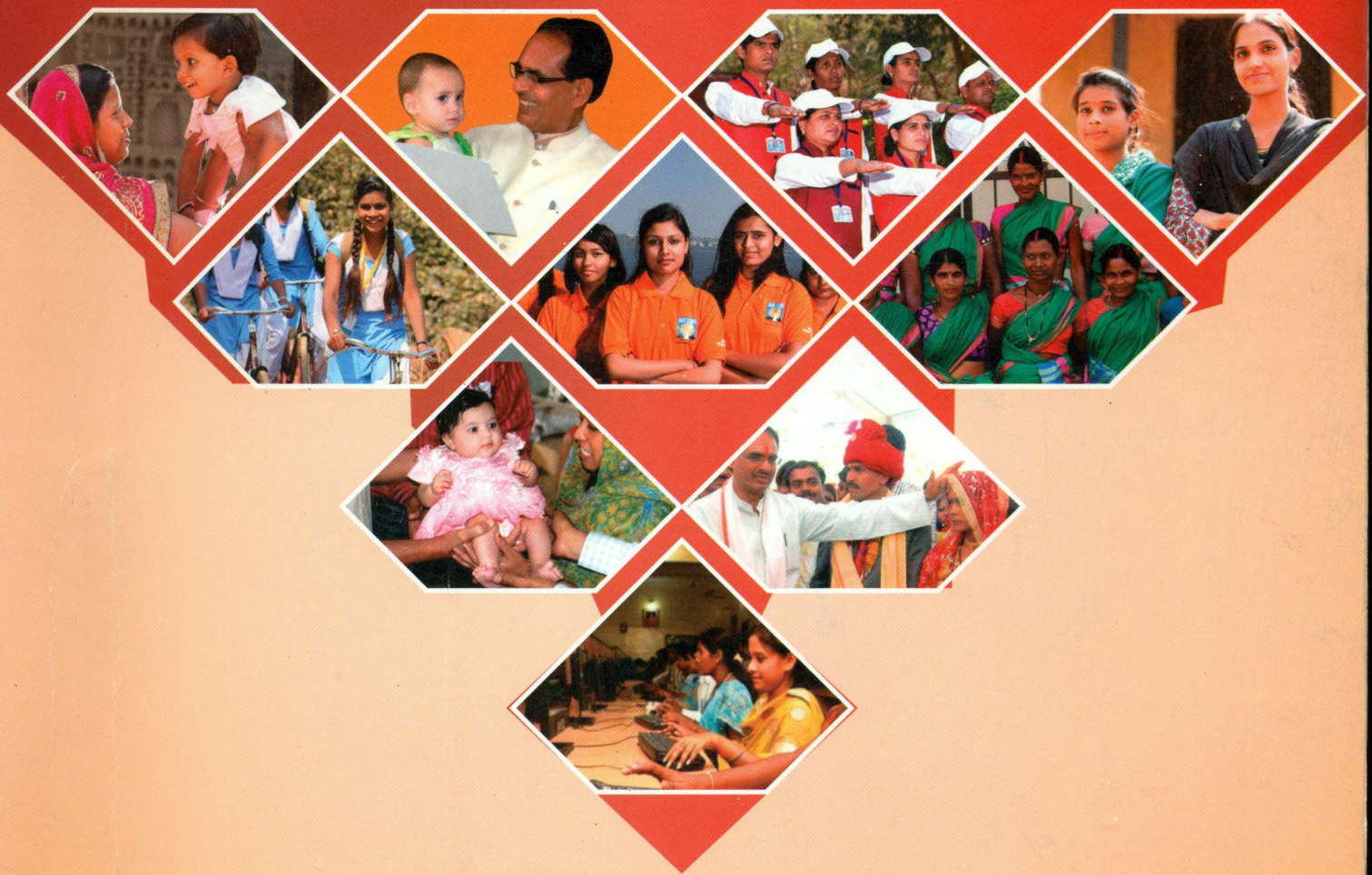

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

श्रीमती अर्चना चिटनिस
मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रीमती ललिता यादव
राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग

सचिवालय
प्रमुख सचिव– श्री जे.एन. कांसोटिया
सचिव– श्री एन.पी. डेहरिया
उप सचिव– श्री रविन्द्र सिंह

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा
आयुक्त– श्रीमती पुष्पलता सिंह

संचालनालय महिला सशक्तिकरण
आयुक्त– श्रीमती जयश्री कियावत

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम
अध्यक्ष– श्रीमती अर्चना चिटनिस

प्रबंध संचालक
श्रीमती जयश्री कियावत

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग
अध्यक्ष– श्रीमती लता वानखेड़े
सदस्य सचिव– श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग
अध्यक्ष– डॉ. राघवेन्द्र शर्मा
सचिव– श्रीमती शुभा वर्मा

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
अ.	**महिला बाल विकास विभाग**	
1	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	01
2.	विभाग के दायित्व	01
3.	विभागीय संरचना	02
ब.	**संचालनालय महिला सशक्तिकरण**	
01.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	07
02.	लाडो अभियान	15
03.	शौर्या दल	21
04	महिला नीति	31
05.	जवाहर बाल भवन	35
06	समेकित बाल संरक्षण योजना	43
07.	सामाजिक विकास	51
08.	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	57
09	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम	63
10.	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	67
11.	राज्य महिला आयोग	79
11.	मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग	83
13.	मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम	91
14.	राज्य महिला संसाधन केन्द	99
स.	**संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा**	
01.	संचालनालय की संरचना	01
02.	सामान्य प्रशासनिक विषय	03
03	समेकित बाल विकास परियोजना	04
04.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10
05.	पोषण आहार	11
06.	मंगल दिवस का आयोजन	14
07.	सामुदायिक सहभागिता, आई.वाई.सी.एफ. एवं प्रचार गतिविधियाँ	16
08.	राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना	23
09.	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला'	25
10.	उदिता योजना	27
11.	आँगनबाड़ी भवनों का निर्माण	28
12.	प्रशिक्षण	30
13.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल	32
14.	मूल्यांकन एवं निगरानी	34
15.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	35
16.	अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	36
17.	स्निप योजना	40
18.	नवाचार	41
19.	बजट : एक समग्र विश्लेषण	48

Happy Birthday

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

किसी भी देश का विकास, मानव विकास के बिना संभव ही नहीं है। विकास की इस नवीन अवधारणा के अनुसार ही आजकल विकास का मूल्याकंन मानव विकास सूचकांको के आधार पर किया जाने लगा है। इसी पैमाने को संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अपनाया है।

इन सूचकांको में शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (लाईफ एक्सपैक्टेन्सी एट बर्थ), साक्षरता दर और बच्चों का पोषण स्तर प्रमुख है। मध्यप्रदेश शासन भी इन कसौटियों पर खरा उतरने के लिये महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। जो कि प्रदेश की आबादी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है।

लाडो अभियान, शौर्या दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, अटल बिहारी वाजपेयी बाल अरोग्य पोषण मिशन, लाड़ली लक्ष्मी योजना, आंगनबाडियों में मंगल दिवस कार्यक्रमों का आयोजन आदि इस दिशा में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयास हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में प्रदेश शासन द्वारा किए गये प्रयासों को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। साथ ही अन्य राज्यों द्वारा इन प्रयासों को अपनाया भी गया है। इन प्रयासों से ही प्रदेश में भी मानव विकास सूचकांकों में सुधार दर्ज हो रहा है

विभाग के दायित्व

- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें कुपोषण से बचाना।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके।
- महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए उनकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिये प्रयास करना।

विभागीय संरचना

मंत्रालय

↓

प्रमुख सचिव

↓

सचिव (1)

↓

उप सचिव (1)

↓

अवर सचिव (2)

↓

अनुभाग अधिकारी (2)

↓

कार्यालयीन अमला

संचाल
ब्लाक-2,
फोन 075
http://ww
Email: sta

लाडली लक्ष्मी योजना (ई–लाडली स्वरुप में)

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से लागू की गई है। योजना में प्रकरणों की बढ़ती हुई संख्या तथा प्रक्रियात्मक समस्याओं को देखते हुए योजना को रि–विजिट किया जाकर ई–लाडली का रुप दिया गया । जिसके तहत् लोक सेवा केन्द्र / इंटरनेट कैफे / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेंगा ।

पात्रता एवं शर्तें

1. जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
2. माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता–पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हों।
4. माता–पिता आयकर दाता न हों।
5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।
6. अनाथालय / संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता–पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।

ई–लाडली अंतर्गत सुविधायें –

- समस्त आवेदन ऑनलाईन।
- आवेदन किसी इन्टरनेट कैफे से ऑनलाईन किया जा सकता है ।
- सर्टिफिकेट ऑनलाईन उपलब्ध।
- समस्त भुगतान ई–पेमेंट से ऑनलाईन।
- पूर्व स्वीकृत प्रकरणों को भी ऑनलाईन सर्टिफिकेट
- राशि भुगतान हेतु पृथक निधि "म.प्र. लाडली लक्ष्मी योजना निधि" का गठन।

बालिका को मिलने वाले लाभ

1. प्रकरण स्वीकृति उपरांत रूपये 1,18000/– का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।
2. योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/–, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रू. 4000/–, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/– एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/– ई–पेंमेंट के माध्यम से किया जायेगा।
3. बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि, बालिका का विवाह, 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12वी की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी। राशि के भुगतान हेतु राज्य शासन के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में राशि जमा की जायेगी। जिससे स्वीकृत हितग्राहियों को अंतरिम व परिपक्वता राशि प्रदाय की जायेगी।

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

ग्राम स्तर पर	• ग्राम स्तर पर हितग्राहियों का चिंहांकन। • हितग्राहियों का आंगनवाडी केंद्र में पंजीयन। • आवेदनों को पूर्ण कर विकास खण्ड स्तर कार्यालय में प्रस्तुत करना।
विकास खण्ड स्तर पर	• आंगनवाडी कार्यकर्ता से प्राप्त आवेदन/प्रमाण पत्रों का सत्यापन। • पात्रता अनुसार प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत करना। • क्षेत्राधिकार में प्रकरणों का निराकरण करना। शेष प्रकरणों को जिला कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना। • www.ladlilaxmi.com बेवसाईट पर समस्त प्रकरणों की प्रविष्टि करना। • पात्र हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र जारी करना।
जिला स्तर पर	• प्राप्त पात्र हितग्राहियों की सूची अनुसार राशि स्वीकृत कर लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा करना। • विशेष प्रकरण जो कलेक्टर से स्वीकृति योग्य है कलेक्टर के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। • प्रतिमाह योजना की समीक्षा करना।

संशोधन–1

जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

संशोधन–2

प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।

संशोधन–3

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जेल मे बन्द महिला कैदियों के जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा दिनांक 02.12.2010 को आदेश जारी किया गया है।

संशोधन–4

स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर को दिये गये है। (आदेश दिनांक 6.2.2012)

संशोधन–5

विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर सूक्ष्म परीक्षण करते हुए , विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/ अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे (आदेश दिनांक 29.1.2016)

योजना का विस्तार

- मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 313 विकासखण्डों में 52117 ग्रामों में योजनान्तर्गत अब तक लगभग 24.50 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
- चालू वित्तीय वर्ष से कक्षा छः में प्रवेश लेने वाली लगभग 20 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति की रुपये राशि 2000/– रु0 प्रति बालिका प्रदाय की जा रही है ।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क्रमांक	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	2007–2008	40854	26.00 करोड
2	2008–2009	186803	134.00 करोड़
3	2009–2010	213874	251.00 करोड़
4	2010–2011	305228	323.46 करोड़
5	2011–2012	380260	694.00 करोड़
06	2012–2013	318912	897.24 करोड़
07	2013–2014	280585	816.28 करोड़
08	2014–2015	252745	6.88 करोड़
09	2015–16	255206	1376.81 करोड़
10	2016–17 (20 जनवरी 2016 तक)	220125	595.78 करोड़

योजनाओं में पारदर्शिता तथा सहभागिता

1. जनसामान्य हेतु बेवसाईट www.ladlilaxmi.com पर योजना की समस्त जानकारी रखी गई जिसे एक क्लिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक हितग्राही का विवरण बेवसाईट पर अपलोड किया गया।
2. तृतीय प्रेक्षक के रूप में लोक सेवा गारंटी योजना से इस योजना को जोड़ा गया।
3. समाधान तथा वीडियों कान्फ्रेंस द्वारा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाता है।
4. योजना में द्विपक्षीय वार्ता को प्रोत्साहित किया जाता है और फीडबैक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। एक तरफ हितग्राहियों को समय से योजना का लाभ दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर संबंधितों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को सुलझाया जाता है।
5. लाड़ली लक्ष्मी योजना की बेवसाईट पर उपलब्ध हेल्प डेस्क जन सामान्य हेतु प्रारंभ किया गया है जिसके तहत हितग्राही अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते है।
6. योजना की बेवसाईट में जन सामान्य के लिये पात्रता मापक प्रांरभ किया गया जिसमें आवेदन करने के पूर्व पात्रता जांच कर सकते है।
7. संस्थागत प्रसव होने पर पात्र बालिका को संस्था (चिकित्सालय) में ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिये जाने हेतु ष्लाडली हेल्प डेस्कष की स्थापना संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालयो में की गई है । जहॉ बालिका जन्म की स्थिति में पात्र बालिका को जन्म दिवस पर ही ई–लाडली प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिये हेल्प डेस्क स्थापित है। जिसमें अभिभावकों को योजना संबंधी प्रावधानों, आवश्यक दस्तावेजों की समुचित जानकारी देते हुए ई–लाडली प्रमाणपत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
8. बालिका के पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की निगरानी (ट्रेकिंग) हेतु जिलो को निर्देश जारी किये गये।

लाडो अभियान

बाल विवाह रोकथाम के लिए वर्ष 2013 से प्रदेश में लाडो अभियान प्रारम्भ किया गया । लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय की मानसिकता को परिवर्तित करते हुए इस कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से कम करने का प्रयास करना है। साथ ही समझाना है कि बाल विवाह की कुरीति बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधक बन रही है। अभियान अर्न्तगत ग्राम, विकासखण्ड, जिले, स्कूल, आंगनवाडी केन्द्रों, आदि में लगातार कार्यशालाओं के आयोजन के साथ–साथ विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार जैसे रथ, जिंगल; डाक्यूमेन्ट्री, दीवार लेखन, होर्डिग्स, पेपर एड, नुक्कड नाटक आदि कई साधनो का उपयोग किया जा रहा है।

- लाडो अभियान को वर्ष 2014 में लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य हेतु "प्रधानमंत्री पुरस्कार"' से सम्मनित किया गया।
- भारत सरकार द्वारा, लाडो अभियान के कियांवयन के अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए लाडो अभियान को अंतर्राष्ट्रीय "कामनवेल्थ एसोशिएशन फार एडमिनिस्टेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, ब।च।ड " के अंतर्गत "सिटिजन फोकस इनोवेशन" की श्रेणी में अन्तर्राष्ट्रीय ब।च।ड अवार्ड हेतु प्रेषित किया गया था। अगस्त 2016 में लाडो अभियान को ब।च।ड अवार्ड–16 से सम्मानित किया गया।
- भारत सरकार में लाडो अभियान को सराहा व अन्य राज्यों में लागू करने के निर्देश जारी किए। हरियाणा, त्रिपुरा व असम के राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर म.प्र के प्रयासो को सराहा गया।
- ।कउपदपेजतंजपअमे जांिब्वससमहम वप्दिकपें;बपद्ध हैदराबाद के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार लाडो अभियान को अन्य राज्यों में कैसे तमचसपबंजम किया जावे के संबंध में स्टडी कराई गई थी।ंबप हैदराबाद के द्वारा लाडो अभियान की प्रशंसा व सराहना भारत स्तर की बैठकों में की गई व अपने अनुभव सांझा किए गए।
- न्छॅब्डम्छ द्वारा सराहा गया। प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण भी किया गया।
- लाडो अभियान अंतर्गत प्रयास व अन्य राज्यों से अलग होने का मुख्य कारण म.प्र ही एक ऐसा राज्य है जहॉ बालक व बालिकाओं दोनो के बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन एंव जनसामान्य के सहयोग से प्रयास किए जा रहें है।
- म.प्र ही ऐसा राज्य है जहॉ विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं जैसे धर्मगुरू, बैण्ड–बाजा वाले, केटरिंग/हलवाई, टेन्ट हाउस, प्रिन्टर, ब्यूटिपार्लर, समाज के मुखिया, आदि को लाडो अभियान में विवाह में सेवाएं न देने में सहयोग लिया जा रहा है।
- म.प्र ही एकमात्र राज्य है जहॉ 32 बच्चों के द्वारा स्वंय का बाल विवाह शून्य/ अमान्य घोषित करने के संबंध में कार्यवाही की गई है।
- म.प्र में बच्चों को जागरूक कर बाल विवाह रोकथाम में सहयोग लिया जा रहा है, उहे ब्रांड एम्बेसेडर बनाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा स्वयं का व क्षेत्र के अन्य बच्चों का बाल विवाह रोका जा रहा है।

लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

- 40.10 लाख जनसामान्य को अभियान को विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से जोडा गया,
- 5.17 लाख कोर सदस्य बनाएं गए जिसमें विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाता, शासकीय व अशासकीय संस्था के सदस्य प्रमुख है।
- 3 वर्षो में कई बाल विवाह परामर्श से रोके गए।
- 3789 बाल विवाह स्थल पर आयोजन के दौरान रोके गए।
- 32 बच्चों के द्वारा स्वयं का बाल विवाह शून्य/ आमान्य घोषित कराए जाने की पहल की गई।

- 3084 बच्चों को ब्रांड एम्बासेडर बनाया गया।
- 301 बाल विवाह बच्चों की सूचना पर रोके गए।
- 47 बच्चों के द्वारा स्वयं के बाल विवाह की सूचना दे कर रूकवाने की पहल की गई।
- 128 बच्चों को विभिन्न स्किल डेव्हलपमेन्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोडा गया।

लाडो अभियान से बाल विवाह दर में दर्ज की गई कमी

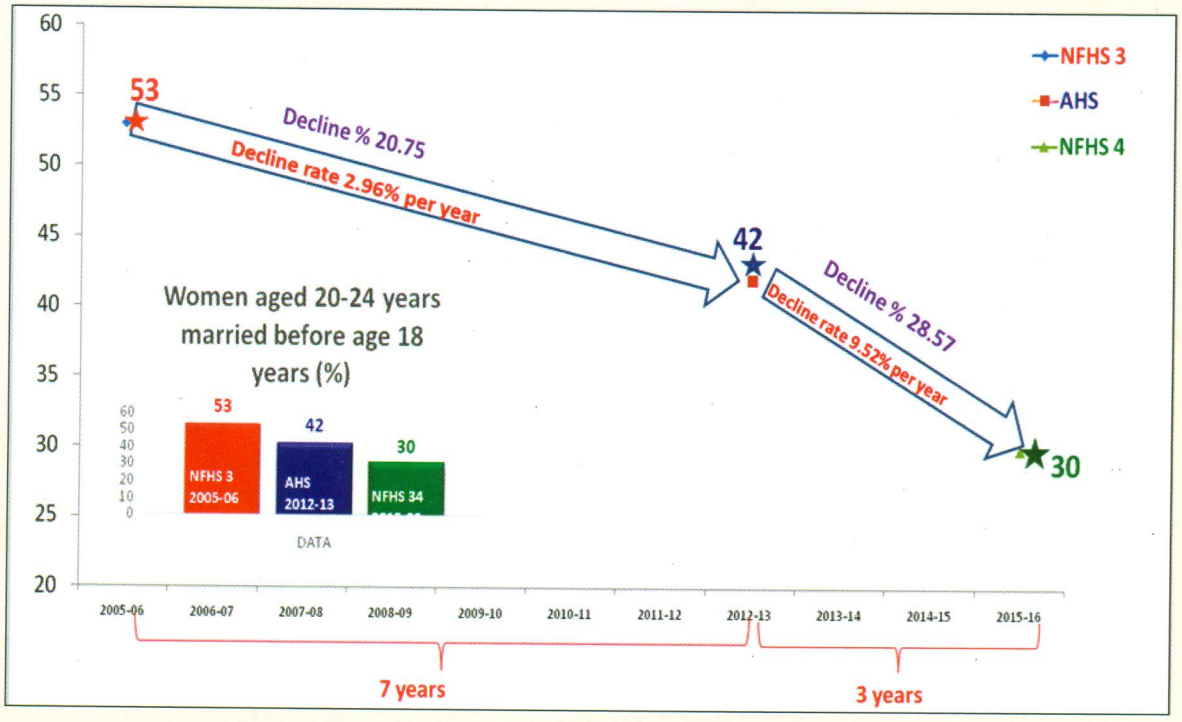

बाल विवाह | भवानी नगर में किसी लड़की के फोन करने पर पहुंचा था अमला, लड़की का पता नहीं मिला

निकले थे नाबालिग दुल्हन ढूंढने, मिला दूल्ह

भास्कर संवाददाता. इंदौर

खुद की शादी रुकवाने के लिए गुरुवार को भवानी नगर से एक नाबालिग लड़की ने फोन कर मप्रकाही अधिकारियों को सूचनाएं। बताए गए पते पर लड़की को ढूंढने टीम निकली, लेकिन वह नहीं मिली। उसी रास्ते पर एक घर के सामने टेंट देखकर टीम वहां पहुंच गई। हाथ में मेंहदी लगाए, कटार लिए दूल्हा बाहर ही मिल गया। उससे उम्र पूछी तो पता लगा कि वह अभी 19 साल का ही है। कानूनन लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल है। इस लिहाज से लड़का नाबालिग है।

परियोजना अधिकारी चित्रा यादव और सुपरवाइजर हर्षा जेठवा ने बताया भवानी नगर का पता देकर किसी लड़की खुद की शादी रुकवाने के लिए फोन किया था। इसी सिलसिले में टीम वहां पहुंची थी, लेकिन लड़की के घर का पता नहीं मिला और जिस नंबर से उसका फोन आया था उस पर लगातार ले बंद आ रहा था। वहीं एक घर के बाहर टेंट लगा दिखा। पड़ोसन पर दूल्हा बैठा था, जो दिखने में कम उम्र का लग रहा था। इस पर टीम वहां पहुंची और लड़के के परिवार वालों से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने उसका जन्म 1996 बताया। इस हिसाब से अभी वह 19 साल का ही है। परिजन ने बताया कि उसकी 23 अप्रैल को देवासपुर के ग्राम कानड़ा में शादी होगी। अधिकारियों ने परिवार वालों को बताया कि अभी लड़के की शादी के लिए कानूनन उम्र से कम है, उसकी शादी 21 साल में ही सकती है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय पार्षद भी परिवार की मदद के लिए आगे आए, लेकिन लड़के की उम्र कम होने के कारण वे भी कुछ नहीं कर पाए। दूल्हे की मां शादी रुकवाने के लिए तैयार नहीं हुई। लड़के को थाने ले जाया गया, जिसके बाद पिता ने 21 साल के पहले शादी नहीं करने का शपथ-पत्र दिया।

कम उम्र के निकले दूल्हे की शादी रुकवाई

बालविवाह रोकने सक्रिय कार्यरत महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी।

पंडित-कैटरर को भी बताना होगी दूल्हा-दुल्हन की उम्र

21 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह और सामूहिक विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और पंडित को भी आयोजन किया जाए है कि उन्हें लड़का या लड़की की शादी की लिए वास्तविक उम्र की पूरी जानकारी होनी। जिला अतिरिक्त एवं बाल विकास विभाग की [illegible] उपलब्धताक्ष डॉ. मंजुलता तिवारी ने बताया कि अक्षय तृतीया पर शादियां रोकने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां पर सूचना दी जा सकती है।

नाबालिग की शादी की यहां करें शिकायत

यदि आपके क्षेत्र में या आसपास नाबालिग लड़के-लड़की की शादी होने जा रही है तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर 0731-2792100 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

पूजा को कोर्ट ने बाल विवाह के बंधन से किया मुक्त

पिता और शादी करने वाले युवक पर दर्ज होगा केस

भास्कर संवाददाता | मंदसौर

बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली पूजा को आखिर एक साल की कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिल ही गया। गुरुवार को कुटुम्ब न्यायालय ने बाल विवाह को शून्य घोषित करने के साथ ही बाल विवाह कराने के लिए पूजा के पिता व नाबालिग से शादी करने वाले युवक व उसके पिता खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर जिले में पूजा दूसरी किशोरी है जिसने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और न्यायालय में जाकर लड़ाई भी जीती। पूजा के बाल विवाह की कहानी 7 जनवरी 2015 को कचनारा फ्लैग में शुरू हुई। पिता जगदीश आंजना ने उसकी शादी कचनारा निवासी सुल्तान पिता नागूलाल आंजना से शपथ-पत्र के माध्यम से कराई थी। शेष|पेज 9 पर

पूजा बोली- मैं पढ़ना चाहती थी इसलिए की शिकायत

मेरी शादी शर्तों के तहत हुई थी। मेरे भाई की शादी सुल्तान की बहन से हुई थी और मेरी शादी सुल्तान से। परिवार के दबाव में उस समय तो कुछ नहीं बोल पाई किंतु मैं आगे पढ़ना चाहती थी इसलिए बाल विवाह के खिलाफ आवेदन किया। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि इसमें मेरे पिता के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जानती। मैं फिलहाल माता-पिता के साथ रहती हूं। अभी कक्षा 10 वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा है। -जैसा पूजा ने भास्कर को बताया

लाडो अभियान: बाल विवाह रोकने कार्यशाला

- बाल विवाह रोकने ब्यूटी पार्लर, हलवाई और टैंट हाउस संचालक करें मदद

मुख @ पत्रिका

mp.patrika.com

महिला सशक्तिकरण के तहत लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने पर जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला कलेक्टर राजेश जैन की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई।कलेक्टर जैन ने कार्यशाला में कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, इसमें जो लोग विवाह समारोह में सेवाएं देते हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, बैण्डवाला, घोड़े वाला, ब्यूटी पार्लर, टेण्ट हाउस, डॉक्टर्स, धर्मगुरू एवं समाज के मुखिया के सहयोग की आवश्यकता है।कार्यशाला में एडीशेक की कन्सल्टेन्ट अर्द्धा मराठे, स्टेट कन्सल्टेन्ट गुरमीत, एसडीए दिनेश शुक्ला, महिला सशक्तिकरण अधिकारी आरती सेंगर आदि उपस्थित थे।

चाय बेचने वाली इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगी लाडो की ब्रांड एंबेसेडर

- कलेक्ट्रेट परिसर में छोटे से ठेले पर चाय बेचकर गुजारा करने वाले पिता की बेटी ने अपने सपनों को भी दिया है पंख, कबड्डी की खिलाड़ी बनकर किया देश का नाम रोशन

सराहनीय प्रयास...

नहीं होने दी नाबालिग बहन की शादी

बड़ी मां करवा रही थी बाल विवाह, पहुंची पुलिस, शौर्या दल

पत्रिका सोशल प्राइड

patrika.com

सिरवी. रविवार को एक नाबालिग बालिका की शादी की तैयारी हो रही थी, तभी उसके भाई ने परिवार का विरोध करते हुए बहन की बाल विवाह से बचाने की हिम्मत दिखाई और यह अपनी कोशिश में सफल भी हो गया। मामला लखकबड़ थाना क्षेत्र के सिरवीया गांव का है।

सिरवी के कटारी रोड कैके कॉलोनी निवासी साहे सोलह वर्षीय पुत्रवती तक पढ़ी बालिका के माता-पिता के न रहने पर उसकी बड़ी मां के द्वारा रविवार को पिपलिया गांव के एक 22 वर्षीय युवक के साथ बाल विवाह किए जाने की तैयारी थी। ये कार्यक्रम भी हो जाते लेकिन विवाह से ठीक पहले बालिका के बड़े भाई को इसकी खबर लग गई और उसने तुरंत बहन के बाल विवाह को रुकवाने लखकबड़ पुलिस एवं महिला सशक्तिकरण विभाग को सूचना दी।

बाल विवाह की सूचना पाकर लखकबड़ थाना पुलिस एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा गठित शौर्य दल के सदस्य रघा उपाध्याय, दिलीप दुबे व अन्य ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए उन्हें [illegible] थाना लाया। यहां दोनों पक्षों समझाइश देते हुए बाल विवाह के दोष व भारतीय दण्ड विधान नाबालिग होने वाले अपराध की जानकारी दी।

तब दोनों पक्ष इस बात पर हुए कि दो माह के बाद बालिका बालिग हो जाएगी, शादी करेंगे। बालिका के परिवार इस रजामंदी पर अपनी सहमति जो यहां नागरिकों द्वारा सराहना की जा रही है।

मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर

थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्रान्तर्गत खुन्टी देवी पुत्री विरजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को दिनांक 21.अप्रैल. 2016 को अपने पिता के द्वारा उसका विवाह जबरजस्ती कराए जाने संबंधी पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह 17 वर्ष की अवयस्क छात्रा है तथा कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है। वह अभी शादी नहीं करना चाहती है। अतः उसकी पढ़ाई अवधि तक उसकी शादी रोकी जाए। आवेदन पत्र से पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा द्वारा थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम को निर्देशित किया गया कि वे प्रार्थिया के कथनों की तस्दीक करें एवं उक्त छात्रा के पिता को समझाईस दें कि यदि उनकी पुत्री अवयस्क है तो उसका विवाह न किया जाए।

अवयस्क छात्रा ने पुलिस अधीक्षक से किया अनुरोध

थाना प्रभारी थाना राजेन्द्रग्राम ने छात्रा के गृह ग्राम जाकर उक्त छात्रा के कथनों की तस्दीक की एवं यह पाया कि वह छात्रा 16 वर्ष 8 माह (जन्म तिथि 13/08/1999) की है एवं छात्रा ने अपने कथनों की तस्दीक करते हुए कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती एवं अभी वह विवाह नहीं करना चाहती है। समझाईस पर छात्रा के पिता ने थाना प्रभारी को वचन दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह वयस्क होने के बाद ही करेगा। उक्त छात्रा के अध्ययन के लिए जिताधीश अनूपपुर से सम्पर्क किया जा रहा है ताकि उक्त छात्रा का अध्ययन जारी रख जा सके एवं उसे विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाकर मदद की जा सके एवं बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने एवं महिला साक्षरता की वर्तमान समस्या की प्रासंगिकता को देखते हुए उस छात्रा को उचित मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा ताकि कुरीतियों से लड़ने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन भी मिल सके।

बाल विवाह रोकने में सेवा प्रदाता आगे आएं

महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने कहा

आगर-मालवा। महिला सशक्तिकरण विभाग ने लाड़ो अभियान में खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विवाह आयोजन में सेवा व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए।

कार्यशाला जाई 15 के आंगनवाड़ी केन्द्र पर सोमवार को हुआ। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी रीना शर्मा ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए रोकने में सेवा प्रदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उपस्थित टेंट, हलवाई, डोरी, जाई, बैंड, प्रीटिंग आदि व्यवसायों से जुड़े सेवा प्रदाताओं से अपील की कि विवाह से संबंधित जानकारी पर ध्यान देकर यदि बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी सूचना सशक्तिकरण विभाग को देकर अभियान में मदद कर सकते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में आगर परियोजना अधिकारी मनीषा वर्मा ने अभियान की रूपरेखा बताई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। विधि विशेषज्ञ मालवीय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का विवरण दिया। पार्षद प्रतिनिधि कमल जाटव ने भी विचार रखे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में बाल विवाह का हिस्सा नहीं बनने पर ऐसे विवाह में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करने की शपथ सभी उपस्थितों ने ली। पर्यवेक्षक राजू चौहान, रमा जैन, कृष्णा कामरिया, आशा ठाकुर कंचन सांकले आदि उपस्थित थे।

काजी का निकाह कराने से इंकार, कहा बाल विवाह गम्भीर अपराध है

बाल संरक्षण के प्रयासों से बढ़ रही सामाजिक जागरूकता

मंदसौर, 20 सितम्बर। खानपुरा क्षेत्र में गत दिवस दो बालिकाओं के बाल विवाह की सूचना पर पहुँचे बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा को परिजनों ने दोनों बेटियों के उम्र के प्रमाण निकाह से पूर्व दिखाने का वादा किया किंतु परिजनों द्वारा इस गम्भीरता से नहीं लिया गया और वे दस्तावेज लेकर कार्यालय नहीं पहुँचे तो अधिकारी ने अपने सूचना तंत्रों को निगरानी के लिए तैनात किशोरावस्था संबंधित कार्य पहुँचे शहर काजी को जब परिजनों ने टीम के आने की जानकारी दी तो शहर काजी आरिफुल्लाह उम्र के प्रमाण देखने के बाद ही निकाह कराने के लिए तैयार हुए।प्रमाण देखने के बाद जब उन्हें पता चला कि एक बालिका की आयु 18 से कम है तो उन्होंने उसका निकाह कराने से इंकार कर दिया।

लाडो अभियान की सफलता– सदियों से प्रचलित सामाजिक दुष्प्रथाओं को मिटाने के लिए सामाजिक सहयोग अति आवश्यक है।समाज के प्रबुद्ध वर्ग का नैतिक दायित्व है कि वे लोगों को जागरूक करें तभी इस प्रकार की बुराइयों को समाज से मिटाया जा सकता है।शहर काजी के द्वारा अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।यदि ही सही पर लाडो अभियान से लोग जागरूक तो हो रहे है।

लोगों में महिला सशक्तिकरण द्वारा किये गए प्रचार प्रसार से भय उत्पन्न हुआ है।बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में सहयोगियों को भी 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये तक के अर्थ दंड के प्रावधान रखे गए है।

समस्याओं के निराकरण को लेकर विधायक श्री देवड़ा को सौंपा ज्ञापन

लाडो अभियान: बाल विवाह रोकने कार्यशाला

- बाल विवाह रोकने ब्यूटी पार्लर, हलवाई और टैंट हाउस संचालक करें मदद

मुन्ना @ पत्रिका

mp.patrika.com

महिला सशक्तिकरण के तहत लाड़ो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने पर जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला कलेक्टर राजेश जैन की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई।कलेक्टर जैन ने कार्यशाला में कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, इसमें जो लोग विवाह समारोह में सेवाएं देते हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, बैण्डवाला, घोड़े वाला, ब्यूटी पार्लर, टेण्ट हाउस, ट्रांसपोर्टर, भार्गगुरू एवं समाज के मुखिया के सहयोग की आवश्यकता है।कार्यशाला में यूनीसेफ की कन्सल्टेन्ट अर्द्धता माहेे, स्टेट कन्सल्टेन्ट गुरमीत, एसडीए दिनेश शुक्ला, महिला सशक्तिकरण अधिकारी आरती गेयल आदि उपस्थित थे।

मैरिज गार्डन संचालकों को लेना होगा वर-वधू की उम्र का प्रमाण

इंदौर। शादी समारोह की बुकिंग से पहले धर्मशाला और मैरिज गार्डन संचालकों को संबंधित परिजन से दूल्हा-दुल्हन की उम्र का प्रमाणीकरण लेना होगा। यहां नाबालिगों की शादी होते मिली तो माता-पिता के साथ संचालकों पर भी कार्रवाई होगी।

नाबालिग बेटियों की शादी में इंदौर सबसे आगे है। शासन ने इस पर गंभीर होते हुए हाल ही में लाडो कार्यक्रम के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत धर्मशाला और गार्डन संचालकों के लिए पंजीयन भी है। इसके अलावा सभी मंदिरों में

गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई, पंडितों को भी समझाइश

लड़का-लड़की की शादी की सही उम्र के हॉर्डिंग लगेंगे। यहां भी पंडितों को समझाइश दी जाएगी कि जोड़े की सही उम्र देखकर ही उनकी शादी करवाएं। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान नोटिस बोर्ड पर लिखे जाएंगे।

कम उम्र में शादी के नुकसान बताएगा शौर्य दल : जिन इलाकों में ज्यादा बाल विवाह होते हैं, वहां के लोगों को शौर्य दल जागरूक करेगा। मूसाखेड़ी, आजादनगर, भागीरथपुरा, चंदननगर आदि ऐसे इलाके हैं, जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अधिकारी संजय भारद्वाज ने बताया कि शौर्य दल लोगों को शादी की सही उम्र की जानकारी देगा। कम उम्र में शादी करने के नुकसान बताए जाएंगे, ताकि लोग बाल विवाह की गलती न करें। –नप्र

नाबालिग लड़की ने साहस दिखाकर रुकवाया अपना विवाह

किशोरी ने खुद एसपी से कहकर रुकवाई शादी

अनूपपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

जिले के थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्रांतर्गत खोखा गांव की खुन्टी देवी पुत्री विरजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा को 21 अप्रैल को अपने पिता के द्वारा उसका विवाह जबरदस्ती कराए जाने संबंधी पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह 17 वर्ष की अवयस्क छात्रा है तथा कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत है। वह अभी शादी नहीं करना चाहती है। इसलिए, उसकी पढ़ाई अवधि तक उसकी शादी रोकी जाए। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम को निर्देशित किया कि वे प्रार्थिया के कथनों की सत्यता को जानते हुए छात्रा के पिता को समझाईस दें कि यदि उनकी पुत्री अवयस्क है तो उसका विवाह न किया जाए। यह पत्र किशोरी ने खुद पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने छात्रा के गृह ग्राम जाकर छात्रा के कथनों की सत्यता जांची तथा पाया कि वह छात्रा 16 वर्ष 8 माह (जन्म तिथि 13 अगस्त1999) की है एवं छात्रा ने बताया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। समझाईस पर छात्रा के पिता ने थाना प्रभारी को वचन दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह वयस्क होने के बाद ही करेंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा का कहना है कि किशोरी खुद पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई और पत्र दिया। जिसके बाद सही जानकारी लेकर उनके परिजनों को समझाईस दी गई। साथ ही अब प्रयास है कि उसकी पढ़ाई जारी कर विशेष प्रयोजन में सम्मानित किया जाए।

...और दूल्हा नहीं चढ़ सका घोड़ी

रविवार को महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन की टीम ने रुकवाए चार बाल विवाह

भास्कर संवाददाता | इंदौर

गुलमोहर कॉलोनी में दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने ही वाला था। बरात रवाना होना थी कि अचानक प्रशासन की टीम पहुंच गई। बराती चौंक गए। लड़के के अंकसूची बुलवाकर चेक की तो उसमें उम्र 18 साल निकली। अफसरों ने परिजनों को डांट लगाई और 21 साल की आयु से पहले शादी नहीं करने का कहा। इसके बाद टीम तेजाजी नगर के उमड़ी छोड़ा पहुंची। यहां भी एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा था। परिजनों से पूछा तो गलत जानकारी दी। टीम ने दस्तावेज चेक किए तो उम्र 15 वर्ष निकली। तत्काल विवाह रुकवा दिया गया। महिला एवं बाल विकास और चाइल्ड लाइन की टीम ने रविवार को कुल चार बाल विवाह रुकवाए। साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण शपथ पत्र नहीं लिए जा सके। सोमवार को माता-पिता और आयोजकों से शपथ पत्र लिए जाएंगे।

सामूहिक विवाह में भी हो रहा था नाबालिग का विवाह

टीम सदस्य अनिरुद्ध यादव ने बताया आजाद नगर में 36 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना था। आयोजकों ने टीम से पूछा तो बताया कि उन्हें जोड़े के नाबालिग होने की सूचना मिली थी। जब रजिस्टर चेक किया तो उसमें दर्ज नामों में से एक नाम कटा था। आयोजकों ने कहा- उन्हें पता चल गया था कि एक लड़की नाबालिग है इसलिए उसका विवाह पहले ही रद कर दिया गया। हालांकि टीम सदस्यों को पूछताछ में पता चला कि लड़की की मां उम्मीदवारी उतरी वाली कन्या वही थी जबकि लड़की की उम्र 16 साल ही थी।

14 साल की लड़की की हो रही थी शादी

इसके बाद टेलीफोन नगर में भी बाल विवाह होने की सूचना मिली। जब टीम वहां पहुंची तो 14 साल की लड़की का विवाह कराया जा रहा था। वहां बाल विवाह रुकवाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। टीम में महिला एवं बाल विकास और चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान भगवानदास साहू, अतीष, कजेद, नोमिका और तुलीका जोहरे मौजूद थे।

रैली से दिया बाल विवाह रोकने का संदेश

• महिला सशक्तिकरण दिवस का आयोजन

नाबालिग दुल्हन ने बारात आने से पहले पुलिस को फोन कर रुकवाई शादी

भास्कर संवाददाता | दतिया. दतिया के ग्राम कुरथरा में एक 17 साल की लड़की की शादी उसके पिता जबरन करा रहे थे। 13 जुलाई को गांव में बारात आनी थी लेकिन मंगलवार को लड़की ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके अपनी शादी रुकवाई।

बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम कुरथरा में रोका विवाह

जानकारी के अनुसार दयाराम पुत्र मदन अहिरवार ने बेटी नीलम (17) की शादी राहुल पुत्र रामप्रसाद, झांसी उप्र के साथ तय की थी। बुधवार 13 जुलाई को गांव में नीलम की बारात आने वाली थी। मंगलवार को ही नीलम ने खुद ही अज्ञात व्यक्ति के रूप में पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन लगाकर बताया कि गांव में बाल विवाह हो रहा है।

शेष पेज 9 पर

बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले

बेटे-बेटियों को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित

मंदसौर जिले की दो बालिकाओं व एक बालक ने लाडो अभियान से प्रेरणा लेकर अपने बाल विवाह के खिलाफ अपनों का विरोध सहन कर स्वस्फूर्त स्वप्रेरणा से न्यायालय तक पहुंचकर जंग जीतकर सफलता प्राप्त की है। खत से में राज्य शासन द्वारा इन्हें पुरस्कार स्वरूप 51-51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की गई तथा इन्हें ब्रांड एम्बेसेडर भी बनाया गया है। कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया बाल विवाह की खिलाफत करने वाले 10 लोगों को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष गठित पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाता है। इसमें मंदसौर जिले से दो बालिकाओं एवं एक बालक का चयन हुआ है। इसमें नेहा कडक्या, ललिता मीणा तथा गोविन्द गरासिया को चयनित किया गया है। उन्होंने कड़ा सम्मान में न्यास कुसलिये को मिलना आसान नहीं लेता है। उन्हें तभी मिलेगा जब सकता है, जब पूरे समाज का सहयोग मिले। जिले के जिन बेटे व बेटियों ने बाल विवाह के खिलाफ आगे आकर आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 20 नवम्बर को घोषणा में इन सभी को 51-51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

लाडो अभियान से मिली सफलता

नाबालिक का बाल विवाह कोर्ट ने किया शुन्य घोषित

मंदसौर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अविनाश कुमार खरे ने पूजा विरुद्ध सुल्तान के प्रकरण में महिलाहितैषी निर्णय पारित किया है। कोर्ट ने आवेदिका पूजा पिता जगदीश अंजना निवासी कामखेड़ा प्रकरण के बाल विवाह शून्यीकरण के मामले में यह फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अल्पवयस्क पूजा का विवाह दिनांक 7.01.2015 को मोटरी के माध्यम से सुल्तान आंजना निवासी बड़कातरा परोण तहसील दलोदा के साथ हुआ था। कोर्ट ने प्रकरण में मोटरी के माध्यम से विवाह कराने वाले मोटरी अभिभावक सुल्तान मोहम्मद कुरैशी को भी तलब किया और उन्हें भी नोटिस जारी किया कि फरियादी के सज्ञान वय होने से पूर्व आयु के प्रमाण

आवेदक रूप से ने ,वही न्यायालय ने प्रकरण में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं कलेक्टर की ओर से नियुक्त बाल चिल्ड एवं बाल संरक्षण अधिकारी राजेन्द्र शर्मा को अल्पवयस्क पूजा के पति एवं अन्य के विरुद्ध

Mandsaur admin makes registration of marriage before ceremony mandatory

INITIATIVE First district in state to implement the policy to stop child marriages; to fine violators

• District child protection office has stopped at least 31 underage marriages in the district in the last five months. PIC FOR REPRESENTATION

Rohit Soni

MANDSAUR: The Mandsaur district administration has made it mandatory to register marriages before a couple go through the actual marriage ceremony, said an official on Sunday.

With the initiative, Mandsaur became the first district in the state to implement such a policy, and violators will attract a fine of Rs 5000, said Raghvendra Sharma, district child protection officer.

The order was issued on August 10, he said.

"Our main aim is to end child marriage in the district besides helping the bride get a new document for and save her from future legal hassles."

Child marriages are common in Mandsaur bordering Rajasthan and though over the years incidents of child marriage have come down, but the practice is still prevalent, especially in the rural areas of the district.

District child protection officer Raghvendra Sharma said, "It is difficult to say how many child marriages take place in the district, but in the last three years we prevented at least 124 child marriage and another 31 in the last five months."

To ensure that the initiative is successful, people who provide services for marriages, including priests, caterers, decorators, and music bands, have been asked to ensure that the marriage has been registered before they provide their services or they will be penalised, said Singh.

Madhya Pradesh has great laws against child marriage and if child marriage is proved then punishment under Section 10 of the Prevention of Child Marriage Act, 2006, the accused will pay a fine of Rs 1 lakh and face a jail term of two years.

In another initiative, the administration has launched an mobile phone number "dulhan mera sapna" (bride is my dream), which a person can send a message to inform the authorities of a child marriage and a whatsapp number was also launched by the district collector and child welfare department.

"The name of the informer will not be disclosed as the initiative has proved beneficial," he said.

जिम्मेदारी नागरी विवाह समारोहों पर निगरानी रखने प्रशासन ने की तैयारी, सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दिए निर्दे

बाल विवाह रोकने कार्डों पर छपेगी वर-वधू की उ

भास्कर संवाददाता | मुरैना

शादी के आमंत्रण पत्र या कार्ड में वर-वधू की उम्र भी लिखी जाएगी। दरअसल जिले में विवाह सम्मेलनों के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक सूत्र पर की है। इसके लिए सभी प्रिंटिंग प्रेस को कहा गया है कि वे शादी के कार्डों में संभावित वर-वधू की उम्र का उल्लेख भी करें। साथ ही तहसीलदार की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है।समिति में पुलिस प्रशासन सभी के सुझावों पर काम करेगा। जिले के 18 थानों में से 10 थानों में 100 से ये 35 नाबालिकों की शादी 18 साल से कम आयु में हो रही है।

जिले में हर साल होते हैं बाल विवाह

बाल विवाह की शिकायत को जिला स्तरहर साल 112, 1098 और 181 पर दर्ज कराई जाती है। इन में से अधिकांश शिकायतें ऐसी होती हैं, जो शादी के 1 या 2 दिन पहले दर्ज कराई जाती हैं। इसके बाद प्रशासन के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

सिंहस्थ के दौरान भयंकर मृत्यु दोष होने की बात ज्योतिषियों द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इसे पवित्र तिथि मानते हुए कई लोगों ने विवाह सम्मेलन होने की बात कही है। इसके लिए प्रशासन ने दो स्तरों पर तैयारी की है। एक ओर प्रशासनिक स्तर पर समिति बनाई है। वहीं विवाह में शामिल होने वाले वर-वधू की जानकारी चौथी पढ़ी है। इनमें प्रिंटिंग प्रेस, पंडित, हलवाई और कार्ड तक कि टेंट वाले भी शामिल होंगे।

समितियों की होगी जिम्मेदारी : तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी स्तर पर यह काम करे। प्रशासनिक व सिविल स्तर पर कोआर्डिनेशन करते हुए बाल विवाह रोके जाएं। समिति में जनपद सीईओ, सर्किल मजिस्ट्रेट अधिकारी, महिला

साहस को सम्मान महिला सशक्तिकरण के लिए करेंगी प्रचार, बाल विवाह के खिलाफ लड़ी थी अपनों से जंग

नेहा, ललिता व गोविंद बनेंगे मप्र के ब्रांड एम्बेसेड

संदलपुर। चयनित

बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए अपनों के खिलाफत की राहें तय नेहा कड़ाक्या, ललिता मीणा व गोविंद गरासिया अब राज्य सरकार के ब्रांड एंबेसेडर बनेंगे। ये जनता खानाबंदोबस्त के लिए प्रचार करने के साथ ही बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने को काम भी करेंगे।

सरकार ने 2015अभार से 10 लोगों को चुना है। इनमें ये तीन भी शामिल हैं। तीनों को 51-51 हजार रुपए का

ललिता

नेहा

पुरस्कार भी दिया गया। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी राकेश सरकार ने तीनों उपविजय से फोन लेकर खत विवाह के खिलाफ अपनों का विरोध सहन कर न्यायालय तक पहुंच कर जंग जीती हैं। बेटियों का सौभाग्य देखकर रोते भी पीछे नहीं रहे। राज्य शासन प्रतिवर्ष बाल विवाह की रोकथाम करने वाले 10 लोगों को पुरस्कृत करता है। इस बार इसमें जिले से नेहा कड़ाक्या, ललिता मीणा व गोविंद गरासिया को चुना गया है।

शासन द्वारा पुरस्कार स्वरूप 51000-51000 हजार रुपए भी देय। साथ ही इन्हें ब्रांड एंबेसेडर भी बनाया गया है। कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 20 नवम्बर को घोषणा में इन सभी को 51-51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

कालाखेत की देशी शराब दुकान अधिनियम अनुसा

संदलपुर। कालाखेड़ा में बनाया विद्यालयों के ढांचा चल रही देशी शराब दुकान के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए कलेक्टर को सख्त जानकारी जनवरीकाल 2015 एवं नियमों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति एडोसव को सौंपी।

डॉ. राधवेंद्रसिंह तोमर व जनवेद वैद्य ने अधिवक्ता अविनेष कुलश्रेष्ठ के माध्यम से हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कालाखेड़ा में बनाया विद्यालयों के ढांचे के पास देशी शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह दुकान विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर है। जबकि नियमों के अनुसार विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोली जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह दुकान खोलने के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह दुकान खोलने के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है।

Fight against child marriage: 3 tribal teens appointed brand ambassadors

Rohit Soni

MANDSAUR: The state government recently made three 17-year-old tribals – two girls and a boy – from Mandsaur brand ambassadors for the fight against child marriage. Neha Kachawa, Lalita Meena (both girls) and Govind Garasia – all got married against their wishes in their teens — are among the 10 children selected by the state government for their brave stand against child marriage despite opposition from their families and societal pressures.

Instead of accepting the trapped life as their fate, they fought back and got their marriages annulled thanks to the Prohibition of Child Marriage Act, 2006. Now all of them are pursuing their studies to fulfill their dreams. Now, the state government too has appreciated their stand and announced to give Rs 51,000 to each of them. Here they share their stories with the Hindustan Times.

NEHA KACHAWA

Neha, who belongs to the nomadic Sanjara tribe, was just 12 when she was married off to Mahendra of Nimbaheda city in Rajasthan in May 2012. Needless to say, she didn't even understand the meaning of marriage at that tender age.

Through an awareness drive called Lado Campaign in her school, Neha came to know that she could her child marriage annulled under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006. She wanted to pursue her studies and become a police officer while her parents wanted to send her to in-laws' place to manage their household. She realised that her dreams would be shattered if she obeyed her parents.

Talking to Hindustan Times, Neha said her parents became furious on when she told them about her decision. "I refused to be owned down and my parents drove me away from my house," she said.

She then knocked the doors of women and child welfare department officials and they took her under her wing and put her up at a shelter home. Officials tried to convince her family members but they refused to relent. Then district women empowerment officer Ravindra Mahajan came out in her support and a case was filed on her (Neha) behalf for annulling her marriage. The family court annulled her marriage on April 27, 2014 and told her to pay her Rs 1,200 per month for her maintenance. Kaderiya Vibhuti Jafayo Samman, a trust in Ujjain, gave an award of Rs 21,000 to Neha for her brave stand. Neha now studies in Class 12 in a government school.

The Lado Campaign, an innovative flagship programme of the government of Madhya Pradesh, aims to eradicate child marriages through prevention and proactive measures throughout the year, actively involving the community, especially children as agents of change.

GOVIND GARASIA

A Sanjara tribal from Akolkheri village in Sitamau tehsil, Govind was married off against his wishes on April 9, 2015 to a girl who was eight years older to him.

Govind wanted to pursue his studies but marriage was a distraction. In addition, his child marriage also made him ineligible for any government job which he wanted to get. He approached the women empowerment officials who told him the process to get his marriage annulled. They also execute a computer course through a government scheme.

LALITA MEENA

A Sahariya tribal from Nimbahera, Lalita was only 15 when she was married off by her uncle to Meena of Pratappur district in Mawasada village in Rajasthan in 2014. When she reached her in-laws' house she came to know that her husband was already married. When she protested, he started torturing her and even slapped her from a rooftop. Besides, she also had to do all household chores during this period.

"I was distressed with my in-laws' brutal behaviour and requested to my widow mother to take me back home and started pursuing my case in the local government school. I came to know about my rights through the Lado campaign," says Lalita. Then she approached the women empowerment officials who told her the process to get her marriage annulled. They also execute a computer course through a government scheme.

शौर्या दल

राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने व उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य प्रत्येक आँगनवाड़ी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्या दल का गठन किया गया है शौर्या दल का गठन निरन्तर प्रकिया होगी। इस दल में कुल 10 सदस्य होंगे, इस दल में ग्राम के संवेदनशील तथा जनसमुदाय स्वीकार्यता रखने वाले महिला,पुरूष एंव युवाओं को सदस्य के रूप में चुना जायेगा। आँगनवाड़ी कार्यक सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता, भी इस दल की सदस्य होगी। यह दल पंचायत स्तर पर समुदाय को महिलाओं बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास, आवश्यक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगा। सामाजि कुरीतियों में सुधार लाने और महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुये समता मूलक स निर्मित करना है। शौर्या दलों का गठन आँगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर किया जा रहा है।

शौर्या दल के लक्ष्य एवं उद्देश्य –

1. शौर्या दल महिलाओं की युगानुकूल गरिमा व देशानुकूल महिमा बनाये रखने के लिए स्वप्रेरणा, संवेद जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभायेंगे।
2. परिवार व समाज के स्वास्थ्य के लिये महिला को स्वस्थ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वावलंबी व सक्षम होना आव है। इस दिशा में शौर्या दल–प्रकृति से बेहतर तालमेल, सामाजिक परम्परा एवं विज्ञान, अधिकार व कर्तव्य समावेश कर महिलाओं के माध्यम से सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानवीय व देश प्रेम से ओतप्रोत होकर ग मोहल्ले का विकास करेंगे।

शौर्या दल का स्वरुप –

शौर्या दल का गठन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में आँगनवाड़ी स्तर पर किया जा रहा है। शौर्या दल में 10 स होंगे, इस दल में ग्राम/वार्ड के संवेदनशील तथा जनसमुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले 5 महिला व 5 पुरु चुना जायेगा। प्रकृति, समाज तथा अपने गांव व मोहल्ले के लिये संवेदनशील व स्वेच्छा पूर्वक सामाजिक का लिये तत्पर हों।

शौर्या दल के मुख्य कार्य एवं भूमिकाएं –

1. राष्ट्रीय पर्वो पर उत्साह के साथ समाज को जोडने हेतु स्वयं स्कूलों में व आंगनवाड़ियों में उपस्थित रह बच्चों का देश से प्रगाढ़ रिश्ता बनाने के लिये छोटी–छोटी सरल कविताओं व नारे बच्चों से बुलवाना।
2. किसी भी हिंसा से पीडित महिला (जैसे दहेज, हिंसा, बीमारी, लैंगिक अपराध, इत्यादि) को सहायता दिल लिये उपयुक्त शासकीय अधिकारी से संम्पर्क करना।
3. बाल विवाह न करने के लिये समाज में जागरूकता लाना।
4. "शौचालय नही तो शादी नही" तर्ज पर घर–घर में शौचालय बनाने व उपयोग करने हेतु ग्रामीण रहवासियों को जागरूक करना।
5. लालिमा अभियान के अंतर्गत रक्ताल्पता (एनीमिया) अर्थात शरीर में खून की कमी में सुधार लाने हे स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) तथा ऑगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना।
6. प्रत्येक परिवार में तथा सामुदायिक व सरकारी खुले स्थानों पर वृक्षारोपण, किचिन गार्डन इत्यादि में पंच पोषण के लिये सम्पूर्ण ग्राम की कार्ययोजना तैयार करना। कार्ययोजना, ग्रामवासियों, महिला एवं बाल वि विभाग, उद्यानिकी, वन, कृषि विभाग आदि के जमीनी अमले के साथ मिलकर बनाई जाये। प्रथम एवं ह

वर्ष में कियान्वयन हेतु गतिविधियां सुनिश्चित करना। ये गतिविधियां उद्देश्यों के अनुरूप स्पष्ट व परिणाम मूलक हो, जिनके परिणामों के स्पष्ट मापक निर्धारित हो।

7. पोषण के ज्ञान को व्यवहार में लाने हेतु जागरूकता के लिये घर घर जाकर सम्पर्क करना।
8. आँगनवाडी केन्द्रों पर महिलाओं और बच्चों को सप्ताह में एक बार देश प्रेम वीरता की प्रेरणा देने वाली अथवा मिट्टी, पानी व वृक्षों के प्रति संवेदनशील करने वाली सत्य घटनायें सुनाना, लोक गीत, नृत्य अथवा अन्य स्थानीय रूचि के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियां करना।
9. ग्राम सभा में स्वयं उपस्थित रहना एवं ग्रामवासियों को ग्राम सभा में भागीदारी करने हेतु प्रेरित करना। साथ ही भागीदारी न करने से होने वाले अनुचित संभावित निर्णयों से सचेत करना।

शौर्या दल गठन –

- 51 जिलों के ग्राम /वार्डो में आँगनवाडी केन्द्र स्तर पर लगभग 61341 दलों का गठन किया जा चुका है।

प्रशिक्षण

1. शौर्या दलों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 42 मास्टर ट्रेनर तैयार किये। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित किया गया था प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन पीएसआई संस्था दिल्ली के विषय विशेषज्ञ द्वारा किया गया। मास्टर ट्रेनरों को आयुक्त, महिला सशक्तिकरण द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।
2. 51 जिलों में ग्राम पंचायत/वार्ड स्तरों पर गठित 15313 शौर्या दलों के 261310 शौर्या दल सदस्यों का प्रशिक्षण संपन्न किया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जेण्डर, महिला समानता, महिला संरक्षण से जुडे कानून, बाल विवाह,बालक/बालिकाओं के साथ हो रहे लैगिंक अपराध, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि विषय पर आयोजित किये गये।

शौर्या दलों का सम्मेलन–

1. 4 जून 2016– शौर्या दलों की क्षमतावृद्धि आंकलन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर होटल पलास, भोपाल में माह 4 जून 2016 में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, श्रीमती जयश्री कियावत आयुक्त महिला सशक्तिकरण संचालनालय, श्रीमती तनुश्री सोनी, निदेशक तकनीकी सेवाऐं,पी.एस.आई. संस्था दिल्ली एवं प्राचार्य महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोद्य विश्वविधालय, चित्रकूट आदि ने भाग लिया। कार्यशाला में सभी 51 जिलों के जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, विकास खण्ड सशक्तिकरण अधिकारी और शौर्या दल के सदस्य कुल 143 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2. 16 जून 2016–महिला सशक्तिकरण, संभाग जबलपुर द्वारा शौर्या दलों की संभाग स्तरीय कार्यशाला जिला मण्डला में माह 16 जून 2016 में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य संभाग के समस्त जिलों में शौर्या दलों द्वारा किये जा रहे अनुकरणीय कार्यो/अनुभवों का आदान प्रदान करना एवं शौर्या दल सदस्यों की क्षमतावृद्धि करना था। संभाग स्तरीय कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल से आयुक्त, श्रीमती जयश्री कियावत, उप संचालक श्रीमती रचना बुधोलिया, मण्डला जिले की कलेक्टर सुश्री प्रीति मैथिल एवं सभागीय उप संचालक श्रीमती मनीषा लुम्बा आदि ने भाग लिया। कार्यशाला में संभाग के सभी जिलों के जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारियों, विकास खण्ड अधिकारियों और शौर्या दल सदस्यों ने भाग लिया। संभाग स्तरीय कार्यशाला में सभी जिलो ने अपने अपने जिलों में शौर्या दलों द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यो की प्रदर्शनी भी लगाई।

3. 24 जून 2016–रानी दुर्गावती बलीदान दिवस पर शौर्या दल का राज्य स्तरीय सम्मेलन समन्वय भवन, भोपाल में महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोद्या, विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त महिला सशक्तिकरण संचालनालय, आयुक्त एकीकृत बाल विकास आदि ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रानी दुर्गावती के बलिदान को याद करना और उससे प्रेरणा लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यो को करने हेतु शौर्या दल सदस्यों को प्रेरणा देना था। सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों से लगभग 900 शौर्या दल सदस्यों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि ने भाग लिया।

विशिष्ट उपलब्धियां–

1. महाकुंभ सिहंस्थ 2016 में व्यवस्था बनाने तथा महिलाओं एवं बच्चों को आपात स्थिति में वद जीमे चवज मदद करने के कार्य में शौर्यादल के महिला सदस्यों का सहयोग लिया गया है। ये सभी महिलाएं स्वस्फुर्त एवं विशेष सेवाभावी थी अतः उज्जैन शहर एवं आसपास के गांवों की 200 महिलाओं को पुलिस विभाग के द्वारा विधिवत प्रशिक्षण दिया जाकर मेला अवधि में सोशल महिला पुलिस के रूप में इनकी सेवाएं ली गई। सिंहस्थ में शौर्या दलों की निम्न उपलब्धियां रही जिसमें 410 बच्चों को परिजनों को सौंपा गया, मेला क्षैत्र के 06 जोन में 06 खोया पाया केंद्र संचालित किये गये, 2923 महिलाओं के भटकने/खोने पर उनके परिजनों से मिलवाया गया, 1831 वृद्धजनों को भटकने/खोने पर उनके परिजनों से मिलवाया गया, 576 बच्चों को आपात स्थिति में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई गई, 1305 महिलाओं को बीमार होने, घबराहट तथा स्त्रीजन्य सहायता की गई, 796 वृद्धजनों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

2. स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तर एवं म.प्र. के समस्त जिलों में शौर्या दल के सदस्य परेड में सम्मिलित हुये।

   15 अगस्त 2016 को राज्य स्तरीय परेड में शौर्या दल को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। जिलों में आयोजित परेड को पुरस्कृत किया गया ।

3. शौर्या दलों के द्वारा कई अभूतपूर्व सफलताएं भी अर्जित की है, जैसे –बीमारी से ग्रसित महिलाओं की सहायता करना, गुमशुदा महिला को उसके घर पहुंचाना, भिक्षावृत्ति बच्चों की मदद करना, मतदान के प्रति जागरुक करना, छेड़खानी रोकना, ग्राम को नशा मुक्त करना, घरेलू हिंसा को रोकना, विधवा पुर्नविवाह, बाल विवाह रोकना, ट्रेफिकिंग रोकना, बच्चों का स्कूल में प्रवेश, स्कूल में मास्टर की उपस्थिति, स्कूल की इमारत को सुदृढ़ करना, ग्रामवासियों को वृक्षारोपण, स्वच्छता के प्रति जागरुक करना आदि अनगिनत कार्य बड़ी ही सहजता व सरलता से किए जा रहे है।

4. शौर्या दल की सफलताएं उनके ग्राम की उन्नति से झलकने लगी, दल के सदस्यों को जनता पहचानने लगी, महिलाएं अपनी समस्याऐं सुलझाने के लिए दल के सदस्यों से सहयोग मांगने लगे। दल के सदस्य भी सहर्ष सहयोग कर रहे है, बिना किसी मानदेय व स्वार्थ के यह समाजसेवी कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। दल के सदस्यों के सकारात्मक व्यवहार से महिला हिंसा के प्रकरणों में कमी आना तो प्रारम्भ हो गई है साथ ही सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण में भी बढ़ावा हुआ है।

5. शौर्या दल सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत बी.एस. डब्लू कोर्स में प्रवेश दिया है।

महिला नीति

महिला नीति

मध्यप्रदेश शासन महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता, उनके लिए न्याय, विकास एवं सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं विकास के लिए संचालित लाईफ साईकिल अप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश मे अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो, महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास मे समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

महिला नीति की अभिकल्पना

- समता, सम्मान, न्याय एवं सुरक्षा
- सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण ।
- गरिमा पूर्ण जीवन के साथ निर्णय लेने का अधिकार।

महिला नीति के उद्देश्य

- महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
- लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करना।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा जो व्यवसाय मूलक हो तथा क्षमता एवं कौशल विकास करे, प्रदान करना।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- विकास के संसाधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय मे भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जीवन कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण।

जवाहर बाल भवन

जवाहर बाल भवन, महिला बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण संचालनालय अंतर्गत संचालित शासकीय संस्थान है। जिसका उद्देश्य 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु, अभिवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुरूप उन्हें परस्पर मेलजोल बढ़ाने, प्रयोग करने, सृजन तथा प्रस्तुतिकरण के लिये विभिन्न गतिविधियॉं, अवसर व समान मंच प्रदान करना है एवं बच्चों के लिये तनाव रहित, बाधामुक्त व नवीकरण की संभावनाओं से युक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

जवाहर बाल भवन में बच्चों का प्रशिक्षण सामान्य रूप से पाठ्यक्रम रहित तथा परीक्षा मुक्त रखा गया है, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिरूचियों का विकास कर सकें, यहां बच्चों को प्रदर्शनकारी व रूपांकर कलाओं का ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चे उन कलाओं की बुनियादी जानकारी प्राप्त कर उन कलाओं की तकनीकी शब्दावली से अवगत हो सके। बच्चों का प्रवेश वर्ष में किसी भी समय कराया जा सकता है। बाल भवन में विभिन्न गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिये दो घन्टे का समय निर्धारित है, उस समयावधि में बच्चा प्रशिक्षक से चर्चा कर किसी भी सुविधाजनक कालखंड में आ सकता है।

जवाहर बाल भवन में संगीत, नृत्य, गृह विज्ञान, सिलाई–कढ़ाई, चित्रकला, नाटक, हस्तकला, मूर्तिकला, विज्ञान, खेलकूद, कम्प्यूटर, आधुनिक संगीत, आधुनिक कला, आधुनिक अभिनय कला एवं खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं विषय विशेषज्ञों की कार्यशालाऐं भी आयोजित की जाती है। साथ ही बच्चों के लिये एक पुस्तकालय भी है। इसके अतिरिक्त जवाहर बाल भवन में संचालित संगीत (गायन, वादन), नृत्य एवं चित्रकला गतिविधियों में राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों का संचालन भी बच्चों के लिये प्रारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2013 के लिये मध्यप्रदेश से 09 बच्चों का चयन किया गया, निम्नानुसार चयनित बच्चों को 03 फरवरी 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी के कर कमलों द्वारा बच्चों राष्ट्रीय बालश्री सम्मान 2013 से सम्मानित किया गया :–

क्र	बाल भवन का नाम	गतिविधि	नाम
1	जवाहर बाल भवन भोपाल	सृजनात्मक प्रदर्शन कला	निनाद अधिकारी
2	जवाहर बाल भवन भोपाल	सृजनात्मक कला	कु. हिबा खान
3	जवाहर बाल भवन भोपाल	सृजनात्मक लेखन	कु. कृति मालवीय
4	अभिनव बाल भवन भोपाल	सृजनात्मक कला	कु. रूचि तिवारी
5	अभिनव बाल भवन भोपाल	सृजनात्मक लेखन	इशान सुरेन्द्र शुक्ला
6	बाल भवन उज्जैन	सृजनात्मक वैज्ञानिक	नवीकरण तनय तलैया
7	बाल भवन ग्वालियर	सृजनात्मक लेखन	कु. प्रियंका पाटकार
8	बाल भवन जबलपुर	सृजनात्मक कला	शुभम राज अहिरवार
9	बाल भवन सागर	सृजनात्मक कला	कु. चंद्रिका अग्रवाल

जवाहर बाल भवन द्वारा 08 मार्च 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संचालनालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष नुक्कड़ नाटक एवं बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं विषय पर नृत्य नाटिका की प्रभावी प्रस्तुती दी गई। इसके साथ ही जवाहर बाल भवन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री निवास के पास श्यामला हिल्स चौराहे पर सिग्नेचर केम्पेन व रविन्द्र भवन परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27 से 31 मार्च 2016 तक गरवारे बाल भवन, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में प्रकृति संरक्षण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय युवा पर्यावरणवादी शिविर मे जवाहर बाल भवन के 04 बच्चें कु. फाल्गुनी, कु. विधि अहिरवार, कु. खुशी जैन एव कु. सोबी जैन द्वारा भाग लिया गया।

जवाहर बाल भवन में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के वर्ष 2015–16 की वार्षिक परीक्षाओं (लिखित एवं प्रायोगिक) का आयोजन दिनांक 15 से 30 मार्च 2016 तक किया गया, जिसमें जवाहर बाल भवन के छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नलिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में भाग लिया गया।

क्र.	परीक्षा का नाम	विषय	परीक्षार्थी संख्या
1.	संगीत कला प्रवेशिका प्रथम	गायन/वादन	16
			03
2.	संगीत कला प्रवेशिका प्रथम	नृत्य	11
			02
3.	जूनियर सर्टिफिकेट	चित्रकला	19
			51

जवाहर बाल भवन में बच्चों का माह अप्रैल 2016 से ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें बच्चों ने सभी विधाओं में बढ़–चढ़ कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेल–कूद गतिविधियो के विस्तार हेतु बच्चों द्वारा लंबे समय से स्केटिंग प्रशिक्षण प्रारंभ करने की मांग की जा रही थी। बच्चों की मांग को दृष्टिगत् रखते हुये जवाहर बाल भवन परिसर में स्केटिंग रिंग तैयार कराया गया है, जिसका उद्घाटन मा. मंत्री जी, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव महो. द्वारा दिनांक 26.04.16 को किया गया। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। जिसमें बेटी बचाओं गीत, बालश्री अवार्डी मास्टर निनाद अधिकारी द्वारा संतूर वादन, समूह गीत, एकल गीत, एकल नृत्य एवं एकल गायन की प्रस्तुतियॉ दी गई । इसके अतिरिक्त बच्चों के लिये वुशु (मार्शल आर्ट एवं कराटे) का प्रशिक्षण भी सत्र में प्रारंभ किया गया, साथ ही जवाहर बाल भवन में पंजीकृत समस्त बच्चों के नैतिक विकास के लिये प्रतिदिन 01 घन्टे नैतिक शिक्षा का सत्र आयोजित किया गया ।

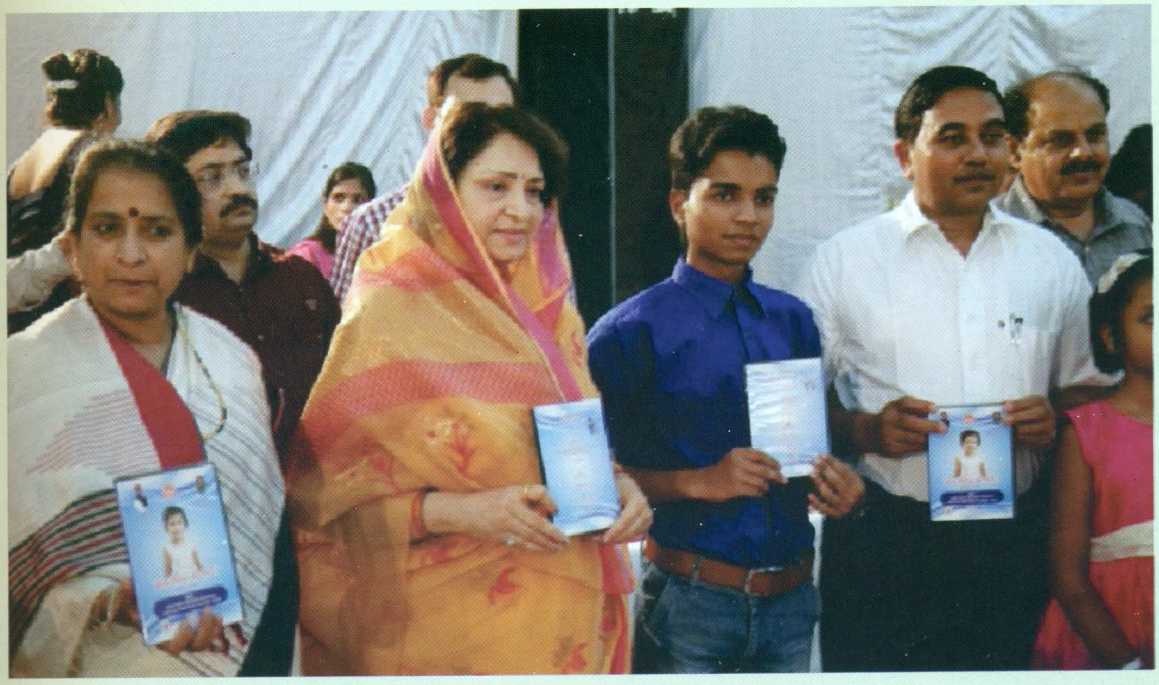

बच्चों को बाल भवन के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से संभागीय बाल भवन जबलपुर के बाल सदस्य मास्टर शिवा नामदेव द्वारा लिखित बाल भवन गीत " बाल भवन की ओर" का छायांकन समस्त बाल भवनों में कराया जाकर बच्चों में बाल भवनों के प्रति विशेष आकर्षण एवं संचालित गतिवधियों को एक नजर में प्रदर्शित किया गया, जिसका विडियों एलबम का विमोचन श्रीमती माया सिंह, मा. मंत्री जी महिला एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव श्री जे. एन. कनसोटिया, आयुक्त महिला सशक्तिरण श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा किया गया, जिसको गाया है श्री सतशुभ्र मिश्र, सहायक संचालक महिला सशक्तिकरण एवं सुश्री नुपूर गटकरी ने।

राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली द्वारा बालश्री योजना में वर्ष 2015 से संशोधन किया जाकर "बालश्री अवार्ड" के लिये प्रदेश के बच्चों के लिये जवाहर बाल भवन भोपाल, संभागीय बाल भवन इंदौर, बाल भवन इलाहाबाद एवं राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली को राज्य स्तरीय केन्द्र बनाया गया। जिसमें से प्रदेश के 62 बच्चों को चयन राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के लिये किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2015 के राष्ट्रीय शिविर का आयोजन दिनांक 03 एवं 04 मई 2016 को राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में किया गया जिसमें प्रदेश से राष्ट्रीय शिविर के लिये चयनित 62 बच्चों ने भाग लिया।

जवाहर बाल भवन के बाल सदस्यों को क्रिप्स इंड़िया, भोपाल में संचालित विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से दिनांक 15.06.16 को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।

जवाहर बाल भवन के आकर्षण के लिये म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल से जीर्णोद्वार का कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें भवन की छत पर वाटर प्रूफिंग, पानी से खराब हो गई दिवारों की मरम्मत इत्यादि का कार्य कराया गया है। भवन में पानी के रिसाव से खराब हो गये दरवाजे, फर्नीचर आदि का अनुरक्षण कार्य कराया जाना है, जिससे गतिविधियों का संचालक सुचारू रूप से हो सके । इसके साथ ही भवन के आंतरिक भाग एवं गतिविधि कक्षों में रंग–रोगन का कार्य कराया गया।

जवाहर बाल भवन के बच्चों द्वारा 02 अगस्त 2016 को संचालनालय, महिला सशक्तिकरण द्वारा मा. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली / किशोरी बालिकाओं के बेहतर विकास के लिये पंचवटी से पोषण विषय पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।

जवाहर बाल भवन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक बाल प्रदर्शनी का आयोजन आडिटोरियम में किया गया, जिसमें मार्डन आर्ट एवं चित्रकला प्रभाग के बच्चों द्वारा तैयार की गई पेंटिग्स को प्रदर्शित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आजादी की 70वीं साल का जश्न "आजादी 70–याद करों कुर्बानी" (फ्रीडम पखवाड़ा) के रूप में मनाया गया उसी तारतम्य में जवाहर बाल भवन में दिनांक 14. 08.16 को नाट्य प्रभाग द्वारा मिला तेज से तेज नाटक का मंचन किया गया।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त महिला सशक्तिकरण, म.प्र. द्वारा जवाहर बाल भवन में झण्डावंदन एवं वृक्षारोपण किया गया । इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाऐं देते हुये सभी को स्वच्छता एवं पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने का संदेश दिया तथा आजादी के 70वी वर्षगाठ को उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिये।

जवाहर बाल भवन में दिनांक 19.08.16 को बच्चों के लिये "आजादी 70–याद करों कुर्बानी" पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं दिनांक 22.08.16 को स्लोगन, कविता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं दिनांक 23.08.16 को देशभक्ति गीतों पर आधारित गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

जवाहर बाल भवन में नवरात्री के पावन अवसर पर दिनांक 25 सितम्बर से 28 सितम्बर 2016 तक गरबा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 02 अक्टूबर 2016 को गांधी जयन्ती पर भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया।

दीपावली के पावन अवसर पर दिनांक 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2016 तक थर्माकोल डेकोरेटिव आईटम, ग्रीटिंग मेकिंग, दिया मेकिंग, कैंडिल मेकिंग, व्यंजन, रंगोली, मैंहदी एवं डेकोरेटिव क्राफ्ट आईटम बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जवाहर बाल भवन में दिनांक 20 अक्टूबर से 13 नवंबर 2016 तक बच्चों के लिये बाल नाट्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को थियेटर गेम, इम्प्रोवाईजेशन, स्पिच, कहानियों का पाठ, यूज ऑफ प्रापर्टी आदि की प्रयोगिक और सैद्धान्तिक जानकारी दी गई। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों का एक नाटक भी तैयार कराया गया, जिसका मंचन 14 नवंबर 2016 को बाल दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 से16 नवंबर 2016 तक आयोजित राष्ट्रीय बाल भवन सभा एवं एकता शिविर में जवाहर बाल भवन से 04 बच्चे कु. गर्विता डोंगरे, कु. रिशिता ठाकुर, कु. नित्या श्रीवास्तव एवं कु. खुशी बेस ने भाग लिया । जिसमें से कु. गर्विता डोंगरे ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुये चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और क्वीज कम्पटीशन में कु. रिशित ठाकुर, कु. नित्या श्रीवास्तव एवं कु. खुशी बेस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा पोस्टर मेंकिंग प्रतियोगिता में भेजी गई अंतरिक्ष सेठिया की प्रविष्टि को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही संभागीय बाल भवन, जबलपुर के बच्चों ने अपनी गायकी का प्रदर्शन करते हुये समूह गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत **" प्रदेश की खुशहाल लाड़लियॉं"** के थीम पर बाल दिवस समारोह – 2016 का 07 दिवसीय समारोह का आयोजन किया है, सर्वप्रथम बच्चों के लिये चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसके पश्चात बाल दिवस समारोह का उद्घाटन श्री जे.एन. कनसोटिया, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुब्बारे उड़ाकर एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इसके पश्चात बाल भवन के बच्चों द्वारा संगीत, नृत्य एवं नाट्य की प्रस्तुति दी गई।

जवाहर बाल भवन में नवरात्री के पावन अवसर पर दिनांक 25 सितम्बर से 28 सितम्बर 2016 तक गरबा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 02 अक्टूबर 2016 को गांधी जयन्ती पर भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया।

दीपावली के पावन अवसर पर दिनांक 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2016 तक थर्माकोल डेकोरेटिव आईटम, ग्रीटिंग मेकिंग, दिया मेकिंग, कैंडिल मेकिंग, व्यंजन, रंगोली, मैंहदी एवं डेकोरेटिव क्राफ्ट आईटम बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जवाहर बाल भवन में दिनांक 20 अक्टूबर से 13 नवंबर 2016 तक बच्चों के लिये बाल नाट्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को थियेटर गेम, इम्प्रोवाईजेशन, स्पिच, कहानियों का पाठ, यूज ऑफ प्रापर्टी आदि की प्रयोगिक और सैद्धान्तिक जानकारी दी गई। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों का एक नाटक भी तैयार कराया गया, जिसका मंचन 14 नवंबर 2016 को बाल दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 से16 नवंबर 2016 तक आयोजित राष्ट्रीय बाल भवन सभा एवं एकता शिविर में जवाहर बाल भवन से 04 बच्चे कु. गर्विता डोंगरे, कु. रिशिता ठाकुर, कु. नित्या श्रीवास्तव एवं कु. खुशी बेस ने भाग लिया । जिसमें से कु. गर्विता डोंगरे ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुये चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और क्वीज कम्पटीशन में कु. रिशित ठाकुर, कु. नित्या श्रीवास्तव एवं कु. खुशी बेस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा पोस्टर मेंकिंग प्रतियोगिता में भेजी गई अंतरिक्ष सेठिया की प्रविष्टि को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही संभागीय बाल भवन, जबलपुर के बच्चों ने अपनी गायकी का प्रदर्शन करते हुये समूह गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत **" प्रदेश की खुशहाल लाड़लियॉ"** के थीम पर बाल दिवस समारोह – 2016 का 07 दिवसीय समारोह का आयोजन किया है, सर्वप्रथम बच्चों के लिये चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसके पश्चात बाल दिवस समारोह का उद्घाटन श्री जे.एन. कनसोटिया, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुब्बारे उड़ाकर एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इसके पश्चात बाल भवन के बच्चों द्वारा संगीत, नृत्य एवं नाट्य की प्रस्तुति दी गई।

बाल दिवस समारोह के अंतर्गत दिनांक 15 से 17 नवंबर 2016 तक स्थानीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता, चेयर रेस, रंगोली, टेबल टेनिस, स्लो साइकल रेस, चम्मच दौड, मेहन्दी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सृजनांत्मक लेखन की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

बाल दिवस समारोह 2016 के अंतर्गत दिनांक 18 से 20 नवंबर 2016 तक अंतर बाल भवन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, सागर एवं रीवा बाल भवनों के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के लिये समूह नृत्य, एकल शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, नाट्य मंचन, समूह गीत, एकल गीत, सृजनात्मक लेखन, हस्तकला–मूर्तिकला प्रतियोगिता आयोजित की गई।

दिनांक 19.11.16 को आमंत्रित बच्चों को भारत के वीर जवानों के जीवनों पर नवनिर्मित शौर्य स्मारक का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।

दिनांक 20.11.16 को बाल दिवस के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती अर्चना

चिटनिस, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। बाल भवन में गृहविज्ञान, मार्डन आर्ट, चित्रकला एवं विज्ञान प्रभाग द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा लाड़ो अभियान अंतर्गत महिलाओं को एवं अंतर बाल भवन प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को शुभकामनाऐं देते हुये पुरस्कृत किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2015 के लिये प्रदेश से 13 बच्चों का चयन किया गया है। उक्त चयनित सभी बच्चों को ''भारत के महामहिम राष्ट्रपति'' अथवा केन्द्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

उक्त चयनित सभी बच्चों को ''भारत के महामहिम राष्ट्रपति'' अथवा केन्द्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया जायेगा। जवाहर बाल भवन एवं संभागीय बाल भवनों में बच्चों की रूचि बढ़ने से बच्चों की उपस्थिति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जवाहर बाल भवन में बच्चों के पंजीयन की उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है:–

वर्ष	पंजीकृत बच्चे
2014	1852
2015–16	2202
2016–17 (जनवरी 2017 तक)	2253

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के तहत बाल भवनों की स्थापना मद में 2.62 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 2.28 करोड़ व्यय हुई है, जो लगभग 87: हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना

1. उद्देश्य–

समेकित बाल संरक्षण योजना से एक ऐसे योगदान देने की अपेक्षा की जाती है, जो दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह ''बाल अधिकार संरक्षण'' और ''सर्वोत्तम बाल हित'' के दिशा निर्देशक सिद्धांतो पर आधारित है। इस प्रकार समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का समग्र कल्याण एवं सुभेदता में कमी लाना है।

2. लक्ष्य –

1 बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुँच और उनकी बेहतर गुणवत्ता।
2 बाल अधिकारियों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजानिक जागरूकता
3 संरक्षण के स्पष्ट दायित्व और जबावदेही की बाध्यता।
4 कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर संस्थापित कार्यशैली की संरचना।
5 साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

3. लाभार्थी –

विधि विवादित, निराश्रित, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले एवं देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालक। इन बालकों को संस्थागत एवं गैर–संस्थागत सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित कर पुनर्वास किया जाता है।

4. योजना के तहत राज्य से ग्राम स्तर तक प्रबंधन –

क्रमांक	राज्य स्तर	जिला स्तर	ग्राम/ब्लॉक स्तर
1.	राज्य बाल संरक्षण समिति	जिला बाल संरक्षण समिति	ब्लॉक बाल संरक्षण समिति
2.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिरकरण	किशोर न्याय बोर्ड	ग्राम बाल संरक्षण समिति
3.		बाल कल्याण समिति	
4.		विशेष किशोर पुलिस इकाई	

5. संस्थागत सेवाएं –

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा एवं देखरेख तथा संरक्षण वाले बालकों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं पुर्नवास हेतु 123 शासकीय/अशासकीय शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृह, खुला आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं पश्चात्वर्ती गृह पंजीकृत होकर संचालित है। इन संस्थाओं में बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थाई एवं अस्थाई संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में संचालित संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संस्था का प्रकार	शासकीय	निवासरत बच्चे	अशासकीय	निवासरत बच्चे	दी जाने वाली सेवाएं
1	शिशुगृह	01	23	36	261	0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु
2	बालगृह	06	232	46	1774	6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण, की सुविधाओं के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने संबंधी कार्यवाही की जाती है।

3	आश्रय गृह	00	00	09	117	संरक्षण की तत्काल आवश्यकता वाले निराश्रित, उपेक्षित एवं घर से भागे हुए बालकों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्यों के तहत् अस्थाई आश्रयगृह की स्थापना की गयी है जहां बालक/बालिकाओं को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।
4	खुला आश्रय गृह	00	00	09	248	18 वर्ष तक की आयु के बेघर, फुटपाथ पर घूमने वाले सडक पर रहने वाले, बाल भिक्षुको, छोटे विक्रेताओं को आश्रय देने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म–सम्मान वर्धन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है।
5	संप्रेक्षण गृह	18	416	00	00	विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण पोषण चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।
6	विशेष गृह	03	19	00	00	किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है, ताकि उनका समाज में व्यस्थापन संभव हो सके।
7	पश्चातवर्ती गृह	02	16	00	00	विशेष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है तथा इन किशोर/किशोरियों का सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास किया जाता है।

6. गैर संस्थागत सेवाएं:–

बालको को उनके परिवारो में भरण पोषण शिक्षा एवं चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने एवं स्थाई परिवार उपलब्ध कराने हेतु गैर संस्थागत सेवाऐं प्रदान की जाती है। गैर संस्थागत सेवाऐं निम्नानुसार है।

6.1 दत्तक ग्रहण – प्रदेश में वर्तमान में 37 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित है इन दत्तक ग्रहण एजेन्सियों को देश के अंदर संस्थाओं में निवास कर रहे बच्चों को दत्तक पर देने का अधिकार है। दत्तक ग्रहण के अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी होते है।

6.2 पालन पोषण देखरेख:– पालन पोषण देखरेख एक व्यवस्था है जिसके तहत एक बच्चा आमतौर पर अस्थायी रूप से किसी असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रहता है एक बच्चे को रखने हेतु बच्चे के विस्तृत परिवार अथवा परिवार के उन करीबी दोस्तों को वरीयता दी जायेगी जिन्हे बच्चा पहचानता है। परंतु यदि इस तरह का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है अथवा बच्चें की देखभाल करने के लिये तैयार नहीं है, तभी बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखा जा सकता है। बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखने के दौरान उन्हीं परिवारों को वरीयता दी जावेगी जो कि बच्चे की संस्कृति अथवा समुदाय से संबंध रखते है।

- पालन पोषण देखरेख बच्चों की जरूरतों के आधार पर अल्पकालिक अथवा दीर्घ कालिक हो सकता है।
- सामूहिक पालन पोषण देखरेख का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल एवं समुदाय आधारित तथा परिवार जैसी पहचान एवं पालन –पोषण प्रदान करना है।
- सामूहिक पालन पोषण देखरेख एक पारिवारिक व्यवस्था है जहां एक–दूसरे असंबंधित बच्चों को वैकल्पिक माता–पिता के साथ रखा जाता है जिनके स्वयं के बच्चें हो या न हो।
- सामूहिक पालन पोषण देखरेख एक अनिरंतर व्यवस्था के रूप में उन बच्चों के लिये उपयुक्त है जिन्हे सड़कों से पुनर्वासित किया गया है, यह बच्चो को व्यक्तिगत देखरेख में रखने से पूर्व की व्यवस्था है।

पालन पोषण देखरेख के लिये पात्र बच्चों की श्रेणियां :–

बच्चों की निम्नलिखित श्रेणियॉ को पालन पोषण देखरेख हेतु योग्य माना जायेगा:–

- 0–6 आयु वर्ग के बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को सामान्यतः दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत रखने पर विचार नहीं किया जायेगा इस आयुवर्ग के बच्चों को दत्तक गृहण के तहत स्थाई परिवार उपलब्ध कराने की कोशिश की जायेगी।
- 6–18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे जो कि बच्चों की देखरेख संस्थाओं (Child Care Institution) में रह रहे हैं। उन्हे देखभाल संस्थान में विकसित व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखा जाऐगा।
- बच्चे जिनके माता–पिता अक्सर बीमार रहतें है एवं माता–पिता बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है एवं जिनके माता–पिता द्वारा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को उनके बच्चे की देखभाल करने हेतु प्रार्थना प दिया गया है।

6.3 प्रवर्तकता योजना (स्पॉन्सरशिप):– योजनातंर्गत बच्चों को समुदाय में पुनः मिलाने तथा उसके शिक्षण–प्रशिक्षण, व्यवसायिक पुनर्वास एवं चिकित्सकीय देखभाल हेतु माता–पिता या संरक्षक को बच्चों के प्रति उनके दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है जिसके प्रथम चरण में उक्त योजना का लाभ निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चों को जो उनके परिवार की विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण संस्थाओं यथा–शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृहों में निवासरत है, के परिवारो को प्रवर्तकता योजना के तहत् आर्थिक सहायता रूपये 2000 प्रतिबच्चा प्रतिमाह (अधिकतम दो बच्चों को) आर्थिक सहायता 03 वर्ष या 18 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक दिये जाने का प्रावधान है।

6.4 पश्चातवर्ती देखरेख :– बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत ऐसे बालक जो 18वर्ष की आयु पूर्णकर चुके हैं एवं जिनकी देखरेख करने वाले कोई नहीं है उन्हें पश्चातवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 21 वर्ष तक की आयु

पूर्ण होने तक पश्चातवर्ती गृह में रखने की व्यवस्था है पश्चातवर्ती कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में 2 गृह भोपाल जिले में बालिकाओं हेतु एवं जबलपुर में बालकों हेतु संचालित है। वर्ष 2016–17 में पश्चातवर्ती गृह भोपाल की 9 बालिकाओं का विवाह कर उनका पुनर्वास किया गया ।

7. प्रशिक्षणः–

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता संवर्धन हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ऐसे विषय है, जिनके ज्ञान हेतु सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। अतः प्रशासन अकादमी भोपाल, निपसिड, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल जैसी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संस्थाओं से 329 पणधारियों का प्रशिक्षण कराया गया है।

8. चाईल्ड लाईन सेवा (1098):–

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशनभारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के तहत् देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु 24 घंटे निःशुल्क इमरजेन्सी फोन सेवा है। इसका फोन नं. 1098 है, जो देश के किसी भी कोने से डायल किया जा सकता है। वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 32 जिलों यथा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, गुना, खंडवा, सागर, रीवा, मंदसौर, सतना, रतलाम, झाबुआ, बैतूल, हरदा, रायसेन, भिंड, शिवपुरी, विदिशा, देवास, मंडला, छिन्दवाड़ा, श्योपुर, कटनी, बालाघाट, पन्ना, धार, होशंगाबाद, राजगढ़, नीमच, टीकमगढ़, सिंगरौली में स्थापित एवं संचालित है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, अधिकारी अथवा बालक स्वयं यहाँ 1098 पर फोन कर
सकता है, यदि उसे लगता है, कि कोई बालक कठिन परिस्थिति में है।

9. अनमोल – anmolmp-in

दत्तक ग्रहण सेवाओं एवं दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्ष 2014 में nmolmp-in वेबसाईट "अनमोल" का निर्माण किया गया था। वेबसाईट को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2014–15 के तहत् गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा भी उनकी वेबसाईट में इसकी कुछ विशेषतायें अंगीकृत की गई । अनमोल की सफलता एवं उपयोगिता को देखते हुये इसका विस्तार कर वेबसाईट अनमोल II का निर्माण किया गया है। इस वेबसाईट से 18 वर्ष तक की आयु के देखरेख एंव संरक्षण के जरूरतमंद समस्त बच्चे अच्छादित हैं। समस्त बालदेखरेख संस्थाएं, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति को संबद्ध किया गया है।

अनमोल की विशेषताएंः–

- प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत मानीटरिंग।
- संस्थाओं में निवासरत् बच्चों की संपूर्ण निगरानी की सुविधा।
- संस्थाओं के आधारभूत ढ़ांचे की मॉनीटरिंग।
- संस्थाओं से सतत् संपर्क व समन्वय।
- संस्थाओं में नियोजित कर्मियों की मॉनीटरिंग ।
- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की मॉनीटरिंग।
- लक्ष्य पूर्ति एवं लक्ष्य पूर्ति के प्रयासों की समीक्षा।
- सूचना प्रवाह की तीव्रता एवं समयबद्धता।
- मासिक व त्रैमासिक जानकारी एक क्लिक पर।
- आदेश एवं निर्देशों का संकलन।

कार्य	मेन्यूअल कार्य	ऑनलाईन कार्य
प्रमाणिकता	संस्था के कर्मचारी द्वारा डेटाबेस भरा जाना। मेन्यूअल डाटा में परिवर्तन संभव।	e-कंजं अपरिवर्तनीय एवं विश्वसनीय।
पारदर्शिता	त्रुटि की सम्भवना।	e-कंजं filling से त्रुटि की सम्भावना नगण्य।
उपयोगिता	मैन्यूअल एवं धीमी प्रक्रिया।	ऑनलाईन कार्य होने से प्रकिया में तेजी।
डाटा संधारण एवं संकलन	अधिक पेपर वर्क। डाटा नष्ट होने की सम्भावना, संकलन में कठिनाई।	कम पेपर वर्क। बैकअप की व्यवस्था, संकलन का कार्य ऑटोमेटिक।
मानव संसाधन	डाटा संग्रहण में मानव श्रम की आवश्यकता।	मानव श्रम की बचत।
समय	त्रुटिपूर्ण संकलन एवं संकलन में अधिक समय।	शुद्ध संकलन एवं समय की बचत।
नियंत्रण	जिलेवार व संस्थावार निर्भरता।	राज्य स्तरीय डेटा की उपलब्धता।
सूचना प्रवाह	सूचना संस्था से प्राप्त होती थी।	सूचना अनमोल ऑनलाईन पोर्टल में उपलब्ध है।

• श्रेणी में रखा जाएगा विशेष अभियान

भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

वर्ष 2015-16

- 1718 बालक प्राप्त हुए
- 171 बालक संस्था में प्रवेशित.
- 1547 बालकों का परिवार में पुनर्वास.
- 740 बालकों को शाला में प्रवेशित कराया गया.
- 540 बच्चे अगली कक्षा में अध्यनरत

वर्ष 2016-17

- 2096 बालक प्राप्त हुए
- 322 बालक संस्था में प्रवेशित.
- 1744 बालकों का परिवार में पुनर्वास.
- 592 बालकों को शाला में प्रवेशित कराया गया.
- 346 समग्र पोर्टल पर दर्ज

'स्ट्रीट टू स्कूल अभियान'

वर्ष 2015-16

- 1638 बालकों का विद्यालय में प्रवेश कराया गया.
- 1204 बालकों के आधार कार्ड बनवाये गये.

वर्ष 2016-17

- 592 बालकों का विद्यालय में प्रवेश कराया गया.
- 204 बालकों के आधार कार्ड बनवाये गये.

'स्कूल चलें हम'

- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष " स्कूल चले हम " अभियान 2016-17
- अभियान अंतर्गत गृहों में निवासरत 308 बालकों का विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश कराया गया |
- संस्थओं में निवासरत 1824 बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं |

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम–2013 एवं नियम–2013, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/आशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजि/गैर सरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करे तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुडी समस्याओं का समाधान करे।

लैंगिक उत्पीड़न क्या है ?

- शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या
- लैंगिक स्वीकारोक्ति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या
- लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना या
- अश्लील साहित्य दिखाना या
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय, शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।

लैंगिंक उत्पीड़न से संबंधित अन्य कृत्य

अहितकारी व्यवहार, या धमकी या वर्तमान या भावी नियोजित को प्रभावित करने वाली स्थिति या कार्य में हस्तक्षेप या आपराधिक कृत्य या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का सृजन करना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमान जनक आचरण करना भी लैंगिंक उत्पीड़न माना जायेगा।

कार्यस्थल क्या है ?

विभाग, शासकीय/अशासकीय संगठन, उपक्रम, उद्यम, उद्योग, बैंक, कारखाना, दुकान, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, सरकारी कंपनी, सोसायटी, अस्पताल नर्सिंग होम, उत्पादन, प्रदाय, विपणन केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कार्य के संबंध में यात्रा के दौरान, गृह (घरेलू कामकाजी महिला) निर्माण स्थल आदि।

कहां करें शिकायत ?

1. अपने कार्यालय (शासकीय/अशासकीय) में गठित आंतरिक परिवाद समिति।
2. जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला– पंचायत।
4. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।

आंतरिक परिवाद समिति–

1. **पीठासीन अधिकारीः**– कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला। कार्यस्थल पर वरिष्ठ महिला न होने पर उस कार्यस्थल की अन्य यूनिट या अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से भी नामांकित किया जा सकता है।
2. **सदस्यः**– कम से कम अन्य 2 व्यक्ति जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्व है या जिनकों समाज सुधार का अनुभव या विधि का ज्ञान हो।
3. **अशासकीय सदस्यः**– 01 – गैर सरकारी संगठनों में जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्व या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैगिंक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो। समिति के कुल सदस्यों में आधी महिला सदस्य होगी।

स्थानीय परिवाद समिति –

जिस कार्य स्थल पर 10 से कम कर्मचारी/अधिकारी/कर्मकार नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत की जायेगी। स्थानीय परिवाद समिति में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदेन सदस्य है।

4. **कानून के प्रमुख प्रावधान**– प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना। गठित नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान है।
   - पीडिता या अन्य द्वारा घटना की तारीख के 3 माह के अंदर समिति को शिकायत करना होगी।
   - 90 दिवस में जांच पूरी की जाकर समिति की अनुशंसा पर 60 दिवस में नियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
   - जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति की सिफारिश पर स्थानांतरण या छुट्टी या अन्य राहत प्रदाय की जायेंगी।
   - परिवाद की विषय वस्तु, जांच एवं कार्यवाही का प्रकाशन या सार्वजनिक करना प्रतिषेध है। सार्वजनिक करने पर शास्ति का प्रावधान है।
   - सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है। मिथ्या या द्वेषपूर्ण शिकायत, मिथ्या साक्ष्य, गवाह के लिए दण्ड के प्रावधान है।

5. **उपलब्धियां**–

1. जिला अधिकारी–सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा म.प्र. के समस्त अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया जा चुका है।
2. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी– प्रत्येक जिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
3. खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी– अधिनियम के प्राभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लाक स्तर पर विकाखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं जिन विकासखण्डों में महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदस्थ नहीं है, उन विकासखण्डों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा)तथा शहरी क्षेत्र में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को शिकायत प्राप्त कर स्थानीय परिवाद समिति को भेजने हेतु नोडल अधिकारी पदाभिहित किया गया है।
4. आन्तरिक परिवाद समिति– अधिनियम के पालन में मध्य प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आन्तरिक परिवाद समिति का शासकीय कार्यालायों में गठन किया जा चुका है। तथा अशासकीय कार्यालयों में गठन की कार्यवाही जारी है।
5. स्थानीय परिवाद समिति–कुल 50 जिलों में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अन्तर्गत दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्व है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला विधिक सहायता अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के भीतर दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 08–ख (4) के अन्तर्गत जिलों में पदस्थ दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सलाह और सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। नवीन बोर्ड के गठन 51 जिलों में किये जा चुके है।

वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना–

सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर–आपातकालीन सुविधायें जैसे–अस्थायी आश्रय, पुलिस–डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें भारत सरकार द्वारा सहायित शासकीय वन स्टॉप सेन्टर में उपलब्ध कराई जायेंगी।

वर्तमान में जिला इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, देवास, खण्डवा एवं उज्जैन में केन्द्र प्रारम्भ किये गये है। शेष जिला रतलाम, बुरहानपुर, भोपाल, सागर, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, मुरैना, शहडोल एवं होशंगाबाद प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उषा किरण योजना–

''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006'' के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी, जिसे दिनांक 27 मई 2016 को पुनरीक्षित कर लागू किया गया है। योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में शासकीय उषा किरण केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। योजना अंतर्गत केन्द्र में ही सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को विधिक सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहायता, एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। उषा किरण केन्द्र में ही महिला डेस्क (पुलिस) को अधोसंरचना सहित हस्तांतरित किया जायेगा। काउंसलर एवं वकीलों का चिन्हित पैनल उषा किरण केन्द्र में सेवायें देगा। शासकीय चिकित्सालय से केन्द्र को लिंक किया जायेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत शासन ने 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी) नियुक्त किये है।

वैश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जाबाली योजना –

मध्य प्रदेश की कुछ जातियों में वैश्यावृत्ति व्यवसाय की कुप्रथा प्रचलित है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 92–93 से जाबाली योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत् वैश्यावृत्ति उन्मूलन व उनमें उत्थान हेतु कार्य किये जा रहे है। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए 04 जिलों में 10 आश्रम शाला ईकाई एवं महिलाओं के लिए आर्थिक उपार्जन कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा जनचेतना और प्रचार–प्रसार की गतिविधियां संचालित है। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 239/1388/2013/50–2 दिनांक 7/2/2014 द्वारा आश्रमशाला के हितग्राहियों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति राशि में वृद्वि कर राशि रू. 725/– एवं 750/– की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजनांतर्गत एक यूनिट आश्रम शाला में 50 बालक/बालिकाओं की क्षमता निहित है। कुल 500 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा दिलाकर एवं आत्म निर्भर बनाकर विवाह करायें जाकर पुनर्वास हेतु प्रयास किया गया है। योजना की पुनर्संरचना अंतर्गत बच्चों की आश्रम शालायें समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत बालगृह के रूप में संचालित होगी।

मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को अनुदान –

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा उसकी परियोजनाओं के स्थापना व्यय हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बोर्ड के कार्यालय की स्थापना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तथा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की सुविधा हेतु व्यय का 100 प्रतिशत एवं कल्याण/विस्तार परियोजना के लिए 33 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।

महिला वसति गृह –

अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं। वसति गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त

रहने की स्थिति में कालेज या अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को भी स्थान दिया जा सकता है। वर्तमान में जिला इन्दौर में संचालित है। वर्तमान में कुल 40 महिलायें निवासरत् हैं।

राज्य स्तरीय पुरस्कार–

राज्य शासन महिला बाल विकास द्वारा व्यक्तिगत/संस्थागत/महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा, वीरता ,साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित 05 राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये हैः–
वर्ष 2015 में श्री विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार से श्री जमनालाल बैरागी जिला राजगढ़ को एवं मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार से श्रीमती अनीता राम जिला सिवनी को सम्मानित किया गया।

क्र.	वर्ग	विवरण	पुरस्कार
1.	रानी अंवतिबाई महिला (वीरता हेतु) वर्ष 2016	वीरता पुरस्कार	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
2.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2016	महिला (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
3.	विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2016	संस्था/व्यक्ति (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
4.	मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार वर्ष 2016	पुरूष/महिला (नारी सम्मान की रक्षा हेतु)	राज्य स्तर पर 1.00 लाख जिला स्तर 50 हजार, प्रशस्ति पत्र
5.	अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार वर्ष 2016	महिला (महिला हिंसा के विरूद्व वीरता पुरस्कार)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र

केन्द्र शासन की योजनाएंः–

केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों के आवेदन–पत्र केन्द्र शासन को स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। प्रमुख योजनायें इस प्रकार हैः–

1. स्वाधार गृह योजना –

भारत सरकार मबावि द्वारा अल्प आवास गृह एवं स्वाधार योजना को, समान उददेश्य कारण समाहित कर स्वाधार गृह योजना लागू की गई है। स्वाधारगृह योजना कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, कपड़े और अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये उनके पुर्नवास के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में निराश्रित विधवायें, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओ से निराश्रित हुई महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाएं आश्रय पाती है।

2. उज्जवला स्कीमः–

ट्रेफिकिंग महिलाओ एंव बालक/बालिकाओं के यौन शोषण एंव वैश्यावृति के रोकथाम, बचाव कार्य एंव ऐसी महिला–बच्चो के पुर्नस्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा उज्जवला स्कीम 4 दिसम्बर वर्ष 2007 से लागू की गई है। उक्त स्कीम के अन्तर्गत पॉच तत्व निर्धारित किए गए हैः–

1. रोकथाम 2. बचाव 3. पुनर्स्थापना 4. पुनर्नाम 5. पुनर्गार्डियनशिप

इन पॉच तत्वाधीन कार्यो हेतु अलग–अलग मापदण्ड का निर्धारण किया गया है। तद्नुसार गतिविधि के संचालन करने वाले एन.जी.ओ.को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

विभिन्न तरह की विपत्तिग्रस्त महिलाये यथा एसिड अटैक, विक्टिम जेल से रिहा महिलाये, बलात्कार से पीड़ित महिला अथवा बालिका, अग्नि पीड़ित, दुर्व्यवहार से बचायी गयी महिला, बाल विवाह पीड़िता अथवा बालिका, आश्रय गृहो में निवासरत बालिकाओं अथवा महिलाओं, आदि श्रेणी की महिलाओं को कई बार पारिवारिक सहायता नही मिल पाती है जिससे उनके जीवन यापन के सभी रास्ते बंद हो जाते है। उक्त श्रेणी की महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना"** प्रदेश में **सितम्बर 2013** से प्रारंभ की गई है। यह योजना एक विकेन्द्रीयकृत योजना है जिसका संचालन जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर प्रचार प्रसार के माध्यम तथा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पात्र महिलाओं एवं सस्थाओं के चयन के लिये आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे ट्रेड को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है, जिनमें रोजगार की शत–प्रतिशत संभावना हो। विभाग द्वारा अभी तक – फार्मेसी, नर्सिग, फिजियोथेरेपी, आया/दाई/वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, शार्ट टर्म मैनेजमेन्ट कोर्स (कुकिंग/बैकिंग), आईटीआई/पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम, हॉस्पिटालिटी, होटल/ईवेन्ट मेनेजमेन्ट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड/डी.एड विषयों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग महिला की उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो तथा विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा

वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को लाभांवित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किये जाते है।

योजना के संबंध में आयोजित दिनांक 09.03.2015 को आयोजित बैठक में बाल विवाह पीड़िता को योजना में सम्मिलित किये जाने एवं सजायाप्ता महिलाओं को जेल में ही प्रशिक्षण दिये जाने के निर्णय के साथ ही समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय संस्थाओं से किये जाने जिले में शासकीय संस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रशासकीय निर्णय उपरांत अशासकीय संस्था से करवाये जाने का निर्णय लिया गया।प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यावृत्ति आदि का भुगतान विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में हितग्राही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के उपरांत आर्थिक रूप से समर्थ बनकर समाज के सामने उदाहरण पेश करेंगी एवं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी का वहन कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 817 महिलाओं/बालिकाओं ने योजना के अंर्तगत प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2016–17 में 1000 हितग्राहियों का चयन योजना के तहत् प्रशिक्षण हेतु किया गया है।

उक्त चयनित महिलाओं में से एक हितग्राही एसिड अटैक विक्टिम है। जिसका चयन जिला नरसिंहपुर में नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु किया गया है।

प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यावृत्ति आदि का भुगतान विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को 500/– प्रति हितग्राही/प्रतिमाह शिष्यावृत्ति देय होगी।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में हितग्राही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के उपरांत आर्थिक रूप से समर्थ बनकर समाज के सामने उदाहरण पेश करेंगी एवं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी का वहन कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 817 महिलाओं/बालिकाओं को योजना के अंर्तगत प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष 2016–17 में 1000 हितग्राहियों का चयन योजना के तहत् किया गया है, । चयनित हितग्राहियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसकी जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :–

योजना की प्रगति– हितग्राही अनुसार

श्रेणीवार	संख्या
विपत्तिग्रस्त महिला	98
जेल में रिहा/जेल में बंद	153
बलात्कार पीड़िता	03
विधवा/तलाकशुदा/ परित्यकता	91
दहेज पीड़िता	03
शास. गृह में निवासरत	81
घरेलू हिंसा	13
कुल	442

उक्त हितग्राहियों में वर्ष 2015–16 में चयनित ऐसे हितग्राही भी सम्मिलित है जिनका प्रशिक्षण 15–16 में प्रारंभ नहीं हो सका। इनका प्रशिक्षण वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किया गया है।

योजना की प्रगति–प्रशिक्षण अनुसार 31.12.2016 तक

	प्रशिक्षण	संख्या
1.	फैशन डिजाईनिंग, वस्त्र निमार्ण एवं सिलाई	82
2.	नर्सिग	05
3.	आया/दाई/वार्ड परिचारिका/ड्रेसर एवं असिस्टेंट	15
4.	ब्यूटिशियन	38
5.	शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग)	
6.	आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कोर्स	205
7.	फेबिक ऑरनामेंटशन थ्रू प्रिंटिंग एण्ड पेंटिग टेक्निक	38
8.	Other	59
	कुल योग	**442**

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अर्न्तगत बजट

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अर्न्तगत हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु मद संख्या 55–2235–02–0101–800–3457– महिला कल्याण कोष के अर्न्तगत योजनाऐं आयोजना के 51 अन्य प्रभार में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के लिये 200.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रशिक्षण का शुभारंभ

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मध्यप्रदेश के विकास के लिये लक्ष्य और नीतियों के निर्धारण का दस्तावेज म.प्र. विजन 2018 बनाया गया है। मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में महिला सशक्तिकरण का राज्य के विकास में समुचित उपयोग करने का लक्ष्य नियत है। लक्ष्य को मूर्तरूप देने के माध्यम से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामाजिक नेतृत्व) के लिये मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 12.02.2015 को चित्रकूट में किया गया।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे उर्जावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें विकास की अच्छी समझ हो जो क्षेत्र की समस्याओं को पहचान कर उसके निदान के लिये निर्णायक पहल कर सके। मध्यप्रदेश शासन के इस पाठ्यक्रम के संचालन का दायित्व महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट जिला सतना को दिया गया। पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत दूरवर्ती पद्धति से किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का संचालन मॉडयूल शैली में होगा अर्थात् सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष करने पर समाज कार्य में प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क) दो वर्ष पूर्ण करने पर समाज कार्य डिप्लोमा इन सोशल वर्क और तीन वर्ष सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर समाज कार्य से स्नातक उपाधि सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित प्रदान की जायेगी।

न्यूनतम अहर्ताऐं–

1. **शैक्षणिक योग्यता**– मान्यता प्राप्त बोर्ड (मण्डल/परिषद से 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. **आयु**– 18 से 45 वर्ष।
3. **पात्र हितग्राही**– ऑगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, शौर्यादल सदस्य।

प्रशिक्षण

मेंटर्स का प्रशिक्षण– पाठ्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विषयों का मार्गदर्शन करने के लिये मेंटर्स का चयन किया गया। चयन किये गये मेंटर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। चित्रकूट विश्वविद्यालय जिला सतना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे–

12 से 18 सितम्बर, 2016

21 से 27 सितम्बर, 2016

कार्यशालायें

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ सोशल वर्क के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जन परिषद अभियान एवं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के सहयोग से 28–29 मई 2016, 9–10 जुलाई 2016, 21–24 नवम्बर 2016 एवं 20 –25 जनवरी 2017 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की, एवं मध्य प्रदेश सरकार ने मंशा अनुसार राज्य के चयनित 6 जिलों क्रमशः भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़ एवं दतिया में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया किया जा रहा है।

2001 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह में शिशु लिंग अनुपात के घटने का खुलासा हुआ है। आधुनिक उपकरणों का दुरूपयोग गर्भस्थ शिशु के लिंग जाँच हेतु किये जाने के कारण लिंग आधारित गर्भपात के प्रकरण बहुत शीघ्रता से बढ़े हैं। जन्म के बाद भी लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं थमता। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की जरूरतों को लेकर उनके साथ कई तरह से पक्षपात होता है। देश की यह अभिनव योजना लड़कियों को बचाने एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

इस योजना के सघन एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए एक जन अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है।

योजना का समग्र लक्ष्य

बालिका जन्म का उत्सव मनाना एवं उसे शिक्षा दिलाना।

योजना के उद्देश्यः

- सामाजिक लिंग (जेण्डर) आधारित लिंग चयन को समाप्त करना।
- बालिकाओं की उत्तरजीविता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

निगरानी मूलक लक्ष्यः

- अति कम शिशु लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में प्रति वर्ष 10 बिन्दुओं की बढ़ोत्तरी करना।
- पाँच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में लिंग आधारित अन्तर को सन् 2011 के स्तर (8 बिन्दुओं के अन्तर) से कम करके 2017 तक 4 बिन्दुओं तक लाना।
- बालिकाओं के पोषण के स्तर को बढ़ाना तथा पाँच वर्ष से कम आयु की कम वजन एवं रक्ताल्पता से ग्रसित बालिकाओं की संख्या में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के चतुर्थ चरण के स्तर से कमी लाना।
- बालिकाओं के माध्यमिक शिक्षा में पंजीकरण को 2017 तक 79% के स्तर तक बढ़ाना।
- योजना के अन्तर्गत चयनित 100 जिलों में सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- यौनिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 का समुचित क्रियान्वयन करके बालिकाओं के लिए संरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना।
- चुने हुए जन प्रतिनिधियों तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सामुदायिक पहलकर्ता (champions) के रूप में प्रशिक्षित करके सामुदायिक पहल एवं लामबंदी द्वारा शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाना तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

मध्य प्रदेश शासन की निम्नलिखित योजनाएं "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रयास के रूप में स्थान रखती हैं:–

1. **शौर्या दलः**

   मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर 2013–14 से प्रत्येक ग्राम में शौर्या दलों का गठन किया गया है। इनका प्रमुख प्रसार कर, विशेषकर महिला हितग्राही को लाभ दिलाना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में बेटियों के पक्ष में शौर्या दल उद्देश्य ग्राम में महिला एवं बालिका हिंसा को रोकना, सामाजिक कुरीतियों का कम करना व शासकीय योजनाओं का पर्याप्त प्रचार–महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2. **लाडली लक्ष्मी योजनाः**

   प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का संचालन वर्ष 2007 से किया जा रहा है, यह प्रदेश का एक अभिनव नवाचार है जो राष्ट्रीय स्तर पर अनूठा प्रयास है। इस योजना का संचालन बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके भावी भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

3. **बेटी बचाओ अभियानः**

   "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के उद्देश्यों को पूरा करता मध्य प्रदेश का "बेटी बचाओ अभियान" वर्ष 2010 से संचालित है। प्रदेश के इस अभियान का मूल उद्देश्य बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा एवं लिंग अनुपात में सुधार है।

4. **लाडो अभियानः**

   बालिकाओं के छोटी उम्र में विवाह से होने वाली हानियों को कम करने ताकि लिंगानुपात सुधार के साथ बालिका के स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके, इस हेतु मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2013–14 से लाडो अभियान संचालित कर रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के साथ विवाह शून्य घोषित किये जाने जैसे कार्य किये जाते हैं।

5. **स्वागतम लक्ष्मी योजनाः**

   समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं की स्वीकृति, उनकी गरिमा एवं सम्मान की रक्षा एवं समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच के वातावरण के निर्माण करने के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन इस योजना के अनुरूप स्वागतम लक्ष्मी योजना को 24 जनवरी, 2014 से संचालित कर रहा है।

138 स्कूलों में बालक एवं बालिकाओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से आयोजित किया जिसमे 7,212 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया. (निर्धारित लक्ष्य पूर्ण)

बालक एवं बालिकाओं का उन्मुखीकरण सभी जिलों में सफलता पूर्वक आयोजित हुआ

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और प्रभावशाली बनाने के लिए माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से ब्लाक स्तर पर 18 कार्यशालाए आयोजित की जिसमे 1890 व्यक्ति लाभान्वित हुए. (निर्धारित लक्ष्य पूर्ण)

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और मज़बूत बनाने हेतु ज़िला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गयी

- ज़िला स्तर पर महिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से से रथ यात्रा का आयोजन किया जिसमे 379 गांव लाभान्वित हुए (निर्धारित लक्ष्य 400 गांव) रथ यात्रा का आयोजन भिंड, मुरैना, ग्वालियर एवं दतिया में हुआ

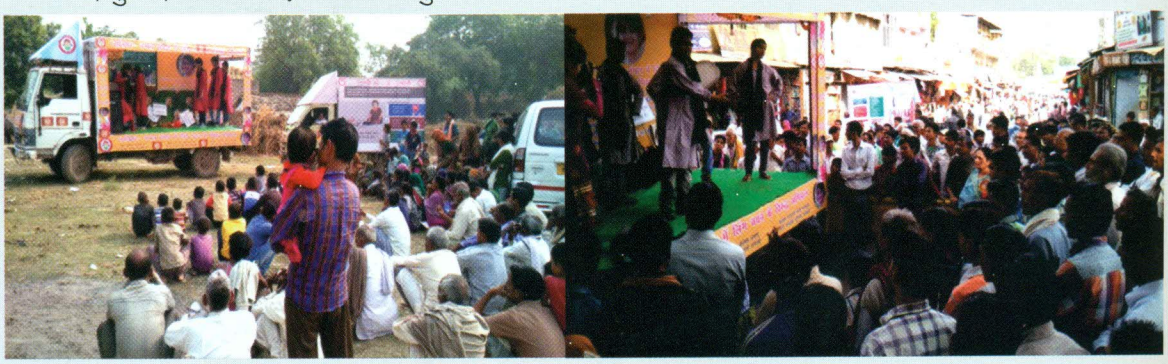

रथ यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक की टोली बेटी बचाओ बेटी पाओ का संदेश देती हुई

समाज के धर्मगुरु एवं विचारवान नेतृत्व को जागरूक करने के लिए माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से 8 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 341 व्यक्तिओं को बेटी बचाओ बेटी पढाओ के प्रति जागरूक किया गया.

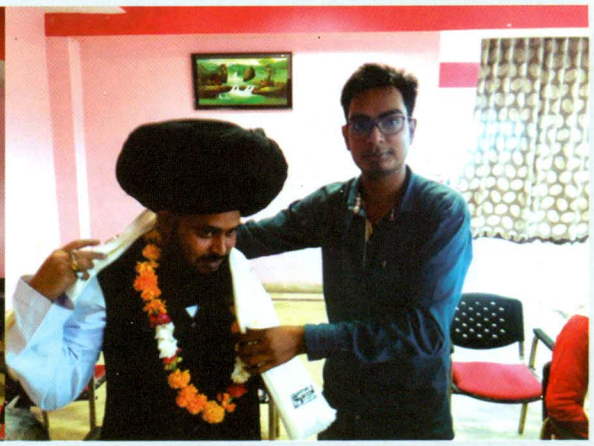

समाज के धर्मगुरु एवं विचारवान नेतृत्व को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत दतिया जिले के 20 गावों में प्रचार प्रसार हेतु गीत एवं नाटक आयोजित किये गए. इन कार्यकमों को खूब सराहा गया.
- अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर सशक्त नारी को और कामयाब करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन हुआ इसमें उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करवाया गया. नारियों को पुलिस थाने अदालत रोज़गार निवेश व पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई.
- राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बलिकयों के लिए साइबर क्राइम से अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. कबरियर काउंसलिंग बैंकिंग सेवा मीडिया उद्यमिता आत्मरक्षा जैसे विषयों पर

कार्यशालाओं का आयोजन हुआ जिसमे अनेक किशोरी बालिकायें लाभांवित हुई

सुरक्षित बालिका स्वर्णिम प्रदेश की थीम पर आत्मरक्षा एवं साइबर क्राइम पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश, श्रीमती अर्चना चिटनिस बी.एस.एस.एस– महाविद्यालय में बालक एवं बालिकाओं को सम्बोधित करती हुई बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से हितधारको की 14 कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें 486 लोग लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए

- ज़िला स्तर पर माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से 4 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का आयोजन किया जिसमें 240 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किये गए (निर्धारित लक्ष्य पूर्ण)
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत माहिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से ज़िला स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें 872 बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया।

चित्रकला प्रतियोगिता और कलश यात्रा

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से प्रत्येक ज़िले में एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 195 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं धरती संस्था के सहयोग से रीवा में रीवा और टीकमग के अधिकारीयों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. कलेक्टर एवं एस.पी रीवा ने इसमें भाग लिया. रीवा में हर घर दस्तक कार्यक्रम एवं शक्ति चौपाल का आयों भी हुआ जिसमें दोनों अधिकारी शामिल हुए.

बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना में जागरूकता लाने के लिऐ भ्रांतिशांति एवं सांपसीढी जैसे मनोरंजक खेलों का आयोजन ग्राम स्तर पर किया गया।

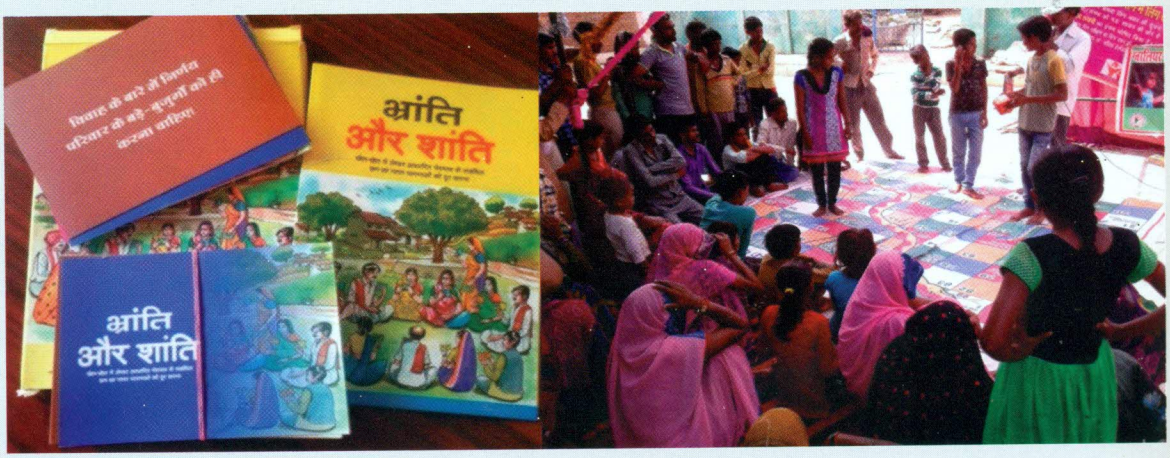

भ्रान्ति और शांति द्वारा लोगों को जागरूक किया गया; ग्वालियर में शक्ति चौपाल में खेला गया सांप सीढी का खेल

बालिका दिवस पर प्रदेश भर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं रोड शो किये गए

हवाओं ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया ...

वर्ष	भिण्ड	मुरैना	ग्वालियर	दतिया	रीवा	टीकमग
2013 – 14	898	904	891	912	–	–
2014 – 15	919	905	887	887	896	909
2015 – 16	896	901	918	879	911	917
2016 – 17	911	934	913	887	923	906

जन्म के समय लिंग अनुपात

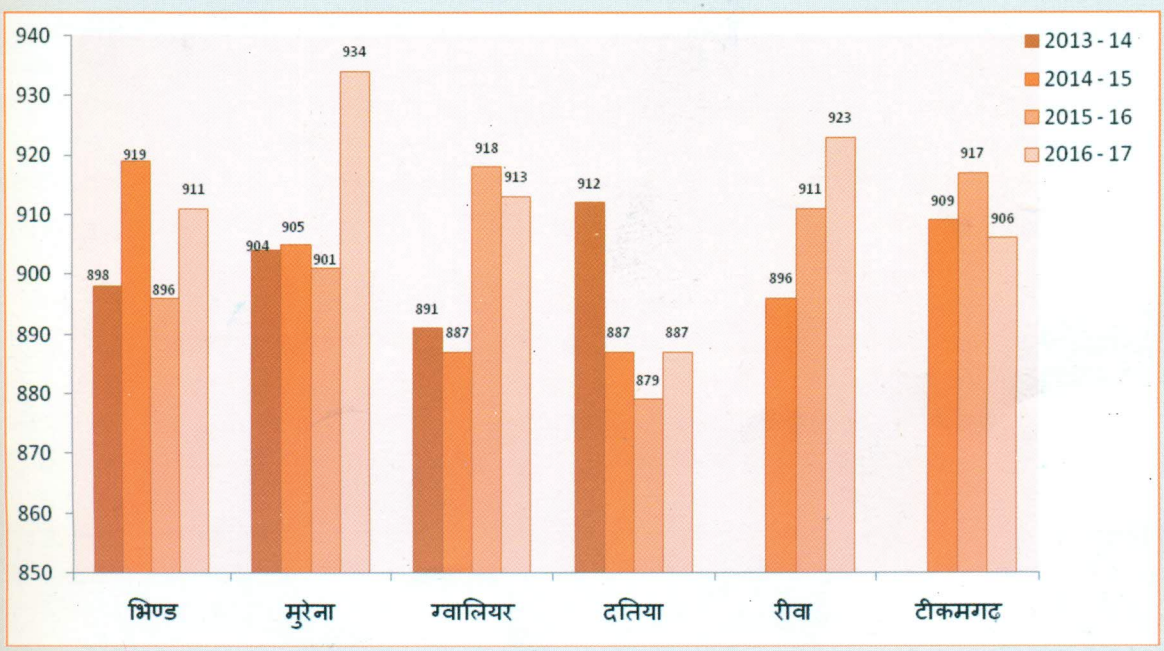

आइये हम सब प्रतिज्ञा करें ..

आप और हम सब मिलकर अपने साझा प्रयासों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाकर बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।

आईए हम संकल्प लें किः–

- अपने घर तथा आस–पड़ौस में बालिका जन्म होने पर खुशी एवं उत्सव मनाएंगे।
- अपने घर–परिवार में बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल जैसे सभी विषयों में भेदभाव पूरी तरह समाप्त करेंगे।
- अपनी बेटियों पर गर्व करेंगे तथा पराया धन की मानसिकता का विरोध करेंगे तथा जहाँ भी अवसर मिले इन विषयों पर खुलकर बात करेंगे।
- बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का दृढ़ता से विरोध करेंगे।
- सभी बालिकाओं का स्कूल में दाखिला करवाकर उनकी पढ़ाई को पूरा करवाऐंगे।
- अपने परिवार में कभी भी गर्भस्थ भ्रूण का लिंग परीक्षण अथवा लिंग चयन नहीं करवाएंगे एवं समाज में कहीं भी ऐसा होने का पता चलने पर तुरन्त इसकी सूचना अपने जिले के जिला कलेक्टर/समुचित प्राधिकारी को देंगे।
- महिलाओं व बालिकाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं हिंसामुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए कार्य करेंगे।
- बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को प्रत्येक स्तर पर समाप्त करेंगे।

स्वागतम लक्ष्मी योजना :–

मध्यप्रदेश शासन के दृष्टि पत्र 2018 में महिला सशक्तिकरण द्वारा राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास में महिलाओं की समान, साझेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के प्रति अनेक कुप्राथाऐं जैसे बाल विवाह, दहेज आदि प्रचलित है। कन्या भ्रूण हत्या इसका सबसे भयावह रूप है। समाज में महिलाओं की गरिमा, सम्मान स्थापित करने एवं उनके प्रति किये जाने वाले असंवेदनशील व्यवहारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि वे समाज में पुरूषों के समकक्ष अपना स्थान बना सकें। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने हेतु यह आवश्यक है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रत्येक समुदाय/वर्ग के लोगों के सामाजिक व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन लाया जाये। इस सोच को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से दिनांक 24 जनवरी 2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वागतम लक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया गया।

नवरात्र के अवसर पर **बेटी बचाओ अभियान** स्वागतम लक्ष्मी योजना पर 1559 कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों जैसे कन्याभोज, गरबा आदि का शुभारम्भ स्वागत लक्ष्मी गीत से किया गया। दुर्गा उत्सव हेतु सजाये गये पण्डालो में बालिकाओ/महिलाओं के नारीशक्ति के महत्व पर आधारित बेनर पोस्टर लगाये गये। कन्या पूजन के माध्यम से बेटी बचाओ के संदेश को जनमानस में प्रचारित किया गया। झांकिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बेटी बचाओं की शपथ दिलाई गई, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। धर्मगुरूओं द्वारा नवरात्र के अवसर पर दिये गये प्रवचनों में समाज में बालिकाओं के महत्व के विषय को भी सम्मिलित किया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवजात बालिका को स्वागतम लक्ष्मी किट् प्रदान किये जाते है।

स्वागतम लक्ष्मी किट् में बालिका के जन्म के समय ही बालिकाओं के लिए लाभ कारी शासकीय योजनाओं की जानकारी युक्त पुस्तिका, बालिका का चिकित्सालय का जन्म प्रमाण–पत्र, लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन हेतु आवेदन/स्वीकृति प्रमाण पत्र, एम.सी.पी. कार्ड, आधार कार्ड तथा उद्यानिकी विभाग के सहयोग से सहजना सुर्जना/मुनगे का पौधा/मुनगा के बीजों का किट्/ सहज उपलब्ध क्षेत्रीय मौसमी फलदार पौधा, साथ ही आईसीडीएस के सहयोग से मुनगा के पौष्टिकता संबंधी प्रचार सामग्री इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से नवजात बालिका तथा प्रसुता माताओं को विभिन्न योजनाओं में निःशुल्क दवाईयां, निः शुक्ल उपचार कार्ड, मेवे से भरपूर पौष्टिक लडडू एवं नवजात बालिका हेतु वस्त्र आदि ही किट् में सम्मिलित किया जाता है।

स्वागतम लक्ष्मी योजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय उपलब्धियां

- **7310** बालिका जन्मोत्सवों का आयोजन।
- **5764** ग्राम सभाओं का प्रारम्भ ग्राम की सबसे वृद्ध महिला के स्वागत से किया गया।
- **5523** ग्राम सभाओ का प्रारम्भ ग्राम की मेधावी बालिका के स्वागत से किया गया
- **7562** ग्राम सभाओं का प्रारम्भ ग्राम महिला जनप्रतिनिधि के स्वागत से किया गया।
- **19147** नवजात बालिकाओं का स्वागतजन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।
- **18379** बालिकाओं की माताओं का सम्मान किया गया।
- **950** साहसिक कार्य करने वाली सम्मानित महिलाओं/बालिकाओं की संख्या।
- **1322** स्कूल चलों अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वालो के लिये आयोजित सम्मान समारोह की संख्या।
- **12448** स्कूल चलों अभियान अन्तर्गत शाला मे प्रथम बार प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के शिक्षक/पालक संघ द्वारा आयोजित सम्मान/स्वागत कार्यक्रमों की संख्या।
- **3313** स्कूल चलों अभियान अन्तर्गत शाला त्यागी बालिकाओं के पुनः शाला आगमन पर शिक्षक/पालक संघ द्वारा आयोजित सम्मान/स्वागत कार्यक्रमों की संख्या।
- **13511** ग्राम सभाओं में घटते लिंगानुपात पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। • **13202** शपथग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन।

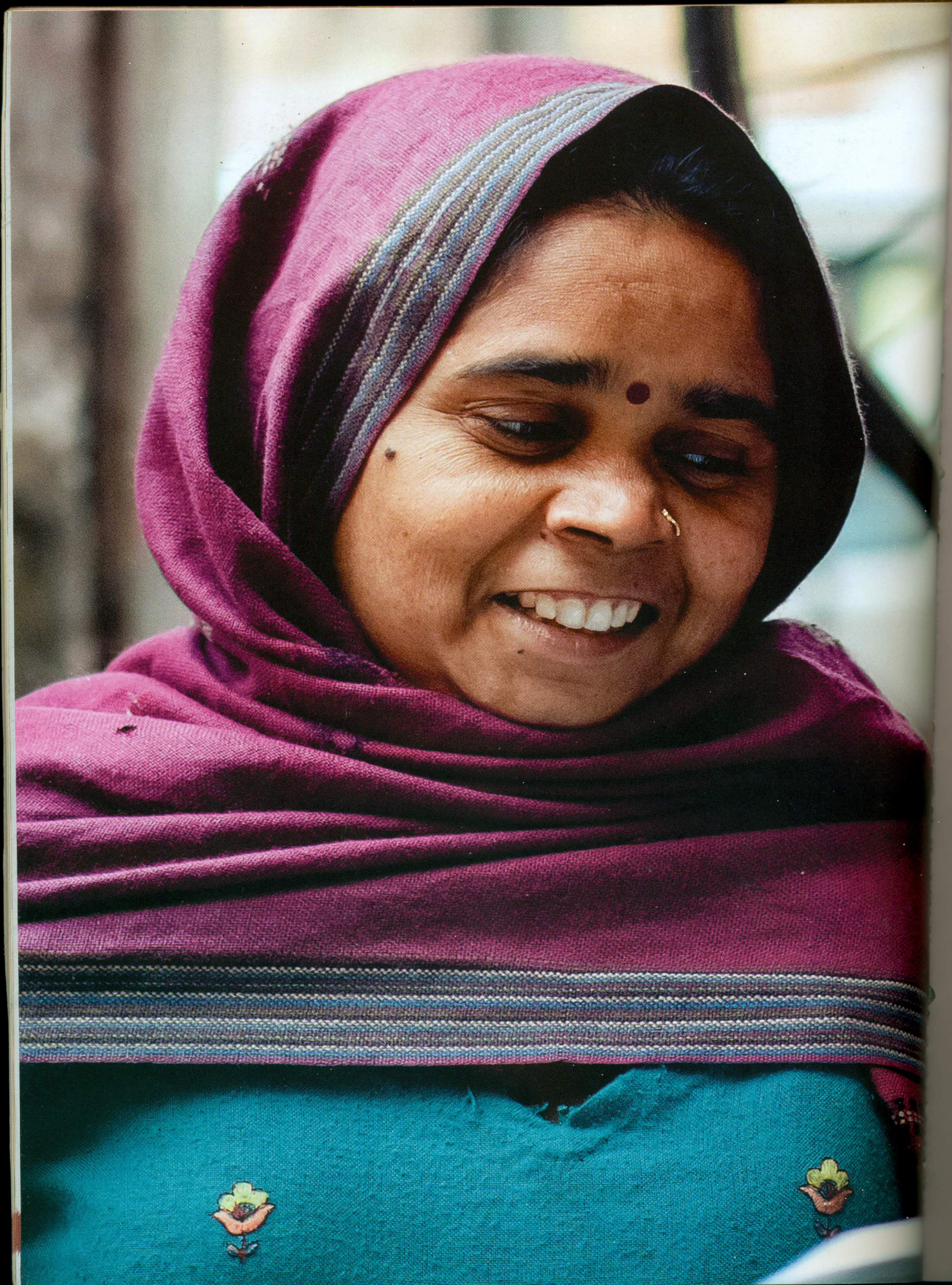

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों को देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल पर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास का समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च 1998 को म.प्र. राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (20 सन् 1996) की धारा 3 के तहत आयोग का प्रथम गठन किया गया।
- राज्य महिला आयोग – संयोजन
- एक अध्यक्ष विख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता अथवा महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
- सदस्य :– राज्य महिला आयोग में छः सदस्य जिनमें एक विख्यात अधिवक्ता, दो ख्याती प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र के एक–एक विशेषज्ञ एवं एक सरकारी अधिकारी होते है।
- राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 9–1/2016/50–1 भोपाल दिनांक 20.01.16 द्वारा आयोग के छठवे गठन की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती लता वानखेड़े , दिनांक 13.07.16 को श्रीमती गंगा उईके एवं दिनांक 25. 01.17 को अन्य चार सदस्यों श्रीमती प्रमिला बाजपेई, श्रीमती अंजू सिंह बघेल, श्रीमती संध्या सुमन राय, श्रीमती सूर्या चौहान की नियुक्ति की गई।

आयोग की प्राथमिकताऐं

- शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करवाना। इस हेतु संगोष्ठियों व प्रकाशनों का उपयोग करना। कोर ग्रुप की स्थापना करना जिससे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रत्येक विभाग द्वारा इस दिशा के कार्यो की समीक्षा व सुझाव।
- महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना अर्थात महिलाओं द्वारा दायर प्रकरणों में कानूनी सहायता दिलवाने हेतु प्रयास करना, साथ ही सहायता प्रणाली को संवेदनशीलता के साथ जोड़ने व महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखने का प्रयास।
- किशोरवय बालिकाओं को पारिवारिक स्वास्थ्य विषयक जानकारी शासन स्तर से व्यापक दिशा निर्देश तैयार करवाकर स्कूल/कॉलेजों एवं सामुदायिक केन्द्रों के माध्यम से पहुॅचाना।
- प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से संचालित कन्या छात्रावासों एवं कार्यकारी महिलाओं के छात्रावासों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना। शिक्षा तथा स्वावलंबन कार्यक्रय संचालन हेतु प्रोत्साहन देना।
- महिलाओं के अधिकार, महिला नीति अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं में महिला भागीदारी, लिंग भेदभाव, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर इन विषयों पर विभिन्न आयोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कार्यस्थल पर प्रताड़ना/यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करवाना।
- आयोग को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित निराकरण की दिशा में कार्य करना एवं आवश्यकतानुसार घटना स्थल पर जाकर गठित बैंच द्वारा जॉच प्रतिवेदन अनुरूप संबंधित विभाग को अनुशंसा करना।
- समय–समय पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोग द्वारा भ्रमण/अध्ययन यात्रा सुनिश्चित करना।
- महिला थानों/जेलों/महिला एवं बाल गृहों तथा अस्पतालों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करना व उनकी बेहतरी हेतु आवश्यक प्रयास करना।
- आवश्यकतानुसार समय–समय पर महिला नीति में परिवर्तन अथवा परिवर्धन के सुझाव शासन को भेजना।
- महिला प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जनसुनवाई/महिला लोक अदालत का आयोजन करना।

आयोग इन मामलों पर शिकायत प्राप्त करेगा

- महिलाओं पर अत्याचार व महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर।
- महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों के क्रियान्वयन न होने पर।
- महिलाओं के संबंध में राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन न किया जाना।

आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियॉं

- किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना।
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्राहय करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना।
- साक्षियों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।
- इस वर्ष आयोग के वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर पटलित किये गये।

आयोग में प्राप्त एवं निराकृत प्रकरण

क्र	प्राप्त प्रकरण (नवीन एवं विगत वर्षो के शेष)	आयोजित बैंचों की संख्या	संयुक्त बैंच में रखे गये प्रकरण	संयुक्त बैंच/प्रतिवेदन के आधार पर निराकृत
1	7026	27	905	2207

विविध निरीक्षण/शिविर आयोजन

क्रमांक	निरीक्षण स्थल	जिले
1	जिला चिकित्सालय निरीक्षण	भिंड, मुरैना, विदिशा, सागर, दमोह, सतना, छिंदवाडा, उज्जैन, नरसिंहपुर, रीवा, मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर
2	जेल निरीक्षण	रीवा, छिंदवाडा, ग्वालियर, सागर
3	वृद्धा आश्रममुरैना, शिवपुरी	
4	बालिका छात्रावास	सतना, सागर, दमोह, रतलाम, शिवपुरी, छिंदवाडा,
5	महिला छात्रावास	रीवा
6	अल्पकालीन आवास गृह	खजुराहो जिला छतरपुर
7	राष्ट्रीय विधिक जागरूकता शिविर	रेहली जिला सागर, पोरसा जिला मुरैना, शाहपुर जिला बैतूल, करैरा जिला शिवपुरी, शुजालपुर जिला शाजापुर, गुन्नौर जिला पन्ना, कुरवाई जिला विदिशा, पाढुना जिला छिंदवाडा
8	कार्यशाला (नारी सशक्तिकरण)	विदिशा, सागर, भिंड, दमोह, होशंगाबाद, उमरिया, बैतूल,

शिकायतें राज्य महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को व्यक्तिगत भेंट कर दी जा सकती है अथवा आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में डाक, फैक्स, तार अथवा ई–मेल द्वारा भी प्रेषित की जा सकती हैं।

कार्यालय का पताः–
अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
35 राजीव गांधी भवन, खण्ड 2, प्रथम तल
श्यामला हिल्स भोपाल 462002

संपर्क हेतुः–
दूरभाष कमांक 0755 2661813, फैक्स 0755– 2661806
टोल फ्री नं. 18002336112
ईमेल **swc-mp@nic.in** | बेवसाईट **mpswc.nic.in**

मध्यप्रदेश बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

मध्यप्रदेश बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 बनाया गया है। इसमें केन्द्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित करने का प्रावधान है। जिसमें देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैद्यानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को परिभाषा में रखा गया है।

बाल अधिकारों के संरक्षण में आयोग की भूमिका

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का उद्देश्य बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में सभी कानूनी प्रावधानों, उनके संरक्षण और विकास के लिए प्रदेश में चलाई जा रही समस्त योजनाओं की सटीकता, सम्पूर्णता, प्रभावशीलता की निगरानी कर सके और उन्हें और अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए सजग प्रहरी और मार्ग–दर्शक की भूमिका निभा सके ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक, खुशहाल वातावरण निर्मित हो।

आयोग के कृत्य

अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार आयोग निम्न में से कोई या सभी कार्य करेगा :–

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों क परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी कियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना

(ख) केन्द्र सरकार को वार्षिक या अन्य उन अन्तरालों पर, जो आयोग उचित समझता हो, इन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवेदन देना

(ग) बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही आरम्भ करने की अनुशंसा करना

(घ) आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक विपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी एड्स, अवैध स्थानान्तरण, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न एवं शोषण, अश्लीलता एवं वैश्यावृति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों की जांच करना और उन्हें दूर करने के उपायों की अनुशंसा करन

(ङ) विशेष ध्यान एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, जिनमें बिना परिवार वाले बच्चे, कैदियों के बच्चे कठिनाई में बच्चें शामिल हैं, से संबंधित विषयों की जांच करना तथा उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करना

(च) समझौतों व अर्न्तराष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना व वर्तमान नीतियों कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों की अन्य गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बच्चों के हित में उनके प्रभावी पालन हेतु अनुशंसा करना

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान व उसका प्रोत्साहन करना

(ज) समाज के विभिन्न वर्गो में बाल अधिकारों की साक्षरता फैलाना तथा प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों तथा अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण का प्रचार करना

(झ) बच्चों के बाल सुधार गृह अथवा अन्य रहने के स्थान अथवा बच्चों हेतु केन्द्र, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, अन्य समाजिक संस्थाओं के नियंत्रण के संस्थानों का निरीक्षण करना अथवा कराना जिनमें बच्चे उपचार, सुधार एवं संरक्षण के लिए रखे जाते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ठीक करने के उपाय विभिन्न संस्थानों को सुझाना

(ञ) निम्न मामलों से संबंधित परिवादों की जांच करना तथा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना :–

i. बाल अधिकारों का वंचन व उल्लंघन

ii. बच्चों को संरक्षण व विकास प्रदान करने वाले कानूनों का अकियान्वयनय

iii. बालकों की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्वांतों या अनुदेशों का अनुपालन या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ट) ऐसे अन्य कार्य व मामले जो बच्चों के अधिकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार आयोग ऐसे विषय में जांच नहीं करेगा जो अन्य राज्य आयोग या अन्य किसी वैद्यानिक आयोग के विचाराधीन हो।

आयोग के अतिरिक्त कृत्य

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 के नियम 10 के अन्तर्गत आयोग के अतिरिक्त कृत्य निम्नानुसार हैं :–

(क) बाल अधिकारों पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना, बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलु के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करनाय

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करनाय

(ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिन्ता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की गई हैय

(घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सकेय

(ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर विचार करनाय

(च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनका प्रचार करनाय

(छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करनाय और

(ज) विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोन्नत करना।

परिवादों को निपटाने के लिए प्रक्रिया

(1) समस्त परिवाद, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किए गए हों, पंजीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायपीठ (बैंच) के समक्ष साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवाद आयोग के लिए ग्राह्य नही हैं :–

(क) ऐसी घटनाओं के संबंध में, जो परिवाद प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हैं।

(ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन है।

(ग) जो स्पष्ट नहीं हैं, बिना किसी नाम से या छदम् नाम से है।

(घ) जो तुच्छ प्रकृति के है।

(ङ) जो आयोग के अधिकारिता के बाहर है।

(2) परिवादों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

(3) प्रत्येक परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतयाः स्पष्ट हो जाए जिसके कारण परिवाद किया गया है। तथापि परिवादों को सुविधानुसार फाइल करने के लिए आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किए गए परिवाद को स्वीकार कर सकेगा। आयोग को यह भी स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अभिकथनों के समर्थन में और जानकारी तथा शपथ पत्र फाईल किए जाने की उपेक्षा करे।

(4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार या ई–मेल से भेजे गए परिवादों और फैक्स माध्यम से परिवादों को ग्रहण करेगा।

(5) आयोग को किसी परिवाद को आरंभ में ही खारिज करने का अधिकार होगा।

(6) किसी परिवाद के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जॉच के लिए रखा जाए या और अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक परिवाद के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगाएगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा।

(8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणावगुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिए तैयार की जाएगी।

आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही

(1) आयोग स्वविवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या यक्तियों को उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक होउ स क संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा। आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषयवस्तु है और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिवार के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण,यदि कोई हो, करने का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

(2) जहां आयोग के दल (टीम) द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किया गया है, वहां उसके पूर्ण होने की तारीख से एक सप्ताह या ऐसे और समय के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। किसी विशिष्ट मामले में यदि आयोग की यह राय है कि अन्वेषण उचित रूप से नहीं किया गया है या सत्य को सुनिश्चित करने के लिए या उस विषय को उचित रूप से निपटाने में समर्थ होने के लिए उस विषय में और अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो आयोग स्व–विवेकानुसार और अन्वेषण करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(3) आयोग या अध्यक्ष द्वारा जब ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो आयोग के सदस्यों में से कोई सदस्य स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिए दौरा कर सकेगा तथा जहां किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसा अध्ययन किया जाता है, तो वह रिपोर्ट आयोग को यथासंभव शीघ्र दी जाएगी।

आयोग की अन्य प्रमुख कार्यवाहियॉं :

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू कराने हेतु मॉनीटरिंग एवं सुपरवीजन।
2. लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (च्व्ब्ब्) के प्रभावी कियान्वयन की मॉनीटरिंग।
3. नकल करते पकड़े गये छात्रों से संवेदनशील व्यवहार करने हेतु आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव।
4. आर.टी.ई. एक्ट तहत अशासकीय शालाओं की मान्यता संबंधी कार्यवाही।
5. मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कार्यवाही
6. कुपोषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही।

अन्य कार्य :

01. नाबालिग बच्चों की रैली पर बाल आयोग द्वारा दर्ज आपत्ति
02. गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र।
03. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
04. नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिलास्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।

प्रमुख अनुशंसाऐं

- हिंसा से पीड़ित,जरूरतमंद और संरक्षण वाले बच्चों के लिए वन स्टॉप काइसिस सेंटर जैसी सुविधा की व्यवस्था करना।
- नवजात बच्चों की चोरी / खरीद–फरोक्त रोकने हेतु सुरक्षा व्यवस्था।
- अध्ययनरत बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को अभियान के रूप में चलाया जाये।
- S स्कूली बच्चों के सुरक्षित यातायात हेतु स्कूलों के वाहनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का कड़ाई से पालन करवाया जाये।
- स्कूलों में / आंगनबाड़ी में वजन व उंचाई, बीएमआई तथा अन्य जनहितैषी निर्देश चस्पा किये जावे।

- विद्यालयों के आसपास शराब की दुकान हेतु स्थान नहीं दिया जाये तथा पूर्व से संचालित दुकानों को हटाया जाये।
- अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाहों को कड़ाई से रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।
- सभी शासकीय आश्रय गृहों में अधीक्षक, परीवीक्षा अधिकारी सहित समस्त रिक्त पदों एवं जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त समस्त पदों की पूर्ति शीध्र की जाये।
- अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों में भी परामर्शदाता/ प्रशिक्षकों की सेवायें आउटसोर्स से विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाये।
- सभी बाल आश्रय गृहों को चाईल्ड फ्रेंडली बनाया जाये। बच्चों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये जायें ताकि सुरक्षा के नाम पर बच्चों को कमरों में ही बंद नहीं रखा जाये।
- सभी जिलों में बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की पूर्ति की जाये।
- जिन जिलों में बालगृह नहीं हैं वहॉ इन्हें खोला जाये। गर्भवती बालिकों हेतु पृथक गृह प्रारंभ किये जायें।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए केन्द्र पोषित प्रीमेट्रिक छात्रवृति प्रदान किये जाने हेतु बनाये गये नियमों में संशोधन संबंधी अनुशंसा।

नवाचार

- बच्चों में मानसिक तनाव से आत्महत्या के प्रकरण बढ़े हैं। आयोग द्वारा स्वयंसेवी संगठनों, काउंसलरों और स्कूल के अध्यापकों के सहयोग से सवालों की सूची तैयार करायी जा रही है। जो प्रत्येक स्कूल में एक समिति का गठन कर उसके पास रखी जायेगी। यह समिति चिन्हित बच्चों की नियमित मॉनीटरिंग कर काउंसिलिंग करेगी।
- बच्चों के लिए मन की बात नवाचार प्रारंभ किया गया है इसके तहत् स्कूलों में आयोग का पता अंकित कर पोस्टकार्ड बांटे गये हैं। इनके माध्यम से बच्चे अपने मन की बात सहजता से आयोग के साथ साझा कर सकेंगे।
- जिला भोपाल में संचालित बालगृह एवं संप्रेक्षणगृह में योग कक्षाओं का संचालन कराना।
- जिला भोपाल में संचालित बालगृह में अतिरिक्त कक्ष हेतु राज्यसभा सांसद निधि से राशि रू 15.00 लाख की स्वीकृति कराना।
- शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु वेबसाइट तथा मोबाइल एप निर्माणाधीन। इससे बच्चों से संबंधित समस्त अधिनियम, नियम, निर्देश तथा शिकायतें व की गयी कार्यवाही अपडेट रखी जा सकेगी। शिकायतों को ऑनलाईन प्राप्त करना, शिकायतकर्ता को शिकायत की स्थिति से अगवत् कराना, Complaint Management System तथा शिकायतों के लिये डै॰ तथा डैशबोर्ड की सुविधा वेबसाइट पर रखी जायेगी। मोबाइल एप के माध्यम से भी शिकायतें की जा सकेंगी।

उल्लेखनीय कार्य

- दिनांक 19.4.16 को प्रकाशित समाचार पलाश अस्पताल जिला ग्वालियर में बच्चों की खरीद–फरोख्त के मामले को स्वयं संज्ञान में लेकर निरीक्षण उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बच्चों के संरक्षण के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्देशित किया। वर्तमान में जिले के सभी नर्सिग होम का निरीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया जाकर सत्त निगरानी जारी है।

- सिंहस्थ के दौरान भोपाल स्टेशन पर 12 बच्चों को एक व्यक्ति के साथ सहमी अवस्था में पाया गया। पूछताछ में सभी बच्चे बिहार राज्य के पाये गये जिन्हें भोपाल में चूड़ी कारखाने में काम करने हेतु लाया गया था। बच्चों से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सुबह 7.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक काम लिया जाता था तथा शारीरिक एवं मानसिक यातना भी दी जाती थी। प्रकरण में आयोग ने त्वरित कार्यवाही कर बच्चों को रेस्क्यू करवाकर दिनांक 23.6.16 को पुलिस बल के साथ उनके घर भिजवाया।
- दि 25.4.14 को सुलभ शौचालय, अन्नानगर भोपाल के बाहर पानी के खुले टेंक में गिरकर श्री रामकृष्णन की 6 वर्षीय पुत्री अंशिका की मृत्यु हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर घटना स्थल का निरीक्षण कर तुरंत ही नगर निगम आयुक्त को निर्देश देकर खुला टेंक तत्काल बंद कराया गया तथा परिजनों को रू.50,000/– सहायता राशि उपलब्ध कराई। नगर निगम को कॉलोनी में खुले गड्ढों को बंद कर बच्चों के खेलने हेतु पार्क बनाने के निर्देश दिये।
- भारत सरकार, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास) बिल 2016 के ड्रॉफ्ट में संशोधन हेतु दिनांक 27.06.2016 को कार्यशाला आयोजित कर सुझाव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित किये।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन शिक्षा नीति 2016 के ड्रॉफ्ट पर दिनांक 4.8.16 को परिचर्चा में प्राप्त सुझावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

59, तृतीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Telephone No. 0755-2559900/03/04/05/06
E-mail: mpcpcr@gmail.com

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

समितियां हैं। स्व सहायता समूहों के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में 60 लोकेशन पर 60 फेडरशन गठित हैं। प्रत्येक फेडरेशन में 3000 से 3500 तक महिला सदस्य हैं। फेडरेशन स्वतंत्र रूप से स्व सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण. ग्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं। इस हेतु इन्हें कार्यक्रम की ओर से विधिवत प्रशिक्षित किया गया है।
शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यों यथा कैशलेस ट्रांजेक्शन, नमामि देवी नर्मदे, सिंहस्थ–महाकुंभ, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण आदि राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में फेडरेशन के सदस्यों द्वारा सहयोग एवं योगदान दिया जा रहा है।

आजीविका व उद्यम विकास

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका को सशक्त करने हेतु निम्नानुसार आजीविका प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है -

क्रमांक	गतिविधि	क्लस्टर संख्या
01	सब्जी उत्पादन	29
02	बकरी पालन	22
03	डेयरी	04
04	कोदो–कुटकी उत्पादन	04
05	कोकून माला निर्माण	01

उक्त आजीविका प्रस्ताव से तेजस्विनी जिले की 28567 महिलाओं की आजीविका संवर्धित होगी। डिण्डौरी जिलें के मेहदवानी मे कोदो– कुटकी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। तेजस्विनी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय सह–प्रदर्शन हेतु भोपाल हाट में एक एम्पोरियम किराये पर लिया गया है, जिससे विक्रेता एवं क्रेता दोनो को ही लाभ प्राप्त हो रहा है।

कार्यशालाएं भ्रमण एवं प्रशिक्षण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ATARI झोन–7 जबलपुर कृषि विभाग एवं तेजस्विनी कार्यक्रम के समन्वित प्रयासों से '' पोषण के लिये कृषि एवं पोषण जागरूकता'' कार्यशाला का आयोजन भोपाल में दिनांक 09 जनवरी 2017 को किया गया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडीसा राज्य के कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिक तथा मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त जिला अधिकारी एवं तेजस्विनी समूह की महिला कृषक शामिल हुए। कार्यशाला में ICAR के वैज्ञानिकों ने महिलाओं को पोषक तत्वों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

तेजस्विनी समूह की महिलाओं को इंटरनेशनल सेन्टर फॉर एग्रीकल्चर इन दी ड्राय एरिया ;प्।त्।द्ध के इंडिया रिसर्च प्लेटफार्म, अमलाहा जिला सीहोर मे भ्रमण कराया गया, ताकि महिलाऐं शुष्क क्षेत्रों हेतु उन्नत कृषि तकनीकि से परिचित हो सके।

''उन्नत कृषि एवं लाभ'' हेतु दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2017 को भोपाल मे कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमे कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग ICARD। एवं केंन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्नत तकनीकि एवं अनुदान के संबंध में विस्तार से महिला कृषकों को अवगत कराया गया।

सूक्ष्म वित्त सेवाएं

कार्यक्रम अंतर्गत गठित 16232 स्व सहायता समूहों में से अब तक 6674 समूहों को बैंक व सूक्ष्म वित्त से जोड़ा गया है।

महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय व समानता

कार्यक्रम अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती चुनावों में विजयी उम्मीदवार सुचारू रूप से कार्य कर सकें, इस हेतु ट्रेनिंग आयोजित की गई। मौसमी बीमारियों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा छह जिलों में 90910 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। छतरपुर में 50 ग्राम में पोषण वाटिका लगाई गई।

सफलता की कहानियां

1. टीकमगढ़ जिले के महासंघों को मिला मृदा परीक्षण का दायित्व

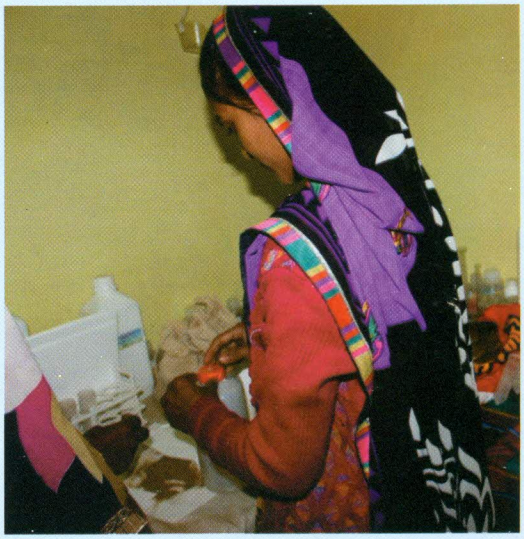

कलेक्टर टीकमगढ़, श्रीमती प्रियंका दास द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2016 को कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र की विभागीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि तेजस्विनी अंतर्गत गठित महासंघ जो फर्म एवं सोसायटी एक्ट अंतर्गत पंजीकृत हैं, को केन्द्र प्रवर्तित योजना "**नमसा योजना**" अंतर्गत मिनी मिट्टी परीक्षण लैब स्वीकृत किये जायें। महासंघों की वित्तीय स्थिति के आधार पर तीन महिला महासंघ दिव्यआभा तेजस्विनी महिला महासंघ, बल्देवगढ़, प्रेरणा तेजस्विनी महिला महासंघ, बम्होरीकलॉ एवं संगनी तेजस्विनी महिला महासंघ तरीचरकलॉ को मिनी मिट्टी परीक्षण लैब स्वीकृत किये गये हैं। कलेक्टर द्वारा महासंघ कोटेस्ट में लगने वाली आवश्यक सामग्री, मृदा परीक्षक मशीन एवं मृदा परीक्षण किट प्रदान किये गये। जिले में महासंघों को स्वीकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सतत् मॉनीटरिंग हेतु कृषि विभाग से नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

2. तेजस्विनी कार्यक्रम अंतर्गत गठित महासंघों के कार्यालयों हेतु रिक्त शासकीय भवन आवंटिक किए जाने का शासन का महत्वपूर्ण निर्णय

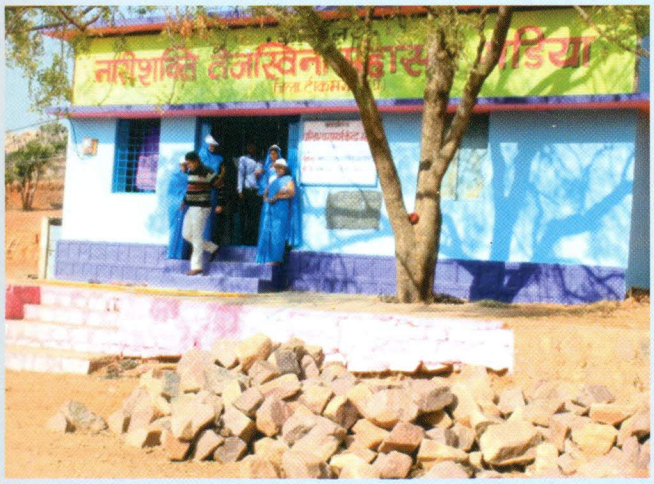

तेजस्विनी कार्यक्रम अंतर्गत छह जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं मंडला में गठित महासंघों के कार्यालयों को जिले के रिक्त शासकीय भवनों में संचालित किए जाने का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिपालन में टीकमगढ़ जिले के सभी 10 महासंघ, डिंडौरी में सभी 9 महासंघ, बालाघाट में 2 महासंघ, छतरपुर में 7 महासंघों को शासकीय भवन आवंटित किए जा चुके हैं एवं मंडला व पन्ना में भी भवन आवंटन की प्रक्रिया जारी है।

3. नल जल योजना के लिए तेजस्विनी की पहल

छतरपुर जिले के राजनगर से बछौन रोड पर घुंचू गांव है, पहले घुंचू में पानी की अत्यधिक समस्या थी। इस समस्या को लेकर तेजस्विनी समूह एवं वीएलसी के सदस्यों ने बैठक की, जिसमें पीएचई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे । अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस गांव में नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सहयोग से पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद योजना के लिए बजट बनाया गया जिसे ग्रामसभा ने अनुमोदित किया। तेजस्विनी समूहों की बैठक में गांव की अन्य महिलाओं को जोड़कर पेयजल समिति का गठन भी किया गया है। फिलहाल गांव में 20 परिवारों को नल का कनेक्शन दिया गया है, तथा ये प्रक्रिया जारी है। पानी की समस्या दूर होने के बाद अब तक गांव के 182 परिवारों में से 162 परिवारों के यहां शौचालय निर्माण भी कराया गया है।

4. ग्राम विकास को प्रतिबद्ध संघ की महिलाएं

जिला मण्डला के बुढ़नेर नर्मदा महिला संघ की 60 सदस्यों और गांव की जागरुक महिला पंचों को संस्था प्रदान के माध्यम से छत्तीसगढ के जिला धमतरी के ग्राम छींदभर्री में मनरेगा कार्यो से गांव में आए बदलाव को दिखाने भ्रमण पर ले जाया गया। वहॉ महिलाओ ने जाना की कैसे गांव के लोग ही मिलकर विकास की योजना बना रहें हैं और उसी के अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाकर पूर्ण हो रहें हैं।भ्रमण से लौटकर सदस्यों ने सीखी व देखी बातों पर समूह व व्ही.एल.सी.में चर्चा कर अपने गॉव में भी इसी तरह कार्य करने का निर्णय लिया। महिलाओं ने ग्राम के लिए योजना तैयार कर गतिविधियों को ड्राइंग शीट में तैयार कर ग्रामसभाओं में रखा। बुढ़नेर नर्मदा महिला संघ की सदस्यों ने अपनी बात को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष रखा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन गांवों में स्वयं जाकर मनरेगा के कार्यो का आंकलन किया और संघ के महिला सदस्यों की बात पर अमल करते हुए ग्राम विकास में महिलाओं द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार विकास कार्य को स्वीकृति दी। अब ग्राम विकास के कार्य उसी के अनुसार किये जा रहे हैं।

5. स्वच्छ भारत मिशन द्वारा मंडला का दुर्गा शक्ति तेजस्विनी महिला संघ, घुघरी सम्मानित

मंडला में जनपद पंचायत घुघरी को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमंडला को खुले में शौच से मुक्त कराने के कार्य में सक्रिय व सराहनीय सहयोग प्रदान करने के लिए दुर्गा शक्ति तेजस्विनी महिला संघ, घुघरी की अध्यक्ष गंगाबाई आर्मो एवं लोकेशन समन्वयक पंकज चौरसिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया । स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित गौरव यात्रा कार्यक्रम में संघ को यह सम्मान दिया गया।

ग्राम कटंगी ग्राम पंचायत डोंगरमंडला स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित तेजस्विनी ग्राम है। तेजस्विनी के 66 परिवारों में से 11 परिवारों के घरों में पूर्व से शौचालय निर्मित है तथा शेष 55 महिला सदस्यों के घरों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ले–आउट उपरांत शौचालय निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

5. जैविक खेती

जिला बालाघाट के उत्तर में 60 किलोमीटर की दूरी पर विकासखंड परसवाड़ा स्थित है। परसवाड़ा लोकेशन में तेजस्विनी कार्यक्रम एवं फेसिलिटेटर एन.जी.ओ प्रदान के सहयोग से संघ की महिलाओं ने कृषि में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। धान की कृषि में श्री विधि अपनाकर दो गुनी से चार गुनी तक उपज प्राप्त करने के बाद अब ये महिला कृषक स्वयं के द्वारा उत्पादित धान को बीजों के रूप में संरक्षित करने और उन्ही बीजों को अपनी खेती में प्रयोग करने का महत्वपूर्ण फैसला किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महिला किसान ने जैविक कृषि को अपनाया है। इन्होने सभी तरह के जैविक खाद, कीट नाशक, कीट रोधक तैयार करने में योग्यता हासिल कर ली है और इन जैविक उत्पादों का प्रयोग अपने खेतों में भी कर रहीं हैं। वर्तमान में बालाघाट जिले के परसवाड़ा लोकेशन मे जैविक खेती मे किसानों की अच्छी समझ बन गई है और वे जैविक खेती के महत्व से ग्राम के अन्य किसानो को भी अवगत करा रहे हैं।

राज्य महिला संसाधन केन्द

राज्य महिला संसाधन केन्द्र

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को द्रुतगति देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **"नेशनल मिशन फॉर वूमेन"** प्रारंभ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं से समन्वय स्थापित कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये उचित रणनीति तैयार करना है। उपरोक्त उद्देश्ययों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन एवं स्टेट मिशन ऑथोरॉटी के गठन के निर्देश दिये गये है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला वित्त विकास निगम के अन्तर्गत स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन की स्थापना की गई।

मिशन स्टेटमेंट

राज्य महिला संसाधन केन्द्र का लक्ष्य उन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर केन्द्रित है और महिलाओं के सर्वांगीण विकास, जेण्डर समानता और जेण्डर न्याय को बढावा देती है। विभिन्न भागीदारों के बीच आपसी तालमेल उत्पन्न करती है और सामाजिक बदलाव के लिये सकारात्मक बनाती है।

मुख्य कार्यनीतियॉ

- महिलाओं के लिये विभिन्न योजनाओं को उपलब्ध करवाना, नियमित आधार पर इनकी निगरानी, समीक्षा करना।
- महिलाओं के लिये संस्थागत संरचनाओं द्वारा योजनाओं को सुदृढ़ बनाना।
- नीति और कार्यक्रम सुधार हेतु साक्ष्य जुटाने के लिये अनुसंधान, मूल्यांकन, अध्ययन, योजनाओं की निती और कार्यक्रम सुधार और विधान, जेंडर लेखापरीक्षा और परिणाम आंकलन करना और प्रयासों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना।
- बालिकाओं और महिलाओं को कौशल और उद्यम विकास, माइक्रो क्रेडिट, पेशेवर प्रशिक्षण और स्व–सहायता समूह विकास द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना।
- उपयुक्त और स्थानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, पंचायती राज संस्थान, समुदाय प्रतिनिधियों और समूहों तथा मीडिया और संचार माध्यमों द्वारा जेंडर शिक्षा, व्यवहार और सामाजिक परिवर्तनशील की ओर जागृत करना।

मध्य प्रदेश में जेंडर रिस्पॉसिव बजटिंग

मध्य प्रदेश के दूरदर्शी पत्र 2018 (2013 में जारी) की कंडिका 4.2.1 में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को लक्षित किया गया हैं, जो कि जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग का मुख्य लक्ष्य हैं. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से जेंडर बजटिंग की शुरूआत की गयी है। महिला उत्थान से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से जुडे हुये प्रत्येक क्षेत्र को महिला समानता के नजरिये से सम्मिलित करना और तद्नुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

जेंडर बजट संबंधी पहल के पीछे तीन प्रमुख लक्ष्य रहे हैं,

1) सरकार की नीतियों के भीतर जेंडर के मुद्दों को महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित करना

2) जेंडर समानता हेतु सरकार की वचनबद्धता के लिये जवाबदेही को बॉटना

3) बजट और नीतियों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना

जेंडर बजट, योजनाओं को उनके परिणाम से जोड़ने की प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक नहीं है की मात्र आंकड़ो में परिवर्तन आये बल्कि यह प्रयास हैं की महिलाओ की समता के लिए व्यवस्था भी प्रतिबद्ध हो। महिला सशक्तिकरण संचालनालय की भूमिका जेंडर बजटिंग को प्रभावी बनाने में नोडल एजेन्सी की तरह हैं, जो राज्य के विभागों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है, ताकि सरकार द्वारा जेंडर बजट को उसके क्रियान्वयन एवं

मूल्यांकन के हर चरण पर महिलाओं के हित की दृष्टि से देखा जा सके। जेंडर बजट की प्रक्रिया में जेंडर बजट स्टेटमेंट, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिसमें, विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं को उनके बजटीय परिदृश्य में दर्शाया जाता हैं. जेंडर बजट स्टेटमेंट में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिये प्रावधानों को दो श्रेणियों में रखा गया है। श्रेणी–1, अर्न्तगत ऐसी योजनायें हैं जिनमें बजट का 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिये किया गया है। श्रेणी–2, में ऐसी योजनाएँ सम्मिलित हैं. जिनमे महिलाओं के लिये कुल बजट प्रावधान का कम से कम 30 से 99 प्रतिशत तक हो।

महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा नारी समानता तथा जेंडर मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में कई कार्यक्रम तथा योजनाए विगत वर्षो में प्रारंभ की गयी हैं जिनका उद्देश्य जेंडर असमानता के मुख्य मानकों जैसे कि लैंगिक अनुपात, स्त्री शिक्षा, मातृश मत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बालिकाओं के स्कूल के दर, उनके बाल विवाह तथा भ्रूण हत्या आदि को लक्षित करते हुए लैंगिक समानता की समाज में स्थापना करना हैं. जेंडर विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर एवं निर्णय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी शामिल है।

नीचे दी गयी तालिकाओं में मध्य प्रदेश में प्रमुख जेंडर मानकों को और उनकी भारत के साथ तुलनात्मक स्थिति को

तालीका–1

वर्ष	भ्रूण हत्या (म.प्र.)	भारत
2011	38	–
2014	30	101
2015	30	107

तालीका–2

संकेतक	N.F.H.S-3 (2005-06)	N.F.H.S-3 (2005-06)
6 साल और उससे अधिक उम्र की बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति (%)	58	58
घरेलु निर्णय में महिलाओं की भूमिका (%)	68.5	68.8
महिलाओं द्वारा बैंक या बचत खातों का संचालन	8.9	37.3
महिला घरेलु हिंसा (%)	45.7	33

नेशनल फेमिलि हेल्थ सर्वे (N.F.H.S.)

लैंगिक मुद्दे हेतु विभागीय पहल

उपरोक्त जेंडर मानकों मे सुधार हेतु महिला सशक्तिकरण संचालनालय के अधीन कई नवाचार प्रारंभ किये गए हैं जो की तालिका 3 में दर्शाये गये है :–

तालीका–3

क.	महत्वपूर्ण योजनायें / नवाचार	प्रत्यक्षतः संबंधित जेंडर विषय / मुद्दे
1	लाड़ली लक्ष्मी योजना (विवाह की आयु में सुधार, शाला ड्रापआउट कम)	लिंग / अनुपात,बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर एवं विवाह की आयु में सुधार
2	शौर्या	सामाजिक जाग्रति एवं समान प्रस्थिति
3	लाडो अभियान	बाल विवाह रोकने हेतु
4	तेजस्विनी	ग्रामीण महिला का सर्वागीण विकास
5	बेटी बचाओं	लिंगानुपात सुधार
6	वैश्या उन्मूलन जबाली योजना	वैश्यावृत्ति के उन्मूलन तथा पुनर्वास एवं रोजगार के संबंध में
7	आईसीपीएस	बालिकाओं का पुनर्वास
8	उषा किरण योजना	घरेलु हिंसा पर अंकुश
9	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	कठिन परिस्थितियों में निवासरत महिलाओं को समाज में मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना
10	महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	महिलाओं को सुरक्षा

संचालनालय महिला सशक्तिकरण, जेंडर बजट सेल का गठन कर जेंडर संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर जागरूकता लाने एवं वित्तिय कसौटियो को महिलाओं के अनुकूल बनाने का सफल प्रयास कर रहा हैं। जेंडर बजटिंग को सशक्त बनाने के लिए यू.एन. वूमेन द्वारा संचालनालय महिला सशक्तिकरण को लगातार तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

संचालनालय महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जेंडर रेसपोंसिव बजट हेतु विशेष प्रयास –

- जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग की निगरानी एवं समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में जेंडर रेसपोंसिव बजटिंग के प्रयासों में समन्वय तथा निरंतर मूल्यांकन करना है।
- 25 विभागों में जेंडर बजट सेल का गठन हो चुका है तथा अन्य विभागों में इसका गठन किया जा रहा है।
- प्रत्येक विभागों को अपने प्रशासकीय प्रतिवेदन में ''जेंडर बजट से संबंधित मुद्दे हेतु एक चैप्टर'' सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किये गये है।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सी.आर. में जेंडर सवेंदनशीलता के मूल्यांकन का बिंदु शामिल किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।
- विभाग के अधिकारियों को जेंडर एवं जेंडर बजट के प्रति सवेंदनशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
- नवीन प्रोजेक्ट / योजनाओं को प्रारंभ करने हेतु सक्षम समितियों (ई.एफ.सी, एस.एफ.सी, पी.एस.सी) में जेंडर दृष्टि हेतु महिला बाल विकास विभाग का प्रतिनिधी भी सम्मिलित करने हेतु सा.प्र.वि. द्वारा आदेश जारी किया गया है।

आगामी रणनीति

वर्तमान में प्रचलित जेंडर बजट स्टेटमेंट में श्रेणी–01 तथा श्रेणी–02 में महिलाओं/बालिकाओं हेतु आबंटन का उल्लेख किया जाता है, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि किन जेण्डर मुद्दों को इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से शमिल किया जायेगा। जेंडर बजट स्टेटमेंट की सीमाओं को देखते हुए, संचालनालय महिला सशक्तिकरण एवं यू.एन. वूमेन द्वारा परिवर्धित जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तावित किया गया हैं, इसके खंड 'क' में जेण्डर स्टेटमेंट में लक्ष्य तथा उपलब्धि संबंधी आंकड़े और महिला हितग्राही की संख्या दी जानी होगी. खंड 'ख' में विभाग द्वारा प्रमुख रूप से विभागीय योजनाओं तथा उन क्षेत्रों में जो विभाग के विषयों में सम्मिलित है, में क्या प्रमुख जेंडर मुद्दें है, उन पर प्रकाश भी डाला जाएगा। उदाहरणतः वन विभाग के लिए जेंडर रेसपोंसिव बजटिंग को अधिक ग्राह्य बनाने हेतु यू.एन. वूमेन एवं महिला सशक्तिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है।

आगामी समय में जेंडर बजटिंग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण द्वारा समस्त विभागों के जेंडर बजट सेल एवं अन्य अधिकारियो को जेंडर एवं जेंडर बजट के प्रति सवेंदनशील करना और संबंधित विभागों की योजनाओं का अभिसरण (Convergence) करना प्राथमिकताओं में हैं।

मुख्य उपलब्धियां

राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्षों यथा–पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्धन आदि के विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है। जैसा कि जेंडर बजटिंग का उद्देश्य हैं, बजटीय प्रावधान को जेंडर के दृष्टि से संतुलित बनाया जाए, मध्यप्रदेश में यह सुनिश्चित किया गया हैं, कि महिलाओं हेतु प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाए तथा कार्यक्रम महिला नीति 2013–17 पर आधारित हो। महिला नीति मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज में सकरात्मक परिवर्तन लाना हैं, जिससे परस्थिति विभेदकारी समाप्त हो सके।

प्रदेश में बाल विवाह के रोकथाम के लिए लाडो अभियान वर्ष 2013 में लागु किया गया जिसके फलस्वरूप वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012–13 व NFHS& 4 के आकड़ों की तुलना में यह पाया गया हैं कि गत तीन वर्षों में लगभग 28.57 प्रतिशत बाल विवाहों में कमी दर्ज की गई है।

लिंग अनुपात जोकि 2011 में 938 था NFHS & 4 आकड़ो के अनुसार 2015–16 में बढकर 948 हो गया है। निश्चित रूप से यह उपलब्धि प्रदेश अन्तर्गत विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान आदि के द्वारा की गई पहल है। प्रदेश में घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए उषा किरण योजना (2005–06) और शौर्या दल का गठन वर्ष 2013–14 में शुरू किया गया जिसके परिणाम स्वरुप NFHS- 4 के आकड़ो में यह पाया गया हैं की लगभग महिला हिंसा में 10.7 प्रतिशत की कमी आई है।

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा
मध्यप्रदेश

संभाग से आंगनबाड़ी स्तर तक

संभागीय संयुक्त संचालक - आई.सी.डी.एस.(10)

संभागीय सहायक संचालक - आई.सी.डी.एस.(10)

जिला कार्यक्रम अधिकारी (51)

सहायक संचालक, जिला कार्यालय - (100)

अधीक्षिका आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (10)

बाल विकास परियोजना अधिकारी (453)

सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सांख्यिकी अन्वेषक (376)

पर्यवेक्षक (3409)

कार्यालयीन अमला

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, मध्यप्रदेश

संयुक्त संचालक (1)

वित्त सलाहकार (1)

सहायक संचालक (1)

कार्यालयीन अमला

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग के मानव संसाधन को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिये वर्ष 2016-2017 में कई उल्लेखनीय कार्य किये है। पर्यवेक्षक संवर्ग को पुनर्जीवित कर परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत 1,420 पदों पर नियुक्ति एवं पदस्थापना की कार्यवाही की गई। शिशु शिक्षा एवं देखभाल (ई.सी.सी.ई.) को, जो कि आई.सी.डी.एस.योजना का महत्वपूर्ण घटक है, बढ़ावा देने के लिये 453 खंडस्तरीय समन्वयक के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैं। सांख्यिकीय अन्वेषक के 189 पद, सहायक ग्रेड-3 के 291 पद, डाटा एण्ट्री आपरेटर तथा कम्प्यूटर आपरेटर के 33 संविदा पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को प्रस्ताव प्रेषित किया गया हैं। विभाग के अंतर्गत सभी संवर्गो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकें, इस दृष्टिकोण से संवर्ग प्रबंधन को बेहतर किया गया हैं। 22 सहायक ग्रेड-1 को पदोन्नत कर अधीक्षक बनाया गया हैं। 121 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया हैं।

अनुकम्पा नियुक्ति- वर्ष 2015-16 में अनुकम्पा नियुक्ति के 09 प्रकरण निराकृत हुए एवं वर्तमान में 05 प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलित है।

राजपत्रित पदक्रम सूची का प्रकाशन- अपर संचालक संवर्ग की दिनांक 01/04/2015 की अंतिम पदक्रम सूची दिनांक 12/01/2016 को जारी की गई। संयुक्त संचालक संवर्ग की दिनांक 01/04/2015 की अनंतिम पदक्रम सूची दिनांक 22.11.2016 को जारी की गई। उप संचालक संवर्ग की दिनांक 1.4.2016 की अंतिम पदक्रम सूची दिनांक 05.11.2016 को जारी की गई। सहायक संचालक संवर्ग की दिनांक 1.4.2016 की अनंतिम पदक्रम सूची दिनांक 19.11.2016 को जारी की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी संवर्ग-की दिनांक 1.4.2015 की अंतिम पदक्रम सूची दिनांक दिनांक 22.12.2016 को जारी की गई। विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी संवर्ग की दिनांक 1.4.2016 की अंतिम पदक्रम सूची दिनांक 21.09.2016 को जारी की गई। सहायक संचालक संवर्ग में लोक सेवा आयोग से चयनित 39 अधिकारियों की शासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई।

अराजपत्रित पदक्रम सूची का प्रकाशन- सहायक परियोजना अधिकारी की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई। सांख्यिकी अन्वेषक की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई। पर्यवेक्षक संवर्ग की दिनांक 01.04.2015 की अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई। सहायक ग्रेड-1 की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई।

न्यायालयीन प्रकरण: 240 न्यायालयीन प्रकरणों में प्रकर प्रभानरी अधिकारी की नियुक्ति कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिरक्षण की कार्यवाही की गई हैं। इसके अलावा 40 न्यायालयीन निर्णय पर कार्यवाही कर निराकृत किये गये।15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के न्यायालयीन निर्णय पर कार्यवाही कर निराकृत किये गये। 04 प्रकरणों में शासन से विधि विभाग से अपील की स्वीकृति प्राप्त उनका निराकरण किया गया

विभागीय जॉच: कुल 09 विभागीय जॉच प्रकरण संस्थित किए गए और पूर्व से प्रचलित 09 जॉच प्रकरणों का निराकरण किया गया।

समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS)

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में 278 ग्रामीण, 102 आदिवासी, 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12,670 उप आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 108 लाख हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2013 से इसे मिशन मोड में संचालन करने हेतु व्यापक बदलाव किया गया। पूर्व में समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती थी। वर्तमान में चार सेवाओं का पुनर्गठन कर निम्नानुसार 4 प्रमुख घटकों में बांटा गया है :-

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा

देखभाल एवं पोषण परामर्श

शिशु एवं छोटे बच्चों के लिये सर्वोत्तम आहार पूर्ति प्रोत्साहन एवं परामर्श, मातृ देखभाल एवं परामर्श पोषण, देखभाल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा समुदाय आधारित कम वज़न के बच्चों का प्रबंधन

स्वास्थ्य सेवाएं

टीकाकरण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संपूरण स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवा

सामुदायिक गतिशीलता

जागरूकता, पैरवी और आई.ई.सी.

आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु - सुझावात्मक दैनिक समय सारणी

समय	कार्यवाही एवं गतिविधि
प्रातः 9 बजे	• आंगनवाड़ी खोलना तथा बच्चों का स्वागत करना, • निर्मल समय-बच्चों की साफ-सफाई का अवलोकन तथा आवश्यकतानुसार बच्चों की व्यक्तिगत साफ-सफाई।
9.30 -10.00 बजे	• सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
10.00 -10.30 बजे	नाश्ता
10.30 -11.00 बजे	• बच्चों द्वारा स्वतंत्र खेल
11.00 -11.30 बजे	• छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन
11.30 -12.00 बजे	• भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन
12.00 -12.30 बजे	• रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
12.30 -1.00 बजे	• बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन
1.00 -2.00 बजे	भोजन एवं बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना
2.00 -3.30 बजे	• थर्ड मील - रोजाना • पोषण परामर्श - नियत दिवस • मंगल दिवस - नियत दिवस • वृद्धि निगरानी - नियत दिवस • सबला/किशोरी बालिका योजनांतर्गत परामर्श -नियत दिवस • गृह भेंट - नियत दिवस
3.30-4.00 बजे	• रिकार्ड संधारण

आई.सी.डी.एस. योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

क्र	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या
1	2007-08	76.00 लाख
2	2008-09	76.87 लाख
3	2009-10	87.00 लाख
4	2010-11	97.50 लाख
5	2011-12	97.50 लाख
6	2012-13	97.68 लाख
7	2013-14	97.68 लाख
8	2014-15	97.68 लाख
9	2015-16	105.00 लाख
10	2016-17	108.00 लाख

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड - भारत शासन द्वारा आई.सी.डी.एस. विस्तार चरण प्प् अन्तर्गत नवीन आंगनबाड़ी खोलने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं -

क्र.	क्षेत्र	निर्धारित आवश्यक जनसंख्या
1	ग्रामीण एवं शहरी	400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
2	आदिवासी	300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
3	ग्रामीण एवं शहरी	150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
3	आदिवासी क्षेत्र /मजरे/टोले	150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन किराया - भारत सरकार द्वारा समय समय पर किये गये संशोधन अनुसार वर्तमान में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए देय किराया निम्नानुसार है :-

क्र.	परियोजना का प्रकार	आंगनवाड़ी केन्द्रों का मासिक किराया
1	ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र	अधिकतम रूपये 750/- प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र
2	शहरी क्षेत्र (जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 50000 या अधिक हो)	अधिकतम रूपये 3000/- प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र

अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाएं - वर्तमान में अशासकीय संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार दो समेकित बाल विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है :-

क्र.	संचालित परियोजना	संस्था का नाम
1	समेकित बाल विकास परियोजना इंदौर शहरी क्रमांक 1	बाल निकेतन संघ, इंदौर
2	समेकित बाल विकास परियोजना गैरतगंज जिला रायसेन	सेवा भारती, मध्य भारत भोपाल

बच्चों के पोषण स्तर में सुधार

जीवन के प्रारंभिक 5 वर्षो में पोषण का विशेष महत्व है, जिसका प्रभाव पूरे जीवन के विकास एवं प्रगति पर पड़ता है। अच्छा पोषण स्तर बच्चें की शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है, जिससे बीमारी, संक्रमण एवं अल्पायु में मृत्यु आदि की संभावनाए न्यून हो जाती है।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों में, उनके लिये गए वज़न के आधार पर उम्र के अनुसार उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ग्रोथ स्टेण्डर्ड द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों में उम्र अनुसार अगर बच्चे का वजन निर्धारित वजन से कम है तो उसे कम वजन/ अतिकम वजन की श्रेणी में माना जाता है। सामान्य वज़न (हरा रंग), कम वज़न वाले (पीला रंग) एवं अतिकम वज़न (लाल/नारंगी रंग) की श्रेणी में बांटा जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुसार चिकित्सकीय जटिलता वाले एवं गैर-चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM - लंबाई के अनुपात में अतिकम वज़न) के पोषण प्रबंधन हेतु पृथक से विशेष रणनीति विकसित की गई है, जिसमें चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का पोषण प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में किया जाना है और गैर-चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन समुदाय स्तर पर रेडी टू ईट थैराप्यूटिक फूड के माध्यम से किया जाना है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित संचालित योजनाओं में गैर-चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन हेतु कोई पृथक से प्रावधान नही है। अतः मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से चिन्हांकित किए गए कम/ अतिकम वज़न वाले बच्चों में से 11.5 से.मी. एम.यू.ए.सी. भुजा-माप वाले बच्चों को गंभीर कुपोषण की श्रेणी में वर्गीकृत कर इनके पोषण प्रबंधन हेतु उक्त पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने का प्रावधान है।

कुपोषण से बच्चों की मृत्यु नहीं होती है किन्तु अंतर्निहित गंभीर कुपोषण के कारण रोग निरोधक क्षमता कम होने से आम बाल्यकालीन बीमारियों का उनपर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे संक्रमण एवं मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कुपोषित बच्चों विशेष कर गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों को सामान्य पोषण स्थिति वाले बच्चो की तुलना में सामान्य बीमारियॉ जैसे- दस्त, निमोनिया, मलेरिया आदि से मृत्यु का खतरा लगभग 9 गुना अधिक होता है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन -2016)

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बच्चों में वज़न के अनुसार कम/अतिकम वज़न की रोकथाम करना है, जिसके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत निर्धारित 04 सेवाओं में एक सेवा पोषण देखभाल एवं परामर्श है, उसमें पूरक पोषण आहार प्रदाय एवं स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, सामान्य से कम वज़न एवं अतिकम वज़न (उम्र के अनुसार वज़न) वाले बच्चों का चिन्हांकन और संदर्भ सेवा सम्मिलित हैं। अतिकम वज़न वाले बच्चे की पहचान के उपरांत उनके पोषण प्रबंधन हेतु थर्ड मील दिये जाने का ही प्रावधान है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु शासन के विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यक्रम/ योजनाए संचालित की जा रही है। बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत नियमित पूरक पोषण आहार अंतर्गत माइक्रोन्यूट्रीऐंट फोर्टिफाइड शक्तियुक्त प्रोटीन को समाहित करते हुए 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को टेकहोम राशन का प्रदाय एवं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ताज़ा गरम पका भोजन एवं नाश्ते का प्रदाय एवं चिन्हांकित अतिकम वजन वाले बच्चों को थर्डमील का प्रदाय किया जा रहा है। कुपोषण निवारण हेतु अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले की आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाई जाकर क्रियान्वयन किया जाता है। कम/ अतिकम वजन के बच्चों हेतु चिन्हित ग्रामों में सुपोषण अभियान का आयोजन एवं स्नेह सरोकार कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा बच्चों के पोषण स्तर की देखभाल की जिम्मेदारी ली जाकर, उनके माता-पिता को नियमित पोषण परामर्श दिया जाता है तथा चिन्हित जिलों में डे-केयर सेंटर प्रांरभ किये गये है।

प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के कारण वर्ष 2005-06 के एन.एफ.एच.एस.-3 सर्वे की तुलना में वर्ष 2015-16 में एन.एफ.एच.एस.-4 सर्वे में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार परिलक्षित हुआ है। एन.एफ.एच.एस.-3 सर्वे एवं एन.एफ.एच.एस.-4 सर्वे के प्राप्त परिणामों की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दर्शित है :-

विगत 10 वर्षों में 05 वर्ष तक के बच्चों में Underweight (उम्र के अनुपात में कम वजन)
एवं Severe Wasting – SAM (उंचाई के अनुपात में अतिकम वजन - गंभीर कुपोषण) की तुलनात्मक स्थिति

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.-3 (वर्ष 2005-06)	एन.एफ.एच.एस.-4 (वर्ष 2015-16)	एन.एफ.एच.एस.-3 की तुलना में गिरावट का प्रतिशत
1	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	60.0	42.8	28.7
2	गंभीर कुपोषण (SAM)	12.6	9.2	27.0

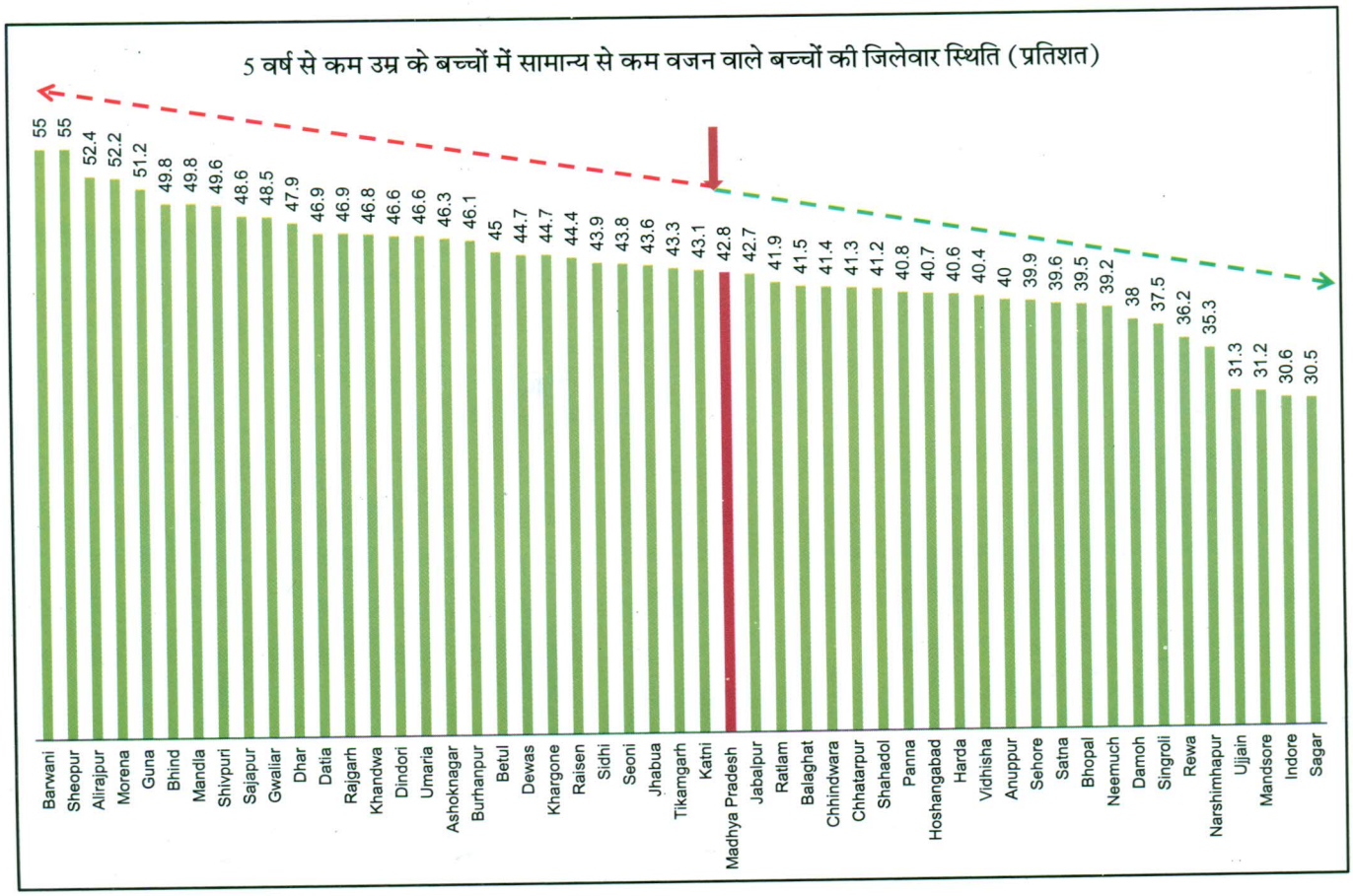

प्रदेश में कम वजन वाले बच्चों के राज्य के प्रतिशत 42.8 की तुलना में बड़वानी, श्योपुर, अलीराजपुर, मुरैना, गुना एवं भिण्ड सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 जिले सम्मिलित है। इसी प्रकार नरसिंहपुर, उज्जैन, मन्दसौर, इन्दौर एवं सागर कम प्रतिशत वाले 5 जिले सम्मिलित है।

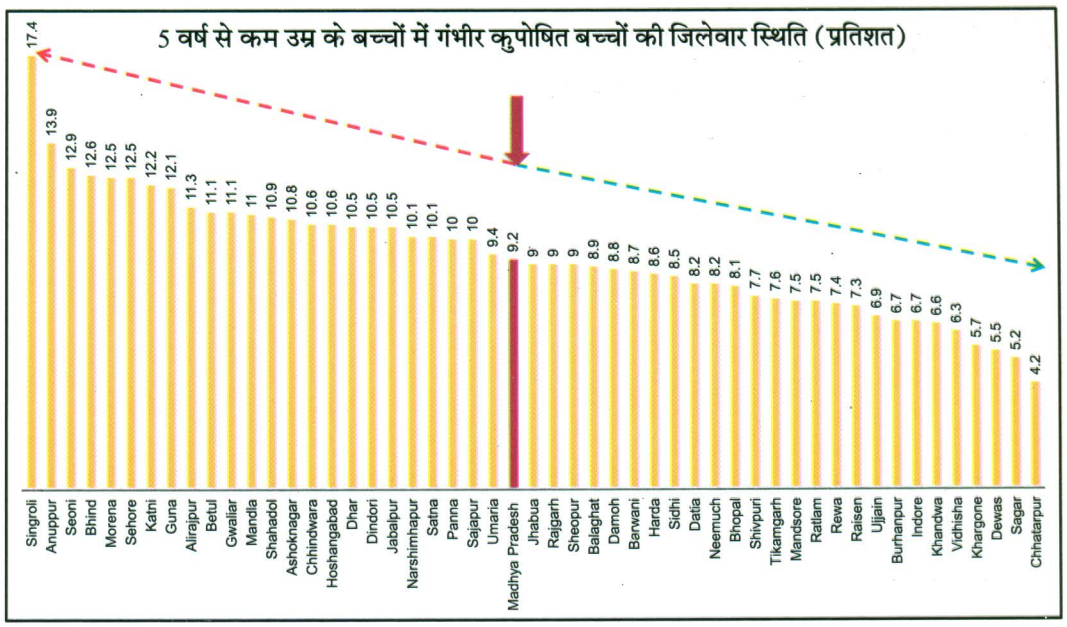

प्रदेश में गंभीर कुपोषण वाले बच्चों के राज्य के प्रतिशत 9.2 की तुलना में सिंगरौली, अनूपपुर, सिवनी, भिण्ड एवं मुरैना सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 जिले सम्मिलित है। इसी प्रकार विदिशा, खरगौन, देवास, सागर एवं छतरपुर कम प्रतिशत वाले 5 जिले सम्मिलित है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों से प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है किन्तु प्रदेश को पूर्ण रूप से कुपोषण से मुक्त किये जाने के लिए तथा इन परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। कुपोषण को समाप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकीय विभाग तथा अन्य विभागों के समन्वित प्रयासों से जिला स्तरीय विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म कार्ययोजना बनाई जाकर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है, इसकी महत्ता को देखते हुए विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वित प्रयासों को प्रारंभ किया गया है।

- बच्चों के पोषण स्तर की पहचान हेतु नियमित वजन से छूटे हुए बच्चों को लक्षित करते हुए सभी बच्चों के वजन लिये जाने के लिए विभाग द्वारा 01 नवम्बर 2016 से प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में विशेष वजन अभियान का क्रियान्वयन किया गया है।
- 1 मार्च 2017 से विशेष पोषण अभियान प्रांरभ किया गया है, जिसके माध्यम से चिन्हित सेवाओं एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कियाज जाएगा।
- बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु नवाचार के रूप में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से "पंचवटी से पोषण अभियान" प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में सुरजना/ मुनगाफली के पेड़ों को कम वज़न एवं अतिकम वज़न वाले बच्चों के परिवारों के घरों में तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध स्थानों मे लगाने हेतु अभियान चलाया गया है।
- कृषि से पोषण एवं पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों के साथ समन्वित प्रयास किये जा रहे है।
- वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अभिसरण से दीनदयाल वनांचल सेवा का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती/ धात्री महिलाओं में होने वाली रक्ताल्पता को दूर करने एवं उनके बेहतर स्वास्थ्य पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रदेश में दिनांक 04 दिसम्बर 2016 से 'लालिमा योजना' का शुभारंभ किया गया है। यह योजना प्रदेश में चलाये जा रहे निपि कार्यक्रम (नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव) का विस्तार है, इसमें आई.एफ.ए. टेबलेट/ सिरप की उपलब्धता, सेवन, स्थानीय आयरन युक्त खाद्य सामग्री के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- विभाग द्वारा अर्न्तविभागीय समन्वय से प्रदेश के बच्चों के पोषण सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। आगामी कार्ययोजना के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड में एक आदर्श सुपोषित ग्राम (पोषण स्मार्ट विलेज) विकसित किये जाने की अवधारणा कर कार्य किया जा रहा है। बेहतर कार्य और लक्ष्य पूर्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका और विभागीय कर्मचारियों- अधिकारियो को दीनदयाल पोषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं

ग्रामीण परियोजनाएं	278
आदिवासी परियोजनाएं	102
शहरी परियोजनाएं	73
कुल परियोजनाएं	453

आँगनवाड़ी केन्द्र

ग्रामीण आंगनबाड़ी केन्द्र	51572
आदिवासी आंगनबाड़ी केन्द्र	24000
शहरी आंगनबाड़ी केन्द्र	8893
कुल आंगनबाड़ी केन्द्र	84465

मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र

ग्रामीण	8448
आदिवासी	3996
शहरी	226
कुल	12670

पोषण आहार

प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ियों में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, एवं गर्भवती/धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं :-

हितग्राही	01/08/2013 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलारी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रुपये 6/- प्रति बच्चा प्रति दिन	12-15 ग्राम	500 कैलोरी
06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चे	रुपये 9/- प्रति बच्चा प्रति दिन	20 - 25 ग्राम	800 कैलोरी
गर्भवती/धात्री माता	रुपये 7/- प्रति हितग्राही प्रति दिन	18 - 20 ग्राम	600 कैलोरी

प्रदेश में बच्चों की तंदुरूस्ती के लिये सुगंधित मीठे दूध का वितरण

बच्चों की तंदुरुस्ती के लिये मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 15 जुलाई 2015 से प्राथमिक स्कूल और आँगनवाड़ी में सप्ताह में तीन दिन सुंगधित मीठा दूध (स्वीटेन्ड और फ्लेवर्ड मिल्क) के वितरण की शुरुआत की गई। फ्लेवर्ड मिल्क को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तरल रूप में तैयार कर हर बच्चे को 100 मि.ली. मात्रा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिया जा रहा है।

(1) 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती धात्री माताएं : वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से सप्ताह के 05 दिन निम्नानुसार खाद्य सामग्री अलग-अलग दिवसों में दी जा रही है :-

खाद्यान्न का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	न्यूनतम प्रोटीन ग्राम	न्यूनतम कैलोरी
गेहूँ,सोया बफी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएं	150 ग्राम	18.00	600.00
आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएं	150 ग्राम	18.00	600.93
हलुआ प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500.00
बाल आहार (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500.00
खिचड़ी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	12.00	500.00
खिचड़ी	गर्भवती/धात्री माताएं	150 ग्राम	18.00	600.00

(2) 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे : राज्य शासन के आदेश क्र एफ 4-5/2014/50-2,दिनांक 24.2.14 से ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है :-

दिन	सुबह का नाश्ता (रैसिपी)	दोपहर का भोजन (रैसिपी)	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
सोमवार	पौष्टिक खिचड़ी	रोटी-सब्जी, तुअर दाल	12-15	500
मंगलवार	थूली (मीठी-नमकीन)	खीर-पूड़ी, मूँगबड़ी-आलू टमाटर सब्जी	12-15	500
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-चने की दाल, मिक्स सब्जी	12-15	500
गुरूवार	मीठी लाप्सी	चावल पुलाव पकोड़े वाली कढ़ी	12-15	500
शुक्रवार	थूली (मीठी-नमकीन)	रोटी मूंग दाल, हरे या सूखे मटर की सब्जी	12-15	500
शनिवार	पौष्टिक खिचडी	पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी मिक्स दाल	12-15	500

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्व सहायता समूह के माध्यम से साझा चूल्हा कार्यक्रम के मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

15 दिसम्बर 2016 से सुबह के ताजे पके नाश्ते के स्थान पर रेडी टू ईट नाश्ते के रुप में नमकीन मठरी, रागी लड्डू या पौष्टिक सूजी बेसन लड्डू में से प्रति सप्ताह एक रैसीपी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील : 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

(4) सबला योजना : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिलों में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबला योजना अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्रों में 11 से 14 वर्ष तक की शालात्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 06 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया है :-

क्र.	खाद्यान्न	प्रतिदिन की मात्रा	न्यूनतम प्रोटीन ग्राम	कैलोरी
1	गेहूँ, सोया बर्फी (प्रिमिक्स)	150 ग्राम	18.00	600.00
2	खिचड़ी	150 ग्राम	18.00	600.00

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा गेहूँ आधारित पूरक पोषण आहार अंतर्गत बी.पी.एल दर पर गेहूँ/ चावल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता हैं। भारत सरकार से प्राप्त उक्त खाद्यान्न का पुनर्आवंटन एम.पी. एग्रो एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु किया जाता है।

मंगल दिवस का आयोजन

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, गतिविधियों व कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने, आंगनबाड़ी केन्द्रों और जनसमुदाय के बीच आत्मीय संबंध बढ़ाने के लिए मंगल दिवस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मंगल दिवस मे आंगनबाड़ी केन्द्रों में माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ मंगलवार को क्रमशः गोदभराई, अन्नप्राशन, जन्म दिवस और किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंगल दिवसों के आयोजन में उपस्थित पात्र हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप उपयोगी सामग्री एवं आवश्यक समझाईश दी जाती है। मंगल दिवसों के आयोजन से समुदाय आंगनबाड़ी की सेवाओं से सतत् रूप से जुड़े रहते हैं।

गोदभराई कार्यक्रम

यह कार्यक्रम माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यकम में गांव की गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में आमंत्रित कर आयरन फौलिक एसिड की गोलियाँ, शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्ड प्रदाय किए जाते हैं। गर्भवती महिला को मांगलिक सामग्री जैसे - श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिन्दी इत्यादि प्रतीक स्वरूप दी जाती है। साथ ही उन्हें गर्भावस्था में उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है।

अन्नप्राशन कार्यक्रम

अन्नप्राशन कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माह के द्वितीय मंगलवार को गांव की सभी गर्भवती/धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्र पर आमंत्रित करती है तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर 06 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को प्रथम बार ऊपरी आहार देती है। इसमें हितग्राही बच्चे को कटोरी-चम्मच उपहार स्वरूप दी जाती है। बच्चों को कितनी बार ऊपरी आहार दिया जाना है तथा यह किस प्रकार होना चाहिये इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर माँ के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को परामर्श भी दिया जाता हैं।

जन्म दिवस कार्यक्रम

जन्म दिवस कार्यक्रम माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है । इस कार्यक्रम में, माह विशेष में पड़ने वाले सभी बच्चों का आंगनवाडी स्तर पर सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता हैं। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी बच्चों का वजन लेकर रजिस्टर में दर्ज करती हैं। आयोजन के दौरान बच्चों को गिफ्ट के रूप में पेन्सिल, रबर, पानी की बॉटल इत्यादि प्रतीक स्वरूप दी जाती है।

किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम

प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। उस दिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर दर्ज किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित एवं पात्र किशोरी बालिकाओं के लिये विभिन्न प्रकार की सामान्य ज्ञान एवं खेल प्रतियोगिताऐं भी आयोजित की जाती है। कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है एवं आवश्यकतानुसार उपचार कर नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती हैं।

सामुदायिक सहभागिता, आई.वाई.सी.एफ. एवं प्रचार गतिविधियां

महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के लिये विभाग कई योजनायें/कार्यक्रम चला रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाकर, पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों में प्रभावी एवं स्थाई परिवर्तन लाना है। साथ ही समेकित बाल विकास सेवाओं की माँग व कार्यक्रम में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना भी है। इससे गाँव स्तर पर दी जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के प्रति समुदाय में स्वामित्व की भावना आती है। सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियां इस रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में विभाग द्वारा सुनियोजित रणनीति बनाकर, विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए उचित तथा परखे हुए संदेशों को सही माध्यम से हितग्राहियों तक पहुँचाकर उन्हें शिशु एवं बाल्य निर्देशों, विशेषकर स्तनपान, ऊपरी आहार की शुरुआत, पोषण स्तर, कुपोषण, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, शिशु शिक्षा आदि के बारे में जानकारी देने एवं संबंधित व्यवहारों में परिवर्तन लाने का लगातार प्रयास किया गया है।

विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन

प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त के दौरान पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आई.वाय.सी.एफ. दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करते हुए शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं पोषण स्तर बेहतर करना है। विगत वर्ष के आयोजन से प्राप्त परिणामों के आधार पर इस वर्ष के आयोजन की रणनीति तैयार की गई। विश्व स्तनपान सप्ताह 2017 के दौरान राज्य स्तर से लेकर आँगनवाड़ी केन्द्रों तक विभिन्न जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र पर 7 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इसके साथ ही मीडिया कार्यशाला, महाविद्यालयों में क्विज, विभागीय अमले के लिए उन्मुखीकरण का आयोजन भी किया गया। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन, आकाशवाणी केन्द्रों से सजीव फोन-इन का प्रसारण, आकाशवाणी केन्द्रों के साथ-साथ निजी एफ.एम. केन्द्रों से ऑडियो जिंगल स्पॉट का प्रसारण कराया गया।

पोषण आहार सप्ताह का आयोजन

बच्चों में अल्पपोषण की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रति वर्ष 1 से 7 सितम्बर तक से राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है। यह सही समय होता है, जबकि 6 माह (180 दिन) का होने पर बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरूआत पर विशेष प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से 7 सितम्बर 2017 तक 'राष्ट्रीय पोषण सप्ताह' का आयोजन किया गया। सप्ताह के प्रभावी आयोजन हेतु जिला स्तरीय एवं सेक्टर स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किया गया। परियोजना स्तर शासकीय स्कूलों में क्विज़ आयोजित कराई गई। सप्ताह के दौरान आँगनबाड़ी स्तर पर लगातार गतिविधियां आयोजित की गई।

प्रकाशन

विज्ञापन : आंगनवाड़ी की सेवाएं

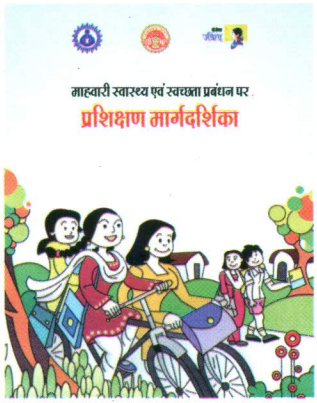

प्रोजेक्ट उदिता प्रशिक्षण मार्गदर्शिका – पुस्तिका

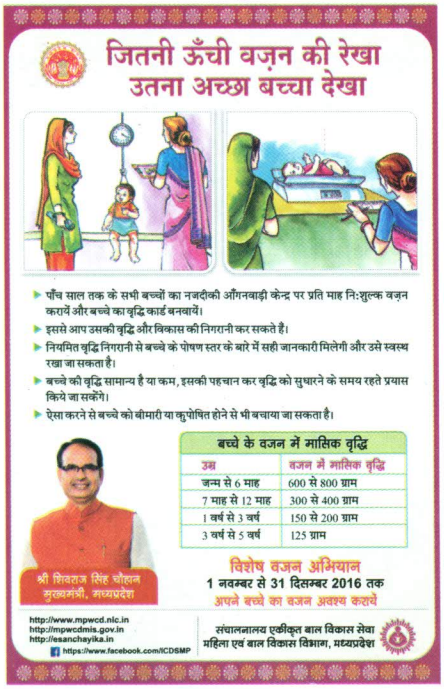

विज्ञापन : विशेष वजन अभियान

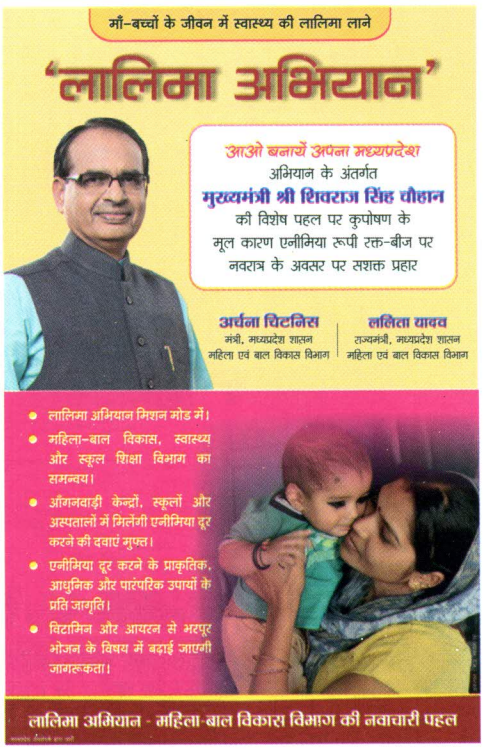

विज्ञापन : लालिमा योजना

विज्ञापन : पंचवटी से पोषण

विज्ञापन : विश्व स्तनपान सप्ताह

लालिमा योजना फोल्डर

विज्ञापन : सुपोषण अभियान

'आँगनवाड़ी चलो अभियान' का तीसरा चरण 15 से 22 जुलाई, 2016

आँगनवाड़ी की सेवाओं की उपयोगिता समुदाय में स्थापित करने एवं समुदाय में समेकित बाल विकास सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 'आँगनवाड़ी चलो अभियान' चलाया जाता है। इसका दूसरा चरण दिनांक 15 से 23 जुलाई 2016 तक चलाया गया। जिसका शुभारम्भ महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने गरिमापूर्ण समारोह में भोपाल के आंगनवाड़ी केंद्र में किया। अभियान के तीसरे चरण में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया। अभियान में समुदाय के सभी नीति निर्माताओं, प्रभावी व्यक्तियों, हितग्राहियों, पंचायत प्रतिनिधियों तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्सव पूर्ण माहौल में संदेश पहुँचाए गये। लगभग अभियान की सभी गतिविधियों में समुदाय की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की गई।

आँचल कक्ष

बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु आई.वाई. सी.एफ. दिशा निर्देशों के अनुसार जन्म के तुरन्त बाद से छः माह तक उसे केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। परन्तु कई बार छः माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध नहीं मिल पाता और ऐसे में उसे ऊपर का दूध या समय पूर्व आहार की शुरूआत करा दी जाती है। ऐसा करने से बच्चे के स्वास्थ्य एवं सही विकास को खतरा हो सकता है।

सार्वजनिक भीड़ भरे स्थानों जैसे - बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों आदि जगहों पर, जहां पर लोग लंबे समय तक प्रतिक्षारत रहते हैं, इस समय शिशुओं को आवश्यकता होने पर भी मातायें अपने शिशुओं को स्तनपान कराने में असुविधा महसूस करती है और असुविधा की दृष्टि से शिशु को लंबे समय तक माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है और वह कहीं न कहीं कुपोषण का शिकार होते हैं। अतः माताओं को ऐसी असुविधा से बचाने के लिए संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा अन्य विभागों एवं जनसहयोग से प्रदेश के सभी बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों आदि पर धात्री माताओं की सुविधा के लिए 'आँचल कक्ष' (ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर) तैयार कराए जा रहें हैं। दूर से ही चिन्हित हो सकें, इसके लिये आँचल कक्ष की दीवारों का रंग गुलाबी किया जा रहा है। आँचल कक्ष में आई.वाई.सी.एफ. पर आधारित संदेशों का प्रदर्शन किया गया है। शिशुवती महिला को आरामदायक स्थिति में बैठने की व्यवस्था की गई है।

आँचल कक्ष तैयार कराते समय इस बात कर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में शिशुवती महिला की निजता भंग न हो। प्रदेश में अब तक लगभग 600 ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर तैयार किये जा चुके हैं। बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन के साथ ही सार्वजनिक परिवहन साधनों बस, रेल में भी एक सीट शिशुओं को स्तनपान कराने हेतु आरक्षित कराने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा सभी यात्री बसों में एक सीट धात्री महिला की सुविधा के लिए आरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली ने सभी जोनल रेल्वे को प्रतीक्षालयों में 'आंचल कक्ष' तैयार कराने के निर्देश जारी किये हैं।

स्नेह सरोकार

समाज की मुख्य धारा से दूर परिवारों के कम वज़न के बच्चों की मदद के लिये 'स्नेह सरोकार' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम के फलस्वरूप आंगनवाड़ियों का समुदाय से स्नेह का नाता बन गया है। 'स्नेह सरोकार' में समुदाय, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, उद्योगपति सभी सहयोग के लिये आगे आ रहे है। यह सहयोग अति कम वजन के बच्चे के सामान्य श्रेणी में तक पूरी देखभाल करने का है। कुछ जगह तो शतप्रतिशत कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी समुदाय द्वारा ली गई है। प्रदेश मे स्नेह सरोकार अंतर्गत दिनांक अब तक लगभग 1.41 लाख बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी समुदाय द्वारा ली गई है। निश्चित ही इस कार्यक्रम में समाज की सशक्त भागीदारी से प्रदेश की भावी पीढ़ी को सुपोषित किया जा सकेगा। 'स्नेह सरोकार' के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को 'स्नेह सरोकार' पुरस्कार दिये जायेंगें।

अच्छी पहल | चिंचाला की आंगनवाड़ी क्रमांक एक में हुआ कार्यक्रम, रोज लेंगे बच्चों की प्रगति रिपोर्ट

5 आंगनवाड़ियों में 19 कुपोषित बच्चे उप नेता प्रतिपक्ष व पार्षद ने गोद लिया

ई-संचयिका - esanchayika.in

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा ने डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरुप हितग्राहियों, विभागीय अमले एवं जन समुदाय के लिये एक अभिनव वेब पोर्टल esanchayika.in तैयार किया है। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जागरुकता अभियानों और कार्यक्रमों की रणनीति, दिशा निर्देश और संदर्भ सामग्री की पहुँच, जमीनी अमले तक तीव्रता से बढ़ाना, विभागीय अमले द्वारा किए जा रहे नवाचारों व अन्य प्रयासों को साझा करने का मंच उपलब्ध कराना, विभागीय अमले, लक्षित समूह और आमजन तक आई.ई.सी. सामग्री व संदर्भ सामग्री ऑनलाईन विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों : फोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के एक्सेस द्वारा उपलब्ध करना और आयु अनुसार पोषण व स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत व विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करना है। ई-संचयिका, आई.सी.डी.एस. मध्यप्रदेश की डिजिटल रिपोजिटरी है। मध्यप्रदेश का यह प्रथम ऐसा वेब पोर्टल है जो मुख्यत: स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जानकारियों पर केन्द्रित है। एक तरह से यह आई.सी.डी.एस. मध्यप्रदेश का नॉलेज बैंक है। मेंदबींलपांण्पद पर महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों की पोषण, विकास और स्वास्थ्य आवश्यकताओं से संबंधी विभिन्न जानकारियां और समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इस वेब पोर्टल के 5 मुख्य भाग है, यथा : 1. ई-लाइब्रेरी, 2.ई-लर्निंग, 3.ई-चर्चा, 4.मीडिया अपडेट और 5.आगामी कार्यक्रम । इसमें 12 हाई लाईटर बटन दिए गए हैं। स्वास्थ्य-पोषण मुद्दों पर तैयार विभिन्न आई.ई.सी. और संदर्भ सामग्री भी इस वेब पोर्टल उपलब्ध कराई गई है। इस वेब पोर्टल को डेस्कटॉप के अलावा मोबाईल और टेबलेट के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है।

ई-संचयिका विभागीय अमले द्वारा किए जा रहे नवाचारों/प्रयासों एवं उपलब्धियों को साझा करने का मंच भी है। इसके लिए ई-संचयिका में आई.सी.डी.एस. न्यूज पोर्टल आरंभ किया गया है। इस न्यूज पोर्टल में विभागीय अमले द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न जागरुकता गतिविधियां, नवाचार और सफल गाथाओं को एक-दूसरे से साझा किया जा रहा है ताकि इनका व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। साथ ही इस न्यूज पोर्टल को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे -फेसबुक, वाट्स एप, ट्वीटर से भी जोड़ा गया गया है और इन्हें शेयर करने की सुविधा भी दी गई है। ई-संचयिका के आरंभ होने के बाद विभाग द्वारा संचालित अभियान और कार्यक्रमों की रणनीति, विवरण, आई.ई.सी. व संदर्भ सामग्री की जमीनी अमले तक तीव्रता से पहुँच बढ़ रही है। विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इस वेब पोर्टल की संदर्भ सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को ब्लॉग लिखने की सुविधा भी दी गई है। उपयोगकर्ताओं द्वारा फीडबैक भी दिया जा रहा है। जनसामान्य द्वारा पौष्टिक व स्वच्छ व्यंजन बनाने की विधियां और पोषण, विकास व स्वास्थ्य संबंधी इंटरएक्टिव गेम्स से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उल्लेखनीय है कि ई-संचयिका को साउथ एशिया के प्रतिष्ठित मंथन अवार्ड का रनर-अप पुरस्कार मिला है।

राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना

किशोरियों के समग्र विकास हेतु संचालित किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के 36 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिये निम्न आयामों पर कार्य करने का उद्देश्य है:-

- 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
- अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनमें यथोचित साक्षरता एवं गणितीय कौशल ग्रहण करने की लालसा पैदा करना तथा उनकी निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करना।
- किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण द्वारा घरेलू एवं व्यावसायिक कार्यों संबंधी कुशलताओं में दक्ष बनाना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता पोषण गृह प्रंबंधन एवं बच्चों की देखभाल आदि विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- विवाह की सही उम्र परिवार नियोजन आदि के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक मुद्दों की जानकारी देकर स्पष्ट समझ विकसित करना।
- किशोरी बालिकाओं में एक समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में समझ विकसित कर समाज के लिये उपयोगी सदस्य के रूप में स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित करना।

किशोरी बालिका केन्द्रित योजना की गतिविधियों को अधिक सशक्त बनाने के लिए एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु इस योजना की गतिविधियों को सबला योजना के अंतर्गत गैर पोषण घटक में संचालित गतिविधियों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं कृमिनाशक (11-18 वर्ष की शाला से बाहर किशोरी बालिकाएं) : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक मंगलवार आईएफए की नीली गोली का भोजन उपरांत वितरण वर्ष में दो बार कृमिनाशक दवाओं का वितरण (स्वास्थ्य विभाग द्वारा)
2. स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाऐं (11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां) : अप्रेल ,जुलाई,अक्टूबर तथा जनवरी में आयोजित व्ही.एच. एन.डी. पर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच, कद, वजन एवं बी. एम.आई. का किशोरी कार्ड में लेख
3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां)
   - पोषण एवं संतुलित आहार हेतु जागरूकता
   - माह के चतुर्थ मंगलवार (मंगल किशोरी दिवस) के दिन लक्षित परामर्श सत्र
4. परिवार कल्याण/ किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल पर मार्गदर्शन (14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां) परिवार कल्याण/ किशोरी प्रजनन यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, अर्श क्लिनिक की सेवाओं के बारे में जानकारी (परामर्श सत्रों, स्वास्थ्य जांच कैम्प, किशोरी दिवस के दौरान)
5. जीवन कौशल शिक्षा (11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां)
   - जीवन कौशल शिक्षा सत्रों का आयोजन प्रति शनिवार दोपहर के समय

गतिविधियां

- किशोरी शक्ति योजना की गतिविधियॉ प्रत्येक ऑगनवाडी केन्द्र पर ऑगनवाडी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में किशोरी समूह /किशोरी क्लब की पियर लीडर 1 सखी व 2 सहेली के माध्यम से ही की जाती हैं।
- शाला त्यागी किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास
- तीन दिवसीय सखी सहेली प्रशिक्षण
- किशोरियों में माहवारी स्वच्छता व्यवहार के बढ़ावा हेतु गतिविधि।
- वार्षिक किशोरी बालिका दिवस
- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार गतिविधियां संचालित है :-

क्र	दिवस	गतिविधि
1.	मंगलवार	आई.एफ.ए. अनुपूरण
		लक्षित परामर्श सत्रों का आयोजन
		अन्य हितग्राहियों हेतु टी.एच.आर वितरण में सहयोग
2.	गुरूवार	गृह भेंट में सहयोग
		किशोरी समूह गतिविधि
		स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किशोरी क्लिनिक (03 माह में एक बार)
3.	शनिवार	जीवन कौशल सत्रों का आयोजन

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला'

वर्ष 2010-11 से प्रदेश के 15 जिलों में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना "सबला" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के क्रमशः श्योपुर, राजगढ़, सीधी, नीमच, झाबुआ, टीकमगढ़, रीवा, भिण्ड़, दमोह, इन्दौर, सागर, जबलपुर, भोपाल, बैतूल एवं बालाघाट जिले सम्मिलित है। सबला योजना में 11 से 18 वर्ष की चिन्हित किशोरी बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर सुधार, घरेलू कार्य के संपादन में दक्षता, जीवन कौशल को बढ़ावा देना मुख्य घटक है। जिसके क्रियान्वयन हेतु बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, व्यक्तिगत साफ-सफाई तथा प्रचलित जनकल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी एवं परिवार आधारित, जीवन उपयोगी कौशल उन्नयन परामर्श दिया जा रहा है।

पोषकीय घटक

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिलो में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबला योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 11 से 14 वर्ष तक की शालात्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 06 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्ननुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया है:-

क्र.	खाद्यान्न	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन ग्राम	कैलोरी
1	गेहूँ, सोया बर्फी (प्रिमिक्स)	150 ग्राम	18.47	631.80
2	खिचड़ी	150 ग्राम	24.53	600.90

आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा गेहू आधारित पूरक पोषण आहार अंतर्गत बी.पी.एल दर पर गेहूँ/चावल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त उक्त खाद्यान्न का पुर्न आवंटन एम.पी.एग्रो एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की वयवस्था हेतु किया जाता है। कुल 9,98,000 किशोरियों ने पोषण आहार प्राप्त किया।

गैर पोषकीय घटक

सबला योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सबला योजना के तर्ज पर ही किशोरी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय किशोरी बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2017 को किशोरी बालिका सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक परियोजना स्तर पर किया गया । वर्ष 2016-2017 में जीवन कौशल शिक्षा में 9,95,115 किशोरियों को, सखी-सहेली प्रशिक्षण में 70,145 को, सार्वजनिक सेवाओं के भ्रमण में 3,92,000 को, आई.एफ.ए. सम्पूरण में 4,92,447 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

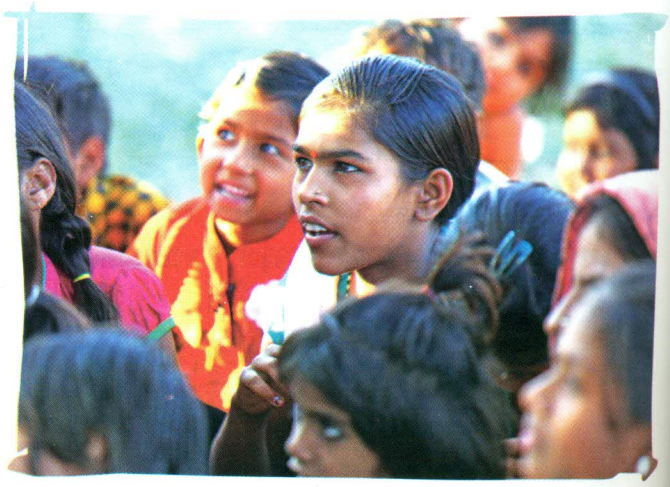

राज्य शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता संबंधित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मिनि आंगनवाड़ी केन्द्रों की 11 से 18 वर्ष आयु की लगभग 60,49,929 किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को उनके किशोरावस्था के प्रारंभिक काल से ही माहवारी स्वास्थ्य तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने,अच्छी गुणवत्ता वाले सेनेटरी नेपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने,गांव स्तर पर सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने एवं किशोरियों में एनीमियां एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु उदिता योजना को वर्ष 2015-16 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जा रहे है। योजना अंतर्गत जन-सहयोग एवं समन्वय से सेनेटरी नेपकिन वेंडिग मशीन विभिन्न स्थानों पर जैसे बालिका विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों, महाविद्यालयों, कन्या छात्रावासों, सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड आदि में स्थापित की गई है।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार है।

- माहवारी स्वच्छता तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना।
- मासिक धर्म के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना।
- विषय से जुड़े हुए प्रश्नों एवं भ्रांतियों का समाधान करना।
- किशोरियों को अच्छी गुणवत्ता वाले सेनेटरी नेपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गांव स्तर पर सेनेटरी नेपकिन की उपलब्ध्ता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना।
- उपयोग में लाए गए सेनेटरी नेपकिन का पर्यावरण की दृष्टि से उचित ढंग से निपटान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।
- किशोरियों में एनीमियां संबंधी जागरूकता बढ़ाना।
- किशोरियों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना।

क्र.	वर्ष	स्थापित उदिता कार्नर	स्थापित वेंडिग मशीन
1	2016-17	88544	600

आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

प्रदेश में वर्तमान में 81, 942 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसमें से 56,711 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय/अन्य शासकीय भवनों में 21,989 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 3,242 अन्य भवनों में संचालित हैं। मध्यप्रदेश विजन दस्तावेज 2018 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिशु देखभाल एवं शिक्षा प्रणाली (ई.सी.सी.ई) के प्रभावी एवं सशक्त क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में 80 प्रतिशत आंगनवाड़ियों के लिये बाल सुलभ भवन एवं सुविधाओं का निर्माण तथा अधोसंरचना के विस्तार मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। उक्त दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने के लिये बाल सुलभ आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एवं विकास हेतु ड्राइगं/डिजाईन विकसित कर जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अभिसरण से प्रदेश के IPPE (Intensive Particpatory Plan Exercise) विकासखण्ड/30 ISSNIP जिलों में वर्ष 2015-16 के लिये 5,000 एवं वर्ष 2016-17 के लिये IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise) विकासखण्ड/ Non IPPE विकासखण्डों में 7,000 इस प्रकार कुल 12,000 आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इन निर्मित हो रहे आंगनवाड़ी भवनों में स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपंप, शौचालय एवं परिसर में बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त व्यवस्था प्रावधानित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise) विकासखण्ड/30 ISSNIP जिलों में वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत 5,000 आंगनवाड़ी भवनों में से 2,500 एवं वर्ष 2016-17 के लिये IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise) विकासखण्ड/ Non IPPE विकासखण्डों में स्वीकृत 7,000 आंगनवाड़ी भवनों में से 2,500 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु राशि जारी कि जा चुकी है।

राज्य आयोजना मद अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत राशि के आभाव के कारण अप्रारंभ एवं अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण कराने हेतु राशि रुपये 154.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई। इसी प्रकार आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 350 बाल सुलभ आर्दश आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य मनरेगा योजना के अभिसरण से प्रस्तावित किये गये है तथा वनक्षेत्रों में स्वीकृत भवनों के निर्माण कार्य हेतु वन विभाग को निर्माण ऐजेन्सी बनाया गया है।

विगत 05 वर्षों में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की तुलनात्मक स्थिति

क्र.	वर्ष	मद	लागत राशि प्रति भवन	स्वीकृत भवन
1	2012-13	13वां वित्त आयोग	7.80 लाख	1,282
		नाबार्ड	14.80 लाख	148
2	2013-14	13वां वित्त आयोग	7.80 लाख	1,282
		ICDS मिशन	4.50 लाख	2,933
		MPHSRP	7.80 लाख	400
3	2014-15	-	-	-
4	2015-16	13वां वित्त आयोग	7.80 लाख	769
		महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से	7.80 लाख	2,500
5	2016-17	महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से	7.80 लाख	2,500
		आदिम जाति कल्याण विभाग एवं मनरेगा योजना के अभिसरण से	7.80 लाख	308
		आदिम जाति कल्याण विभाग	14.70 लाख	42

कुल भवनों की संख्या 12,164

13वां वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिये आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति वर्ष 2015-16 में दी गई।

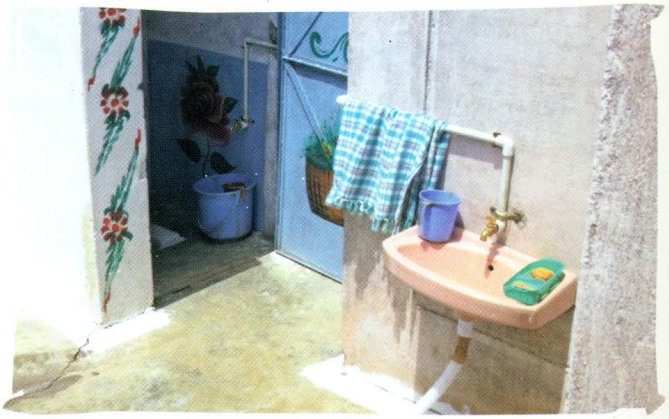

प्रशिक्षण

एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियुक्त पर्यवेक्षकों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल आंगनवाड़ी की सेवाएँ प्रारंभ करने हेतु सर्वप्रथम इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है एवं तत्पश्चात पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं /सहायिकाओं को मूलभूत एवं दो वर्ष उपरांत प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु 10 शासकीय एवं 16 अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये 02 अशासकीय मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) संचालित है।

वर्ष 2016-2017 में विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति -

अ. सहायक संचालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम-सहायक संचालकों को आधारभूत प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से आयोजित किये जा रहे है।

ब. परियोजना अधिकारियो के प्रशिक्षण कार्यक्रम-

(1) राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नई दिल्ली के माध्यम से परियोजना अधिकारियो के लिए मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन मुख्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर एवं लखनऊ के माध्यम से आयोजित किये जाते है।

(2) परियोजना अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी. व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से आयोजित किये जाते है।

स. अनुदेशिकाओं एवं सहायक अनुदेशिकाओं का प्रशिक्षण -

1.प्रदेश में संचालित 02 मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर एवं जबलपुर में यह प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है।

- आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल के प्रशिक्षण कार्यक्रम -

1. वर्ष 2016-2017 में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ समन्वय कर 04 प्रशिक्षण बैचों के माध्यम से 60 विभागीय अधिकारियों को यह प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

2. साईबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के 04 प्रशिक्षण सत्रों में 12 विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

द. पर्यवेक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम -

(1)नवनियुक्त पर्यवेक्षको को सर्वप्रथम सात दिवसीय इण्डक्शन प्रशिक्षण संभागीय संयुक्त संचालको के माध्यम से संभाग स्तर पर आयोजित किये जा रहे है।

(2) पर्यवेक्षको के मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बाल निकेतन संध इन्दौर एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन के आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

इ. ऑगनवाडी कार्यकताओ एवं सहायिकाओ के प्रशिक्षण –

(1) प्रदेश में संचालित 10 शासकीय एवं 16 अशासकीय ऑगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से ऑगनवाडी कार्यकर्ताओ एवं सहायिकाओ के मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षणो का आयोजन ऑनलाइन नामांकन के आधार पर आयोजित किये जा रहे है।

(2) ऑगनवाडी कार्यकर्ताओ को सर्वप्रथम सात दिवसीय इण्डक्शन प्रशिक्षण जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से संयुक्त संचालक के मार्गदर्शन में संपादित किये जा रहे है।

वर्ष 2016 – 2017 में नियोजित किये गये प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2016–17 हेतु STRAP में नियोजित प्रशिक्षण सत्रों की स्थिति								
क्र	पदनाम	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रस्तावित प्रतिभागीयों की संख्या (वार्षिक लक्ष्य)	प्रथम त्रैमास उपलब्धि	द्वितीय त्रैमास उपलब्धि	तृतीय त्रैमास उपलब्धि	चर्तुथ त्रैमास में 20.01.2017 तक	योग उपलब्धि
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	इण्डक्शन प्रशिक्षण	2500	580	845	617	0	2042
		मूलभूत प्रशिक्षण	4795	1647	873	767	69	3356
		प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	5720	1282	1535	1871	86	4774
2	आंगनवाड़ी सहायिका	मूलभूत प्रशिक्षण	10500	1570	2481	3741	1751	9543
		प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	8000	1623	2861	1639	736	6859
3	पर्यवेक्षक	मूलभूत प्रशिक्षण	300	94	0	98	50	242
		प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	500	89	275	64	0	428
		इण्डक्शन प्रशिक्षण	246	54	98	62	0	214

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु किये जा रहे अन्य प्रयास

1. वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर का निर्धारण–वित्तीय वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर का निर्धारण कर उसे विभागीय एमआईएस पर अपलोड किया गया जिसके आधार पर प्रदेश में संचालित 28 प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए वर्ष का प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. आटोमेटिक नामांकन व्यवस्था–विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए क्रमांक 01 अनुसार निर्धारित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर अनुसार ऑटोमेटिक नामांकन व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार पुराने से नये क्रम पर पदस्थ प्रतिभागियों को कम्प्यूटर द्वारा स्वत: ही नामांकित किया जाता है।
3. विभागीय प्रशिक्षण नीति का निर्धारण– वर्ष 2016–17 में विभागीय प्रशिक्षण नीति के निर्धारण हेतु संचालनालयीन अधिकारियो एवं विषय विशेषज्ञों की बैठकों के आयोजन के पश्चात् विभागीय प्रशिक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल

आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय करने के लिये राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई.नीति के तहत राज्य स्तर पर शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ बनाने उसके लिए तंत्र की स्थापना तथा रणनीति तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर ई.सी.सी.ई.परिषद का गठन किया गया है। ई.सी.सी.ई.सामान्य परिषद का गठन माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया है तथा ई.सी.सी.ई.कार्यकारी समिति का गठन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया है।

- मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियमों के तहत शाला पूर्व शिक्षा पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित था। कार्यआवंटन नियमों में संशोधन कर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 06/08/2016 को जारी अधिसूचना के द्वारा 'शाला पूर्व शिक्षा' विषय स्कूल शिक्षा विभाग से महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अब यह विषय महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय एकीकृत बाल विकास विभाग के अंतर्गत है। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार की गयी है। पाठ्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- पाठ्यक्रम में 12 माह के लिए 19 गतिविधियां चयनित की गई हैं। गतिविधियों के आधार पर बच्चों से की जाने वाली बातचीत, कहानी/नाटक/ड्रामे, कविताएं, खेल, बड़े एवं छोटे समूह की गतिविधियां तथा भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल से संबंधित गतिविधियां तैयार कर संकलित की गई हैं। इनमें कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे कुछ कार्यकर्ताएं पहले से परिचित हैं। कुछ कहानी/नाटक/ड्रामे/कविताएं तथा खेल नए सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक आयु समूह के सभी बच्चों के लिए गतिविधि कार्यपुस्तिका भी तैयार की गई है।
- पाठ्यक्रम प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए लागू किया जाएगा। पाठ्यक्रम का पायलट टेस्ट किया गया है। पायलट प्रदेश के 8 जिलों की 14 परियोजनाओं के 2569 आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया। पायलट का उद्देश्य पाठ्यक्रम की आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर वास्तविक उपयोगिता, चयनित गतिविधियों की सुग्राह्यता, गतिविधियों के लिए समय की पर्याप्तता, बच्चों के लिए रोचकता/बोझिलता, बच्चों की आयु तथा आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना था। समुदाय तथा अभिभावकों की प्रतिक्रिया तथा विचारों के साथ ही पाठ्यक्रम लागू करने में कार्यकर्ता को आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।
- प्रदेश की सभी 453 परियोजनाओं के लिये संविदा आधार पर ईसीसीई समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। ईसीसीई समन्वयकों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 11 अप्रेल से 13 मई 2016 तक यूनीसेफ के सहयोग से कराया गया है। पूरे प्रदेश में ई.सी.सी.ई.की गतिविधियां सुचारू रूप से प्रांरभ करने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों का 02 दिवसीय ईसीसीई प्रशिक्षण दिनांक 15 से 16 फरवरी 2017 को भोपाल में रखा गया।

- शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक माह में क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित की गयी है।
- यूनीसेफ के सहयोग से 94 अतिरिक्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला स्तर पर सभी पर्यवेक्षकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यवेक्षकों द्वारा सेक्टर स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रथम फेज में 06 दिवसीय ईसीसीई प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मूल्यांकन एवं निगरानी

एकीकृत बाल विकास सेवा के क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रत्येक माह दी गई सेवाओं की जानकारी आंगनबाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन AMPR के माध्यम से प्राप्त होती है। संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह आंगनबाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन AMPR की प्रविष्टि ऑनलाईन एम.आई.एस. में की जानी होती है। इसी आंगनबाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन AMPR के आंकड़ों के आधार पर ऑनलाईन एम.आई.एस.सेक्टर, परियोजना, जिला, संभाग तथा राज्य स्तर की सभी प्रकार की जानकारियां स्वत: निर्मित करता है। इस हेतु एम.आई.एस. में लॉगिन से लेकर की जाने वाली डाटा एन्ट्री, डाटा सत्यापन, डाटा संशोधन तथा समय-समय पर अपेक्षित अपडेशन किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्टस निकलती है। एम.आई.एस., आई.सी.डी.एस. की सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वेब बेस्ड एम.आई.एस. के द्वारा निम्नलिखित जानकारियों का आदान प्रदान किया जा रहा है :

- आंगनवाड़ी स्तर से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की रिपोर्टिंग वेब एम.आई.एस. मे सीधे की जाती है।
- विभिन्न संकेतकों के आधार पर निगरानी एवं मूल्यांकन।
- सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना की जानकारी एम.आई.एस. से प्राप्त की जा सकती है।
- सम्भागीय संयुक्त संचालकों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों के भ्रमण की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
- सभी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रतिमाह मानदेय भुगतान की जानकारी एम.आई.एस.से प्राप्त की जा सकती है।
- सभी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रशिक्षण की जानकारी, पोषण आहार की डिमांड ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है ।
- एम.आई.एस. के माध्यम से सम्भागीय संयुक्त संचालकों , जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को त्वरित एस.एम.एस. भेजा जा सकता है।
- सुपोषण शिविर के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के पोषण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- ई -डिस्पैच के माध्यम से संचालनालय द्वारा जारी पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट सेक्शन मे 200 से अधिक रिपोर्टों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाय.) वर्ष 2011 से प्रदेश के दो जिले सागर एवं छिंदवाड़ा में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" के तहत संचालित है। योजना का उद्देश्य 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रथम दो बच्चों हेतु गर्भावस्था, प्रसव एवं स्तनपान के लिये सही एवं सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना, शिशुओं को जन्म के पश्चात यथाशीघ्र और छः माह तक की उम्र के शिशु को केवल स्तनपान कराये जाने के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। साथ ही गर्भवती तथा धात्री माताओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिया जाकर स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना है। यह योजना बच्चे के जन्म से पहले एवं पश्चात गर्भवती एवं धात्री कामकाजी महिलाओं की मजदूरी के घाटे की आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रयास भी करती है। इस योजना का उद्देश्य मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है ताकि लाभार्थी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े और प्रसव के बाद भी वह पर्याप्त आराम कर सके। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को (सशर्त मातृत्व लाभ) रू. 6,000/- दो किस्तों में प्रथम किस्त 3,000 एवं द्वितीय किस्त 3,000/- देने का प्रावधान है। प्रति गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को क्रमशः रूपये 200 एवं रूपये 100 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रदेश में कुल लाभार्थियों की वर्षवार संख्या

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2011-12	71,523
2	2012-13	31,550
3	2013-14	44,231
4	2014-15	50,319
5	2015-16	12,321
6	2016-17*	50,532
	कुल	2,60,476

*(अप्रैल 2016- दिसम्बर 2016)

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

बच्चों के कुपोषण की गंभीर चुनौती का सामना मिशन मोड में किये जाने हेतु "अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण" मिशन का प्रारंभ प्रदेश में किया गया है। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर आधारित इस मिशन के माध्यम से प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार एवं कुपोषण के निदान की दिशा में प्रयास किये जायेगें। मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

मिशन के प्रारंभ वर्ष 2010 में वर्ष 2015 एवं 2020 तक हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

- बाल मृत्यु दर 94.2 से घटाकर 60 प्रति हजार तक लाना
- कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 2015 तक 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक एवं 2020 तक 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक लाना
- बच्चों में गंभीर कुपोषण, पहले पांच वर्ष 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत एवं आगामी पांच वर्षो में इस संख्या को नगण्य करना

भारत सरकार द्वारा कराए गए एन.एफ.एच.एस. 4 (2015-16) अनुसार मिशन के लक्ष्यों के विरूद्व स्थिति निम्नानुसार रही है -

क्र.	विवरण	मिशन के प्रारंभ में स्थिति एन.एफ.एच.एस. (2005-06)	अटल बाल मिशन में वर्ष 2015 हेतु लक्ष्य	एन.एफ.एच.एस.-4 (2015-16)	गिरावट का प्रतिशत
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर प्रति हजार	93	60	65	30.1
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	60	40	42.8	28·6
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	12.6	5	9.2	26·9

वर्ष 2016-2017 हेतु मिशन अंतर्गत रुपये 46.21 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।

मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में निम्नानुसार मुख्य गतिविधियों का आयोजन किया गया है :-

प्रदेश के 05 जिले सतना, उमरिया, ड़िडौरी, अलीराजपुर एवं बड़वानी में गर्भवती एवं धात्री माताओं को फुल मील दिए जाने का प्रावधान- प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के सहयोग से गर्भवती एवं धात्री माताओं को के पोषण सुधार हेतु फुल मील प्रदाय योजना का क्रियान्वयन दिनांक 15 अगस्त 2015 से जिला-सतना, बड़वानी, अलीराजपुर, डिन्डौरी एवं उमरिया में किया जा रहा हैं। योजनातंर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा योजनातर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती एवं धात्री माताओं को दोपहर में ताजा पका हुआ पूरा भोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में पूर्ववत स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से भोजन प्रदाय किया जा रहा हैं। चिन्हित जिलों के समस्त आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रदाय होने वाले फुल मील के मानक अनुसार प्रति महिला के मान से 31 ग्राम प्रोटीन एवं 1157 कैलौरी दिए जाने का प्रावधान रखा गया हैं। योजना अंतर्गत उपरोक्त पांच जिलो के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को रुपये 15/- प्रतिदिन के मान से फुल मील दिया जा रहा है।

कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को परिवार आधारित प्रशिक्षण दिए जाने का त्रैमासिक प्रावधान - प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष भर में संभावित अति कम वजन के बच्चों के माता/पिता/पालक के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रतिभागी रूपये 100/- के मान से इस कार्य हेतु राशि का प्रावधान किया गया हैं। यह प्रशिक्षण चार से पांच आंगनवाड़ी केन्दों के क्लस्टर पर त्रैमासिक रूप से किये जाते हैं, प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत में उपलब्ध टेलीविजन के माध्यम से पोषण प्रबंधन पर फिल्म का प्रदर्शन एवं अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग किये जाने का प्रावधान किया गया हैं।

अतिकम वजन के बच्चों हेतु टिफिन के माध्यम से तीसरे मील दिए जाने का प्रावधान - अतिकम वजन के बच्चों के लिये आई. सी.डी.एस. मिशन के माध्यम से तीसरे मील का प्रावधान रखा गया हैं। इन बच्चों को टिफिन के माध्यम से तीसरा मील उनके घरों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से किया गया है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका की स्थापना - प्रदेश के चिन्हित जिलों के आंगनवाड़ी परिसर में पोषण वाटिका की स्थापना कर इसमें लौकी, तोरई, कद्दू, बैंगन, टमाटर इत्यादि जैसी मौसमी सब्जियां एवं इमली, आवंला, कवीट, बेर, करोंदा एवं सुरजने के पौधे लगाये जाने का प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से किया गया है। आंगनवाड़ी केन्द्रा में चिन्हित अति कम वजन के बच्चों के परिवारों में मिशन के माध्यम से पोषण वाटिका स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सहरिया जनजाति के बच्चों को स्वच्छता किट का प्रावधान- प्रदेश के सहारिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सहारिया जनजाति के परिवारों को स्वच्छता किट प्रदाय किये का प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से किया गया है।

अतिकम वजन के बच्चों की आयुर्वेदिक मालिश का प्रावधान- प्रदेश के चिन्हित जिलों में कुपोषण में प्रभावी रूप से कमी करने के लिए कुपोषित बच्चों की आयुर्वेदिक मालिश का प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से किया गया है। जिसमें कुपोषित बच्चों की माह मास नामक आयुर्वेदिक तेल से मालिश की जाती हैं, मालिश के उपरांत उन्हें अश्वगंधा, शतावरी, सौंठ, मुलेठी से युक्त आयुर्वेदिक खीर खिलाई जाती हैं यह मालिश का शिविर कुल 21 दिन चलता हैं जिसमें माताएं अपने बच्चों को स्वंय लेकर आती है।

श्योपुर एवं शिवपुरी जिले में डे-केयर का संचालन- श्योपुर एवं शिवपुरी जिले में डे केयर सेन्टर की स्थापना की गई है जिसमें रूपये 6/- प्रतिदिन प्रतिहितग्राही औसतन 10 बच्चों के मान से पोषण आहार हेतु व्यय आई.सी.डी.एस. योजना के पोषण आहार मद से किये जाने एवं कार्ययोजना में प्रस्तावित शेष अन्य घटक अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से स्वीकृत किया गया है।

अटल बाल मित्र योजना अंतर्गत सिलाई मशीन का प्रदाय - सभी जिलो को अटल बाल मित्र योजना अंतर्गत कुल 696 हस्त चालित एवं पैर चालित सिलाई मशीनो का प्रदाय किया गया है। इन मशीनो का उपयोग आंगनवाडी केन्दो को महिला संसाधन के केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं का कौशल उन्ययन किये जाने हेतु, जनसहयोग के माध्यम से प्राप्त पुराने अनुपयोगी कपडो को सिलाई के माध्यम से उपयोगी बनाते हेए केन्द्र में उपयोग करने हेतु, चतुर्थ मंगलवार को आयोजित होने वाले किशोरी बालिका दिवस के दौरान किशोरियों के कौशल उन्नयन हेतु उपयोग की जा सकेगी।

अंतराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) सहायित आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण सुधार हेतु स्निप योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 31 जिलों में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्निप परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में निम्नलिखित गतिविधियां सम्पन्न की गई हैं -

- इन्क्रीमेन्टल लर्निंग एप्रोच (ILA) के अंतर्गत सभी 31 जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह कुल 20 मॉड्यूल पर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक (SRG), जिला स्तरीय प्रशिक्षक (DRG) एवं विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षक (BRG) का चयन सभी जिलों में पूर्ण हो चुका है। अभी तक राज्य स्तर पर 12 मॉडयूल एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्तर पर 09 मॉडयूल तक का प्रशिक्षण सम्पन्न हो गया हैं।
- समुदाय आधारित कार्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत सभी 31 जिलों में गोदभराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रमों के आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय मंगलवार को आयोजित किये जा रहे हैं। इसमें हितग्राहियों के अतिरिक्त समुदाय के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। आयोजन के समय उपस्थित हितग्राहियों एवं अन्य समुदाय सदस्यों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संदेश दिए जाते हैं।
- सूचना संचार तकनीक पर आधारित ICT-RTM प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था का क्रियान्वयन राज्य के 15 चिन्हित जिलों की 50 परियोजनाओं के 12500 आंगनवाड़ी केन्द्रों में किया जा रहा है। इस हेतु प्रथम चरण में संबंधित मोबाईल एजेंसी से प्राप्त 500 मोबाईल के माध्यम से तीन जिलों-उमरिया, विदिशा एवं उज्जैन की एक-एक परियोजनाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल के माध्यम से ICT-RTM का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है एवं सर्वे रजिस्टर से मोबाईल में डाटा इन्द्राज करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अगले चरण में शेष 12000 मोबाईल प्राप्त होने पर शेष चयनित परियोजनाओं में ICT-RTM का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- नवाचार के अंतर्गत पोषण वाटिका का प्रस्ताव संचालनालय द्वारा तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। स्वीकृति उपरांत पोषण वाटिका हेतु नवाचार आगर जिले के 20 आंगनवाड़ी केन्द्रों में (प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 60 हितग्राहियों के घरों पर) पोषण वाटिका लगाई जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना जिला कलेक्टर, आगर की अध्यक्षता में तैयार की गई है। इस नवाचार का क्रियान्वयन जनवरी 2017 से किया जाना प्रस्तावित है।

नवाचार

सुपोषण अभियान

प्रदेश में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने हेतु कई प्रयास किये गये हैं, इन्हीं प्रयासों के बीच अति कुपोषित बच्चों के प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई है। आई.सी.डी.एस. मिशन के अन्तर्गत अति कम वजन के बच्चों हेतु समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन के लिए स्नेह शिविरों के आयोजन का प्रावधान किया गया है। सुपोषण "SuPoSHaN" (Supportive Programme on Sustaining Health and Nutrition) आई.सी.डी.एस. एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयास से क्रियान्वित किया जाने वाला एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो गाँव को कुपोषण के चक्र से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ एवं सुपोषित गाँव बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

यह कार्यक्रम सघन तौर से समुदाय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व एकीकृत बाल विकास सेवा के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दो मुख्य हस्तक्षेप Curative तथा Preventive हैं। Curative का मुख्य फोकस ग्राम के अति कम वजन के बच्चों की श्रेणी में परिवर्तन करना है तथा Preventive का केन्द्र बिन्दु बच्चों के परिवार का व्यवहार परिवर्तन एवं सुपोषण के अच्छे स्थानीय उदाहरणों को अपनाकर बच्चों की पोषण स्थिति में सकारात्मक सुधार लाना है । प्रदेश में इसके क्रियान्वयन हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया गया जहाँ 04 या 04 से अधिक अतिकम वजन वाले बच्चे थे।

अभियान के मुख्य उद्देश्य

- चिन्हांकित अतिकम वजन के बच्चों का समुदाय की निगरानी में पोषण प्रबंधन।
- माता-पिता को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारने हेतु परामर्श देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना।
- समुदाय को ग्राम में अतिकम वजन के बच्चों हेतु "SuPoSHaN" कार्ययोजना बनाने एवं क्रियान्वयन हेतु सक्षम बनाना।
- कुपोषण मुक्त ग्राम के लिये समुदाय को सक्षम बनाना।

क्रियान्वयन : चयनित गाँवों में 12 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाकर प्रत्येक दिवस पृथक-पृथक विषयों पर बच्चों की माताओं को मार्गदर्शन प्रदाय किया जाता है।

इन 12 दिवसों में उपस्थित अतिकम वजन वाले बच्चों को 03 बार सुपरवाईज्ड फीडिंग एवं माताओं को भी भोजन प्रदाय किया जाता है। साथ ही माताओं को पोषण आहार बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जाता है। 12 दिवसीय शिविर के उपरान्त शिविर में उपस्थित बच्चों के घर 18 दिवसीय गृह भेंट के माध्यम से गत 12 दिवसों में दिये गये परामर्श का पालन भी सुनिश्चित कराया जाता है। Preventive रणनीति Life Cycle Approach पर आधारित होती है जो कि किशोरी बालिका से प्रारंभ होती है। इन लक्षित गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु किशोरी बालिका की देखभाल, गर्भवती महिला की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल एवं पोषण, धात्री महिलाओं की देखभाल, 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों का पोषण एवं देखभाल है। अभी तक कुल 5779 स्नेह शिविरों का आयोजन किया गया है।

उक्त शिविरों में कुल 33060 बच्चे लाभांवित हुए। 8 चरणों में आयोजित शिविरों के 6 माह पूर्ण होने के उपरांत 59.4 प्रतिशत बच्चों के पोषण श्रेणी में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हुआ।

लालिमा योजना

लालिमा योजना – बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं में होने वाली रक्ताल्पता को दूर करने व उनके बेहतर स्वास्थ्य पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त प्रावधान में प्रदेश में लालिमा योजना आरंभ की गई है। इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 4 दिसम्बर 2016 को किया गया। यह योजना प्रदेश में चलाए जा रहे निपि कार्यक्रम (नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव) का विस्तार है। इसमें आई.एफ.ए. टेबलेट/सिरप की उपलब्धता, सेवन, स्थानीय आयरन युक्त खाद्य सामग्री के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

लालिमा योजना में आई.एफ.ए. टेबलेट की उपलब्धता के साथ-साथ निगरानी में गोलियों के सेवन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ग्राम स्तर पर 'लालिमा समूह' का गठन कर गोलियों के सेवन की निगरानी इन्हें सौंपी जायेगी। स्थानीय आयरन युक्त खाद्य सामग्री के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पंचवटी से पोषण अभियान के तहत् एक्टिव पोषण वाटिका तैयार कराई जायेंगी ताकि इनसे नियमित हरे पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी युक्त फल आदि हितग्राहियों को प्राप्त हो सकें। साथ ही लाालिमा योजना अंतर्गत रक्ताल्पता और इसके दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशीलता व जन जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जावेगा।

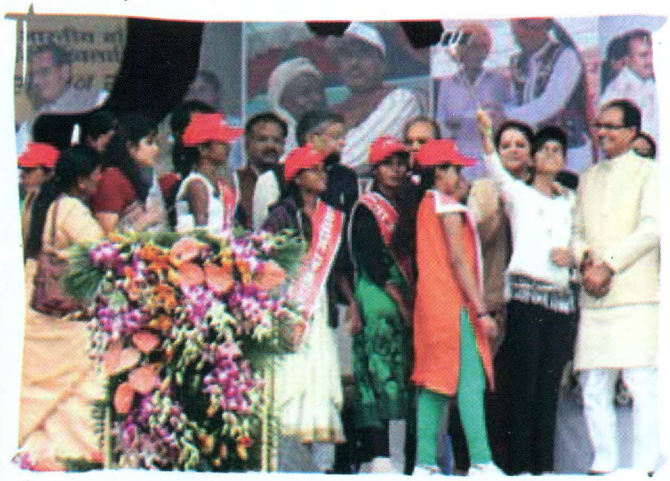

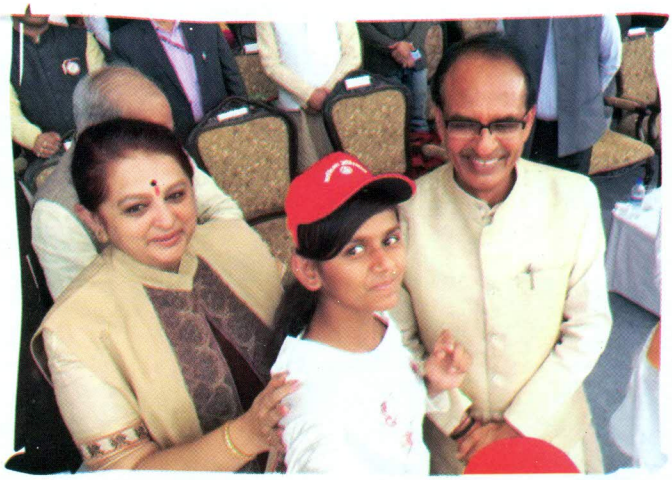

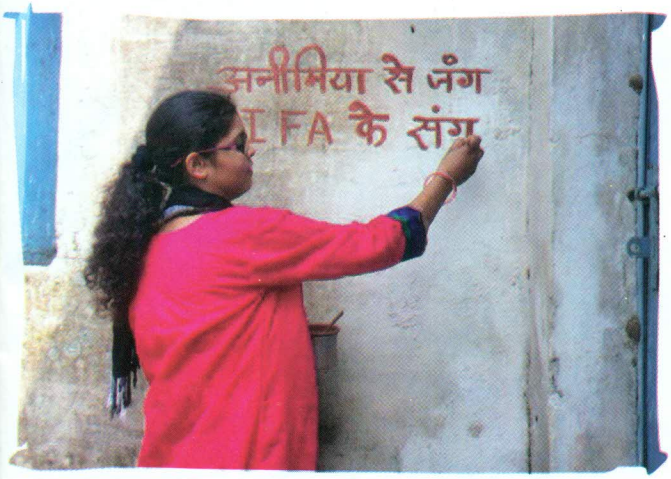

आंगनवाड़ी केन्द्रों की ग्रेडिंग व्यवस्था

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ऑनलाईन एमआईएस में संधारित की जाती है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रुप में पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं परियोजना स्तर पर उक्त प्रतिवेदन की विभाग के ऑनलाईन एमआईएस में एण्ट्री कराई जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की पहुँच को आधार मानकर बिन्दु निर्धारित किये गये। इन्ही बिन्दुओं पर प्रति माह प्राप्त डाटा के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र की ग्रेडिंग ऑनलाईन एमआईएस द्वारा स्वत: की जाती है। एक सेक्टर में आने वाले सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के अंक तथा उस सेक्टर में पर्यवेक्षक द्वारा किये गये भ्रमण के आनुपातिक भारित अंक को मिलाकर उस सेक्टर की ग्रेडिंग होती है। परियोजना की ग्रेडिंग में उस परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के अंक, पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारी के भ्रमण को मिलाकर ग्रेडिंग की जाती है। इसी सिद्धान्त के आधार पर जिला तथा संभाग की ग्रेडिंग भी ऑनलाईन एमआईएस द्वारा स्वत: की जाती है। ग्रेडिंग में कुल 5 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है, जो निम्नानुसार है–

75 या उससे अधिक अंक होने पर	A +	➤	हरा रंग
75 से कम एवं 60 या अधिक	A	➤	नीला रंग
60 से कम एवं 45 या अधिक	B	➤	पीला रंग
45 से कम एवं 30 या अधिक	C	➤	नारंगी रंग
30 से कम होने पर	D	➤	लाल रंग

प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन एमआईएस में प्राप्त होते हैं। अगले 3 दिवस डाटा सत्यापन हेतु होते है अत: माह की 18 तारीख को उक्त ग्रेडिंग के परिणाम एमआईएस में दिखाई देते हैं।

जिले वार ग्रेडिंग गणना पत्रक

	A+ ग्रेड >= 75	A ग्रेड <75 and A ग्रेड > = 60	B ग्रेड <60 and B ग्रेड > = 45	C ग्रेड <45 and C ग्रेड > = 30
क्र.	संभाग	जिला	जिलेवार रैंक	कुल अंक
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1	60.98
2	जबलपुर	कटनी	2	58.28
3	होशंगाबाद	हरदा	3	55.31
4	होशंगाबाद	बेतुल	4	55.27
5	जबलपुर	छिंदवाडा	5	53.21
6	जबलपुर	बालाघाट	6	52.9
7	जबलपुर	मंडला	7	52.02
8	इंदौर	बुरहानपुर	8	51.86
9	इंदौर	बुरहानपुर	9	51.72
10	जबलपुर	जबलपुर	10	50.86
11	रीवा	सिंगरोली	11	48.74
12	जबलपुर	डिंडोरी	12	48.57
13	इंदौर	खंडवा	13	47.24
14	जबलपुर	सिवनी	14	47.21
15	जबलपुर	नरसिंहपुर	15	45.78
16	इंदौर	खरगोन	16	44.91
17	इंदौर	झाबुआ	17	44.61

	A+ ग्रेड >= 75	A ग्रेड <75 and A ग्रेड > = 60	B ग्रेड <60 and B ग्रेड > = 45	C ग्रेड <45 and C ग्रेड > = 30
क्र.	संभाग	जिला	जिलेवार रैंक	कुल अंक
18	भोपाल	रायसेन	18	44.14
19	सागर	सागर	19	43.6
20	चम्बल	भिण्ड	20	43.52
21	उज्जैन	शाजापुर	21	43.46
22	उज्जैन	रतलाम	22	42.85
23	रीवा	रीवा	23	42.67
24	ग्वालियर	शिवपुरी	24	42.62
25	उज्जैन	मंदसौर	25	42.58
26	रीवा	सतना	26	41.66
27	चम्बल	मोरेना	27	40.46
28	ग्वालियर	गुना	28	40.38
29	इंदौर	इंदौर	29	40.3
30	सागर	छतरपुर	30	39.31
31	ग्वालियर	अशोकनगर	31	38.78
32	भोपाल	विदिशा	32	38.39
33	उज्जैन	देवास	33	38.24
34	शहडोल	शहडोल	34	38.18
35	भोपाल	सिहोर	35	37.96

डैशबोर्ड व्यवस्था

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ऑनलाईन एम.आइ.एस. में संधारित की जाती है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रुप में पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं परियोजना स्तर पर उक्त प्रतिवेदन की विभाग के ऑनलाईन एमआईएस में एण्ट्री कराई जाती है। विभाग के आनलाईन एमआईएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त संचालक सहित सभी कर्मचारियों के लागइन आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सेवाओं के आधार पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र, सेक्टर, परियोजना, जिला एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक सूचकांक पर एकजाई परिदृश्य प्राप्त करने हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लागइन पर डैशबोर्ड की व्यवस्था की गई है। विभागीय एमआईएस में लागइन करने पर उक्त डैशबोर्ड दिखाई देता है। यह डैशबोर्ड उस क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, जिसके द्वारा लागइन किया गया है अथवा जो क्षेत्र उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस डैशबोर्ड में ग्राफिकल रुप में विभिन्न संकेतकों को प्रकट किया जाता है।

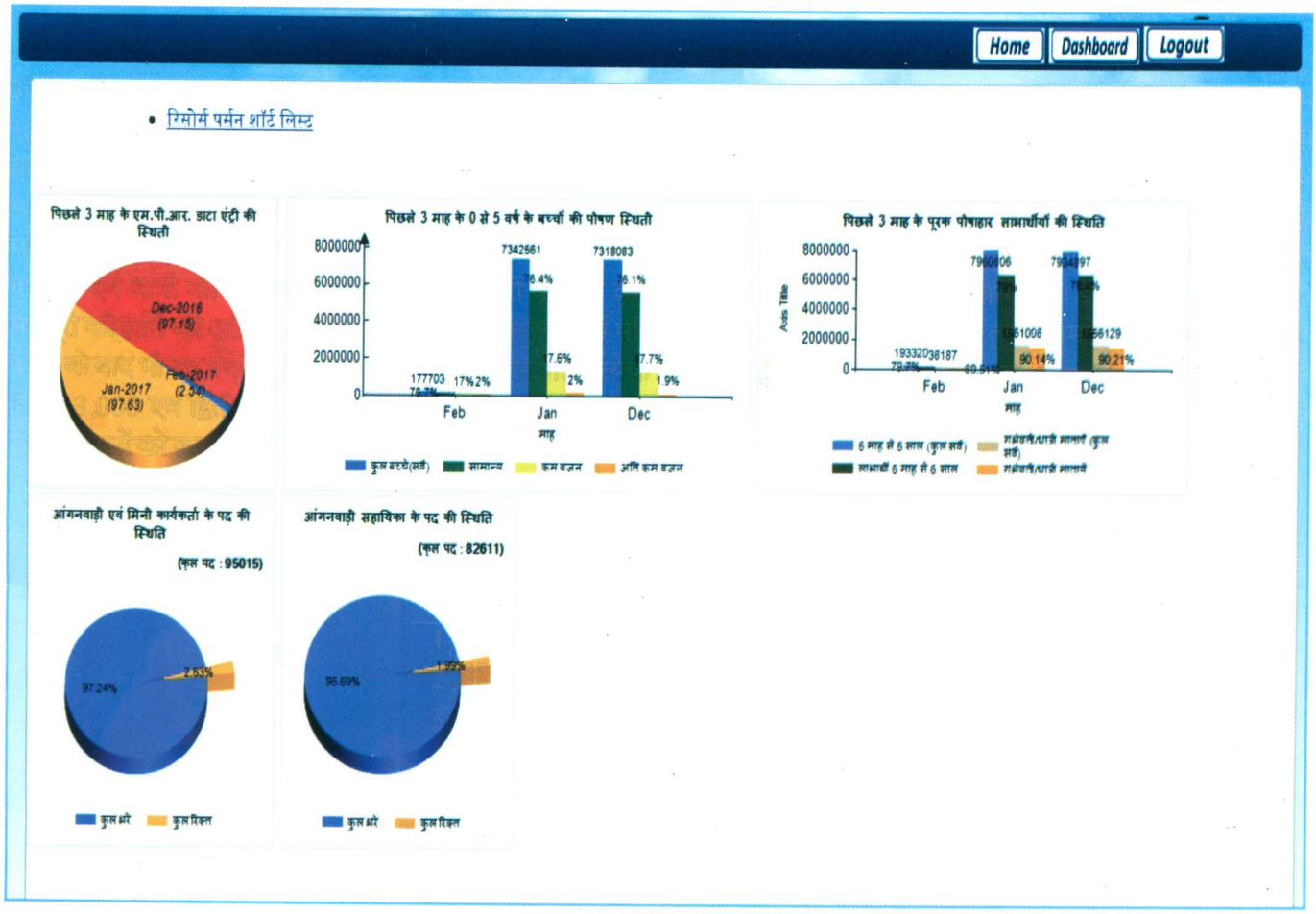

पंचवटी से पोषण अभियान

सामान्यतः आँगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले हितग्राहियों के परिवारों में अनाज की पूर्ति तो हो जाती है, किन्तु सब्जियों एवं फलों का उपयोग कम होता है। इससे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति न होने से एनीमिया, रतौंधी, दीर्घकाल में अंधापन, घेंघा रोग, जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं और इनसे बच्चों का समग्र विकास प्रभावित होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे तत्व हैं, जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, जिनकी पूर्ति फल एवं सब्जियों के उपयोग से की जा सकती है। इस हेतु विभाग द्वारा 'पंचवटी से पोषण' अभियान के तहत् आँगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका लगवाई जा रही हैं जिससे कम से कम लागत में मौसमी फल एवं सब्जियाँ केन्द्रों में उपलब्ध हो सकें। इनका उपयोग आँगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों के पोषण स्तर को सुधारने में किया जा रहा है। साथ ही 'पंचवटी से पोषण' अभियान में पोषक तत्वों से भरपूर, स्वाथ्यवर्धक एवं बारहमासी सब्जी देने वाला पेड़ सुरजना (सहजन, सेजन, मुनगा) के पौधों का रोपण ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र के 5-5 ऐसे परिवारों किया जा रहा हैं जिनके घरों में अतिकम वजन के बच्चे हैं।

आंगनवाडी केन्द्रों में विशेष वजन अभियान का क्रियान्वयन

आंगनवाडी केंद्रों के माध्यम से 05 वर्ष तक के बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक गंभीर कुपोषित बच्चें की समय पर पहचान एवं उनका प्रबंधन किया जाना अतिआवश्यक है। इस हेतु यह आवश्यक है कि शत्-प्रतिशत् बच्चों का वज़न लिया जाकर उनका पोषण स्तर का सही निर्धारण एवं इनकी वज़न की सतत् निगरानी की जाए। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक आंगनवाडी केंद्र में पोषण स्तर के अनुसार बच्चों की संख्या के वास्तविक परीक्षण के उद्देश्य से दिनांक 01/11/.2016 से 28/02/2017 तक की अवधि में एक "विशेष वजन अभियान" संचालित किया गया। अभियान के दौरान प्रत्येक पर्यवेक्षक अपने प्रभार के सेक्टर की प्रत्येक आंगनवाडी में, बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अपनी परियोजना के न्यूनतम 30 आंगनवाडी केंद्रों में, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिले के न्यूनतम 20 आंगनवाड़ी केंद्रों में और संभागीय संयुक्त संचालकों अपने संभाग के न्यूनतम 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित होकर बच्चों का समक्ष में वजन कराने के निर्देश दिए गए। प्रयास किए गए कि आंगनवाड़ी में दर्ज कोई भी बच्चा वज़न लिये जाने से वंचित न रहे। अभियान अंतर्गत दिनांक 20 फरवरी 2017 तक लगभग 73.48 लाख बच्चों का वजन लिया गया।

बजट
एक समग्र विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के लिये कुल राशि रूपये 3027.48 करोड़ की राशि का बजट अनुपूरक, पुर्नविनियोजन,समर्पण सहित प्रावधानित हुआ था। उक्त राशि में से आयोजनेत्तर मद में रुपये 13.89 करोड़ एवं आयोजना मद अन्तर्गत कुल रुपये 3013.59 करोड़ की राशि सम्मिलित है । विभाग द्वारा वर्षान्त तक आयोजनेतर में रूपये 11.68 करोड़ एवं आयोजना में रूपये 2613.79 करोड़ की राशि का व्यय किया है । विभाग को वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 (15 फरवरी 2017 तक) में क्रमशः रुपये 3062.34 करोड़, रुपये 3027.48 करोड़ एवं रुपये 2955.63 करोड का बजट अनुपूरक, पुर्नविनियोजन,समर्पण सहित प्रावधानित हुआ है । जिसके विरूद्व क्रमशः रुपये 2251.71करोड़ , रुपये 2625.47 करोड़ एवं रुपये 2246.19 करोड़ (15 फरवरी 2017 तक) व्यय किये गये जो निम्न चार्ट से स्पष्ट है :-

बजट प्रावधान एवं व्यय

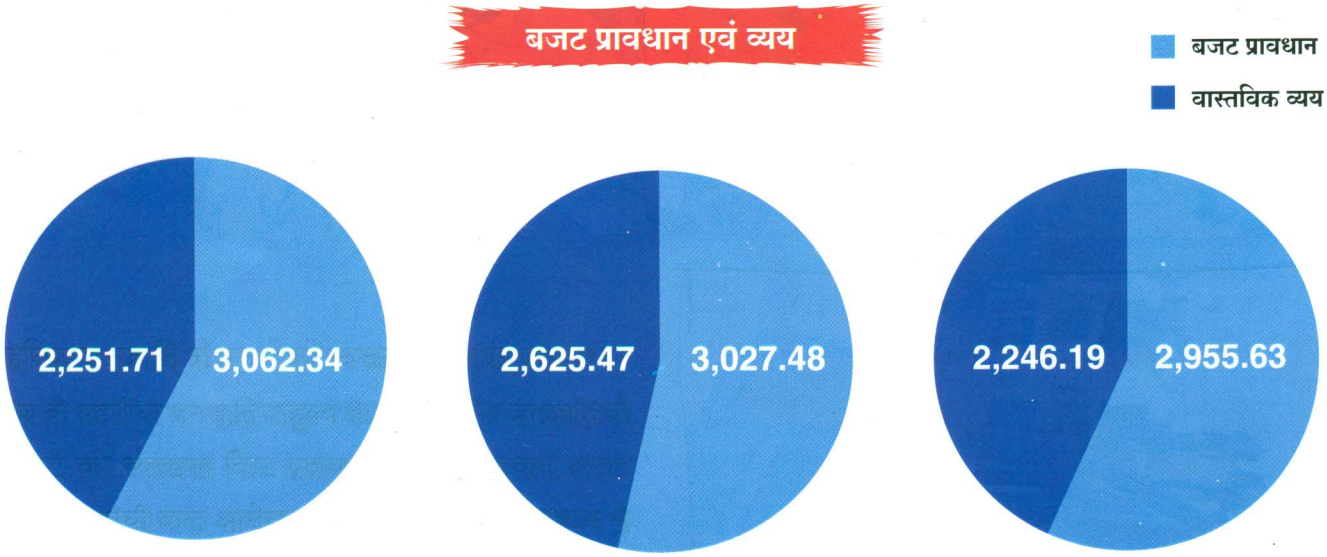

राशि करोड़ रूपये में

वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी

(राशि करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16		वित्तीय वर्ष 2016–2017 (दिनांक 1.4.16 से 15.02.17 तक की स्थिति में)		
योजना कोड	योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित	कुल व्यय	मूल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित	वित्त विभाग की कटौती उपरांत शेष बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन/ समर्पण सहित	कुल व्यय
	संचालनालय एकीकृत बाल विकास,							
	आयोजना							
5094	मंगल दिवस	19.91	15.73	22.14	20.26	22.96	20.66	16.19
5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	290.34	268.62	303.06	290.04	302.96	272.67	236.77
5360	आगंनवाडी केन्द्रों का भवन निर्माण 13th FC+State plan + MENRAGA+Tribal Deptt. से BCO to BCO प्राप्त	200.00	80.44	83.16	47.64	58.09	57.89	15.30
6104	योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन	1.50	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442	अटल बाल आरोग्य एव पोषण मिशन	7.45	2.04	34.40	29.64	51.35	46.22	20.22
7046	नाबार्ड अर्न्तगत प्री–फेब तकनीक से आंगनवाडी भवनों का निर्माण	50.00	7.00	11.00	9.37	1.30	1.30	0.00
7449	सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	0.34	1.00	0.70	3.25	2.93	1.41
658	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	965.51	694.88	1034.90	812.82	1006.32	1006.32	780.57
9248	किशोरी शक्ति योजना	3.30	2.47	3.30	0.37	3.30	3.30	0.00
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (आयोजना)	1150.14	971.27	1201.57	1163.02	1126.07	1126.07	984.36
6392	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	150.00	134.99	176.81	158.23	136.64	136.64	125.24
6917	इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना(आईजीएमएसवाई)	31.22	28.51	11.92	11.65	55.77	55.77	39.85
1291	आई.सी.डी.स. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर के सुधार की परियोजना ISSNIP	37.12	7.54	50.00	15.25	42.46	42.46	18.23
1292	मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	43.20	0.00	0.00	0.00	122.77	122.77	0.00
6741	म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम(विदेशी सहायता)	84.00	25.21	52.96	52.74	1.78	1.78	0.00
7699	राजीव गांधी किशोर बालक सशक्तिकरण योजना (सक्षम)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00
7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	0.00	0.00	13.85	2.06	1.46	1.46	0.05
7736	पन्ना धाय डे–केयर योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737	किशोरी बालिका समग्र स्वच्छता अभियान योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739	रानी दुर्गावती विशेष पोषण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405	उदिता परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.01
2041	टंट्या भील स्कूल यूनिफार्म योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	आंगनवाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग आयोजना	**3048.21**	**2239.96**	**3013.59**	**2613.79**	**2941.02**	**2902.77**	**2238.20**
	आयोजनेतर							
5508	महिला बाल विकास के भवनों का रखरखाव	3.00	2.66	2.20	1.38	2.70	2.70	0.09
9041	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	8.12	6.44	8.56	7.52	8.53	8.47	6.30
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (आयोजनेतर)	3.01	2.65	3.13	2.78	3.38	3.38	1.60
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग आयोजनेतर	**14.13**	**11.75**	**13.89**	**11.68**	**14.61**	**14.55**	**7.99**
	महायोग आयोजना+आयोजनेतर	**3062.34**	**2251.71**	**3027.48**	**2625.47**	**2955.63**	**2917.32**	**2246.19**

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

संचालनालय महिला सशक्तिकरण

ब्लाक-2, चतुर्थ तल पर्यावास भवन, भोपाल
फोन 0755-2551331, 2765501 फैक्स 0755-2577122
http://www.mpwe.in
Email: statedwe@gmail.com

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28-ए, अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश)
फोन 0755-2550909 फैक्स 0755-2550912
Website: http://www.mpwcd.nic.in
http://www.mpwcdmis.gov.in
http://www.esanchayika.in

मध्यप्रदेश माध्यम/207
Drishti Offset, IP.